खण्ड-242, अंक-5
शुक्रवार, 5 आश्विन, शक संवत् 1885
(27 सितम्बर, 1963 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 242 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	५३९–५४३
प्रश्नों का उत्तर न मिलने के सम्बन्ध में आपत्ति	५४३
प्रश्नोत्तर (जारी)	५४३–५५२
७ सितम्बर, १९६२ को सर्वश्री गणेशचन्द्र काछी तथा नरोत्तमसिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १० के उत्तर का शोधन ..	५५३
प्रश्नोत्तर	५५३–५९८
प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी	५९९
लोक सेवा आयोग का १९५९–६० का प्रतिवेदन (मेज पर रखा गया) ..	६००
आश्वासन समिति का १९वां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ..	६००
समाजवादी दल के एक कार्यकर्त्ता के साथ सरकारी अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ..	६०१–६०२
राजस्व मन्त्री द्वारा सदन में कथित गलतबयानी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	६०२–६०३
कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं ..	६०३–६०६
प्रदेश में हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के आवेदन-पत्रों का अभाव के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी गई)	६०६–६०७
बांदा जिले के नारी के गडरन पुरवा ग्राम में पुलिस द्वारा डाकुओं से मिल कर लूटमार करने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	६०७–६१४
विधान सभा के १६ सितम्बर के आहूत सत्र को निरस्त किये बिना उसे २३ सितम्बर को आहूत करने के सम्बन्ध में उठाये गये व्यवस्था तथा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर विचार (जारी) ..	६१४–६२६
लगान में २५ प्रतिशत वृद्धि को समाप्त करने की मांग के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	६२६–६४४
नत्थियां	६४५–६७७

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २७ सितम्बर, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३८३

अक्षयवर्रासिह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती

गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, आचार्य
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री

डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गा प्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पुरुषोत्तमलाल बघवार, श्री (राजाजी)

पूरनलाल, श्री
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री

राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामआधार कनौजिया, श्री
रामआधीनसिंह, श्री
रामआनन्त पांडेय, श्री
रामआवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती देवी, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजर्यासिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर

श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह भी उपस्थित थे ।

प्रश्नों का उत्तर न मिलने के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री उमाशंकर तिवारी (जिला वाराणसी)—

अध्यक्ष महोदय, हमारे सवाल का उत्तर नहीं मिला और आज हमारा सवाल है....

श्री अध्यक्ष—

वह सवाल आयेगा तो आप कहियेगा।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २७ सितम्बर, १९६३

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

इलाहाबाद में फारूक हत्याकांड संबंधी गोलीकांड की जांच रिपोर्ट

**१—श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इलाहाबाद शहर में १४ अप्रैल, १९६३ को फारूक हत्याकांड के कारण हुये गोलीकांड की जांच के लिये जो एक व्यक्ति का कमीशन नियुक्ति हुआ था, क्या उस की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है ?

**२—यदि हां, तो उस पर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और वह रिपोर्ट कब तक सदन में प्रस्तुत की जायेगी ?

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)—

जी हां, कमिश्नर की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है, उस पर विचार किया जा रहा है।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

क्या माननीय गृह मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह रिपोर्ट कब उन्हें प्राप्त हुई और उसे सदन की मेज पर कब रखा जायगा ?

नियोजन मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

रिपोर्ट २२ सितम्बर को आयी है और अभी उस पर विचार हो रहा है। लेकिन इतना बता दूं कि अभी तक जितनी रिपोर्ट मैं जानता हूं उसके अनुसार शायद सदन की मेज पर उसको न रखा जाय ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या माननीय मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि १७ अप्रैल, सन् ६२ को विधान सभा में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि अगर कमिश्नर की इंक्वायरी से सन्तोष न होगा तो जूडिशियल इंक्वायरी करायी जायगी ?

श्री अध्यक्ष—

यह आश्वासन दिया तो इससे क्या मतलब है ? आप क्या चाहते हैं ? अब वह उसे कंसिडर तो कर रहे हैं ।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

मन्त्री जी ने कहा कि वह रिपोर्ट सदन की मेज पर प्रस्तुत नहीं की जायगी और १६ अप्रैल को यह स्पष्ट आश्वासन दिया गया था कि यदि उधर के बैठने वाले सदस्यों को सन्तोष न होगा तो हम जूडिशियल इंक्वायरी करायेंगे । तो क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जब तक वह रखी न जायगी, तब तक सन्तोष या असन्तोष हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह—

मुझे तो अभी यह पता नहीं है कि ऐसा कोई आश्वासन दिया गया था । लेकिन अगर ऐसा आश्वासन दिया गया था हाउस को तो जरूर रखूंगा ।

एक सदस्य—

मुख्य मंत्री जी से पूछ सकते हैं ।

श्री हरगोविन्दसिंह—

पूछने की जरूरत नहीं है । इतनी पुरानी बात किसी को याद नहीं रहती ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद गोलीकांड जांच रिपोर्ट को सदन की मेज पर न रखने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—

अभी तो उन्होंने यह कहा है कि अगर आश्वासन दिया है तो हम रखेंगे और उन्होंने यह भी कहा है कि हम देख रहे हैं, उसको देखने के बाद निश्चय करेंगे । इस वक्त तो जो देखा है उसके हिसाब से मन नहीं करता ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

माननीय मंत्री जी ने माननीय मुख्य मंत्री जी के आश्वासन के सम्बन्ध में यह कहा है कि मुझे पता नहीं है और मैं देख लूंगा । मैं उनकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि १६ अप्रैल को माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि यदि वह रिपोर्ट असन्तोषजनक हुई, उसमें गलतबयानियां हुई तो हम जूडिशियल इंक्वायरी करायेंगे ।

श्री हरगोविन्दसिंह—

मैंने तो यह कहा कि अगर मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया है तो मैं रिपोर्ट भवन के सामने जरूर रखूंगा लेकिन अगर यह आश्वासन इन शब्दों में नहीं है जिन शब्दों में माननीय सदस्य कह रहे हैं तो अभी तक जो मैंने रिपोर्ट को देखा है उसको देखते हुए मैं जरूरत नहीं समझता कि उसको भवन के सामने रखूं ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सही है कि मोहिले साहब के भाई के विरुद्ध यहां सदन में कहा गया था, उन्होंने नेतृत्व किया था उस भीड़ का और रिपोर्ट में यह निकला है कि यह सब निराधार था, मोहिले साहब के भाई का कोई हाथ नहीं था, और न प्रजा समाजवादी दल का कोई हाथ था, क्या रिपोर्ट में इस तरह की सूचना आयी है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेकराम जी, यह प्रश्न नहीं उठता । सवाल तो यह है कि रिपोर्ट रखी जायगी या नहीं ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह नहीं कहा था कि "यदि इंक्वायरी की रिपोर्ट ऐसी असन्तोषजनक हो जिसको हमारे सामने बैठने वाले माननीय सदस्य मंजूर न करें तो हम जुडिशल इंक्वायरी भी कराने के लिये तैयार हैं । हम उससे भागते नहीं हैं । बराबर जब जुडिशल इंक्वायरी की मांग आई है तथा जब-जब उचित समझा गया तो उस पर विचार किया गया है और जुडिशल इंक्वायरी कराई गई है ।" अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह जो कमिश्नर की इंक्वायरी है इसमें कितना समय लगा और इसमें कितने गवाह गुजरे ?

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

अभी जो कल्याणचन्द मोहिले जी ने पढ़ा है उससे स्पष्ट है कि वह सदन की मेज पर रखी जायगी और यदि माननीय सदस्यों को असन्तोष होगा तो वह आगे जुडिशल इंक्वायरी करायेंगे ।

श्री नवलकिशोर—

उस दिन प्रश्न यह उठा था कि कमिश्नर इसकी इंक्वायरी करेंगे या कोई जज करेगा । माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था कि कमिश्नर भी एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है। उनकी रिपोर्ट आने के बाद अगर यह महसूस किया गया कि वह सन्तोषजनक नहीं हुई है तो जुडिशल इंक्वायरी की बात होगी। (व्यवधान) मान्यवर, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि माननीय मुख्य मन्त्री ने यह आश्वासन नहीं दिया कि रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जायगी । एक बात और अर्ज करूं कि यह जो इंक्वायरी हुई है यह पैरा ७२२ के सब पैरा ४ एन० जी० ओ० के अन्तर्गत हुई है । यह ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट है । आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वह रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी गई हो । इसकी जो सैलियन्ट रिकमेन्डेशन्स होती हैं उनको स्टेटमेंट के तौर पर हाउस के सामने पेश कर दिया जाता है । यही अभी तक प्रथा रही है ।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि रिपोर्ट के लिये कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया गया था कि रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जायगी । सदन की कार्यवाही जो सुनाई गई है मोहिले जी के द्वारा उससे यह स्पष्ट है कि आश्वासन मन्त्री जी की तरफ से है कि यह रिपोर्ट यदि हमारे सामने बैठने वाले दोस्तों को सन्तोषजनक न होगी तो हम जुडिशल इंक्वायरी कराने के लिये तैयार हैं। तो माननीय गृह मन्त्री जी बतलायेंगे कि आखिर इधर बैठने वाले माननीय सदस्य, किस प्रकार

से जान सकेंगे कि उस रिपोर्ट में क्या है, वह काबिले इतबार है या नहीं, वह सन्तोषजनक है या नहीं ? इसका आधार क्या होगा ?

श्री नवलकिशोर—

मैंने अर्ज किया कि एक स्टेटमेंट जब हो जायगा तो उसकी सैलियन्ट रिकमेन्डेशन सदस्यों के सामने आ जायंगी। सबसे बड़ी बात तो सरकार के सन्तोष की है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

इसमें सरकार के सन्तोष का प्रश्न है। प्रश्न यह है कि जब आपका यहां पर स्टेटमेंट हो जायगा और वह स्टेटमेंट अगर माननीय सदस्यों को सन्तोषजनक न हो तो जुडिशल इंक्वायरी होगी ?

श्री नवलकिशोर—

असन्तोष का कोई आधार भी तो होगा।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

पहले यह व्यवस्था दी जाय कि आश्वासन की पूर्ति कराने का फर्ज आपका है। चेयर से आपको अधिकार मिला हुआ है कि सरकार को मजबूर करे कि आश्वासन की पूर्ति के सम्बन्ध में वह उत्तर दे। अगर वह आश्वासन गलत था तब भी आश्वासन समिति को उत्तर चला जाय कि आश्वासन गलत था। मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री ने सदन के सामने जो आश्वासन दिया था उसकी पूर्ति कराने के सम्बन्ध में मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह गलत दिया है। यह समझना गलत है कि हम सन्तुष्ट हैं या नहीं। यह हमारे ऊपर छोड़ दिया गया है। इसलिये आप इस आश्वासन की पूर्ति करायें और गृह मंत्री को मजबूर करें कि वह सदन में उस रिपोर्ट को पेश करें।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

इसको पढ़ दें।

श्री अध्यक्ष—

"यदि इंक्वायरी का रिजल्ट ऐसा असन्तोषजनक हुआ जिसे हमारे सामने बैठने वाले माननीय सदस्य मंजूर न करें तो मैं जुडिशियल इंक्वायरी भी कराने के लिये तैयार हूं।" तो आपका प्रश्न यह है कि अगर आप असन्तुष्ट हुए तो जुडिशियल इंक्वायरी कराने के लिये सरकार तैयार होगी या नहीं ? यही तो आपका सवाल है ?

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

रिपोर्ट में क्या है इसकी जानकारी हमें कैसे होगी जब तक कि रिपोर्ट हमको न मिले। रिपोर्ट हमारे सामने तो आनी चाहिये तभी हम संतुष्ट हैं अथवा नहीं, यह तय कर सकते हैं।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय—

इसके माने यह हैं कि रिपोर्ट हमारे सामने रखी जायगी। अगर हमको उससे सन्तोष न हुआ तो सरकार इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराने के लिये बाध्य होगी।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय गृह मंत्री ने रिपोर्ट पढ़ते समय यह भी पाया कि उसमें प्रजा सोशलिस्ट पार्टी पर लांछन किया गया था उसके लिये कमीशन ने होल्ड किया है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का इससे कोई सम्बन्ध नहीं था ? यदि उसका कोई सम्बन्ध इससे नहीं था तो माननीय मंत्री जी क्या

आश्वासन देंगे कि ऐसा कोई स्ट्रिक्चर अगर रिपोर्ट में आप पायेंगे तो फिर उस पर आप जुडिशियल इंक्वायरी करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मैं उनसे इस पर स्टेटमेंट देने को कहूंगा और उसके बाद हम फिर उसको देख लेंगे।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

तो इसके लिये आप कोई समय निश्चित कर दें। यह सदन तो ३० को उठ जायगा।

श्री अध्यक्ष—

सदन इतने दिन के लिये नहीं उठेगा कि यह मामला वह भूल जाय।

श्री रामसुन्दर पण्डेय—

बिना रिपोर्ट देखे हम सदस्यगण क्या जानेंगे कि सरकार ने किन विषयों के सम्बन्ध में अपना क्या मत तय किया है और वह क्या करने जा रही है तथा उस रिपोर्ट में क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

आप के सामने मैं स्टेटमेंट कराऊंगा और फिर इस बात को हम तय कर लेंगे कि वह रिपोर्ट यहां रखी जाय या नहीं।

उत्तर प्रदेश–बिहार सीमा विवाद जांच कमीशन

**३—श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश बिहार सीमा विवाद के लिये नियुक्त पंच श्री चन्द्र लाल त्रिवेदी कमीशन के सामने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कौन-कौन से टर्म्स आफ रेफरेन्सेस पेश किये गये हैं ? क्या उन टर्म्स आफ रेफरेन्सेस की प्रतिलिपियां छपवा कर बलिया जिले के सम्बद्ध किसानों के बीच वितरित किया जावेगा ?

राजस्व मंत्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)—

जहां तक टर्म्स आफ रेफरेन्स का प्रश्न है उसकी सूचना सदन में अल्प सूचित प्रश्न संख्या १ के उत्तर में दिनांक ३ मार्च, १९६३, को दी जा चुकी है। टर्म्स आफ रेफरेन्स की प्रतिलिपियां बलिया जिले के किसानों के बीच वितरित करना सरकार आवश्यक नहीं समझती है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

जहां तक टर्म्स आफ रेफरेंस का सवाल है, उत्तर में केवल यह कहा गया है कि बलिया और बिहार की सीमा निर्धारित करने के लिये पंच मुकर्रर हुए हैं और क्या-क्या सवाल उनके विचाराधीन हैं यह बात कभी सफाई से नहीं बतलायी गयी है। कई माननीय सदस्यों ने इस बारे में पूछा था, सवाल किये थे, लेकिन उसके बाद भी केवल सी० एम० त्रिवेदी पंच मुकर्रर किये गये हैं यही बतलाया गया था।

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न यह है कि जो टर्म्स आफ रेफरेंस उसके हैं वे दिये गये हैं या नहीं ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

जहां तक मुझे याद है मैंने टर्म्स आफ रेफरेंस जवाब में दिये थे।

श्री काशीनाथ मिश्र—

तो वह फिर बतला दिये जायं।

श्री अध्यक्ष—

उस दिन का जवाब आप को मिल चुका है। अगर उसमें न हो तो बतला दिया जायगा।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि एक ही देश के दो जिलों के सीमा विवाद का निर्णय होने में यह जो पिछले १५ साल का समय लगा है और अभी तक निर्णय नहीं हो पाया इसका प्रमुख कारण क्या है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

१९५२ में एक कान्फ्रेन्स यहां हुई थी और बिहार सरकार तथा हमारी सरकार के बीच यह तय हुआ था कि एक फिक्स बाउन्डरी प्रिन्सिपल मान लिया जाय और यह भी तय हुआ था कि उस इलाके में बसे हुये लोगों की ख्वाहिशों को मालूम करके बाउन्डरी फिक्स की जाय। इस सम्बन्ध में सेंट्रल ब्यूरो एक फिक्स किया गया जिसने वहां की जांच करके अपनी रिपोर्ट दी। फिर रेवेन्यू मिनिस्टर्स के लेवेल पर पटना में एक कांफ्रेन्स हुई, वहां एग्रीमेंट नहीं हो सका। उसके बाद चीफ मिनिस्टर्स कांफ्रेन्स लखनऊ में हुई, वहां भी कोई एग्रीमेंट नहीं हो सका। तब माननीय प्रधान मंत्री को आर्बिट्रेटर मुकर्रर किया गया और वह मामला उनके विचाराधीन है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मंत्री जी बलिया की जनता को, जिसका इससे सीधा सम्बन्ध है, वहां की प्रमुख संस्थाओं को तथा राजनीतिक दलों को जिनको इसमें दिलचस्पी है, इसके टर्म्स आफ रेफरेन्सेज बंटवाने की कृपा करेंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मैं समझता हूं कि जो असेम्बली में कार्यवाही होती है वह अखबारों में छपती है, और जो लोग दिलचस्पी रखते हैं उनको अखबारों के जरिये उसकी जानकारी हो जाती होगी। इसलिये उसके वितरण की कोई जरूरत मैं नहीं समझता।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, २० तारीख को बलिया में एक सभा हुई थी जिसमें ब्लाकों के प्रमुख, तथा और भी प्रमुख किसान उपस्थित थे जिनको इसके टर्म्स आफ रिफरेन्स आदि की कोई जानकारी नहीं थी। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि उनको इसकी जानकारी होगी। अखबार वे लोग पढ़ते होंगे। जिलाधीश तक को उसकी कोई जानकारी नहीं है . . .

श्री अध्यक्ष—

इस पर बहस नहीं हो सकती, कारण उन्होंने बता दिया।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

इसमें क्या दिक्कत है कि उसके टर्म्स आफ रेफरेन्स सार्वजनिक संस्थाओं को बता दिये जायं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इसमें निरर्थक व्यय होगा, इसलिये वह मुनासिब नहीं है।

श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)—

जब श्री चन्दूलाल त्रिवेदी गये थे जांच के लिये तब जिलाधीश ने केवल विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्यों को ही बुलाया था, क्या इसकी जानकारी सरकार को है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

किन-किन को बुलाया गया इसकी सूचना मुझे नहीं है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

उस टर्म्स आफ रेफरेन्स में सरकार ने क्या कोई ऐसा परिपत्र भी तैयार किया है कि कितनी भूमि का विवाद इस समय है ?

श्री अध्यक्ष—

इतनी डिटेल का सवाल नहीं हो सकता।

श्री मैनेजरसिंह—

जो मेमोरेन्डम उत्तर प्रदेश की सरकार तथा बिहार की सरकार द्वारा त्रिवेदी जी को दिया गया है, क्या उसकी प्रतियां यहां आदरणीय सदस्यों को सरकार देने की कृपा करेगी ? और जिस प्रकार सन् ५२ में सम्बन्धित जिलों के प्रमुख व्यक्तियों की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें माननीय राजस्व मंत्री भी थे, क्या उसी प्रकार की एक बैठक फिर बुलाने की माननीय मंत्री जी कृपा करेंगे और उसमें यह मेमोरेन्डम भी प्रस्तुत करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अभी ऐसा करना कब्ल-अज़-वक्त होगा।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बतायेगी कि जमुना नदी की वजह से जो यू० पी० और पंजाब का झगड़ा है और सन् ५२ से चल रहा है उस पर कोई कमीशन बैठाना चाहती है ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न असम्बद्ध है।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

टर्म्स आफ रेफ़रेंस बता दें, क्या हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह जवाब हो चुका है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

३ मार्च, १९६३ के जवाब में टर्म्स आफ रेफ़रेंस नहीं बताये गये, केवल यह कहा गया है कि पंच मुकर्रर हुए हैं स्थायी सीमा निर्धारित करने के लिए। वहां तो जमीन के पजेशन का सवाल है, वह सवाल कमीशन के सामने रखा गया है या नहीं, यह बतला दिया जाय।

श्री हुकुमसिंह विसेन—

डिटेल बताना मेरे लिए असम्भव है।

तारांकित प्रश्न

[प्रश्न जो आशकारी मंत्री की प्रार्थना पर २७ सितम्बर, १९६३ के लिये निर्धारित किये गये थे।]

जेल अध्यापकों का सहायक जेलरों के लिये चुनाव

*३—श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जेल के अध्यापकों को इस वर्ष के सहायक जेलरों के चुनाव से क्यों वंचित किया गया है जब कि पिछले हर चुनाव में उन्हें सम्मिलित किया जाता था ?

आबकारी मंत्री (डाक्टर सीताराम)—

जेल के अध्यापकों को इस वर्ष के पेड अप्रेन्टिस सहायक जेलरों के चुनाव से वंचित नहीं किया गया है।

श्री राधेश्याम शर्मा—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सहायक जेलरों के चुनाव में कितने लोग बैठे थे और उनमें जेल के अध्यापक कितने थे ?

डाक्टर सीताराम—

अनुमानतः १५ बैठे थे लेकिन सेलेक्ट नहीं किये गये।

× × × ×

जेलों में चक्की पिसाई

*१२—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसी जेलें कितनी हैं जिनमें कि कैदियों से चक्की पिसायी जाती है और कितनी ऐसी हैं जिनमें चक्की नहीं पिसायी जाती है ?

डाक्टर सीताराम—

४६ जेलों में कैदियों से चक्की पिसाई जाती है तथा १७ जेलों में कैदियों से चक्की नहीं पिसाई जाती।

श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार इस विषय पर पुनः विचार करेगी कि जिन कैदियों से अब भी चक्की पिसाई जाती है उन जेलों में चक्की पिसाना रोक दिया जाय ?

डाक्टर सीताराम—

जेल मैनुअल की धारा ८८९ के मुताबिक इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री झारखंडेराय—

क्या जेल मंत्री जी बतायेंगे कि इन ४६ जेलों में जहां चक्कियां पिसाई जा रही हैं वह आजादी के बाद भी १५–१६ वर्षों से पिसाई जा रही हैं, तो क्या वह इस योजना पर विचार कर रहे हैं कि इन जेलों में चक्कियां पिसाना बन्द करें ताकि अधिक उपयोगी कामों में उनके श्रम का इस्तेमाल हो सके ?

डाक्टर सीताराम—

४६ जेलों में, जैसा कि बताया गया है, उन कैदियों से जो कि दरी बनाना, कालीन बुनना, ऐग्रीकल्चर का काम करना, ऐसा कोई काम नहीं जानते उनसे पिसाई का काम लिया जाता है, सबसे नहीं लिया जाता।

श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

जिन जेलों में चक्की पिसाने का हुक्म है, क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उनमें हवालातियों से भी चक्की का काम लिया जाता है ?

श्री अध्यक्ष—

यह इससे सम्बन्धित नहीं है।

× × × ×

कारागार महानिरीक्षक के वैयक्तिक सहायक की नियुक्ति पर विचार

*१७—श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या कारागार मंत्री १७ सितम्बर, १९६२ के प्रश्न संख्या १० के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि कारागार महानिरीक्षक के वैयक्तिक सहायक की नियुक्ति का प्रश्न किस अवधि तक शासन के विचाराधीन रहेगा जब कि लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश ने एक पहले चुनाव करके भेज दिया है ?

डाक्टर सीताराम—

इस विषय पर शासन व लोक सेवा आयोग के बीच पत्र व्यवहार हो रहा है और इस मामले में अब यथाशीघ्र निर्णय लिया जायेगा। यह कहना ठीक नहीं है कि इस पोस्ट पर नियुक्ति के लिये लोक सेवा आयोग ने कोई औपचारिक चुनाव करके भेजा है।

यू० पी० जेल सहकारी समिति लिमिटेड, लखनऊ में गबन

*१८—श्री हिम्मतसिंह—

क्या कारागार मंत्री दिनांक २० अगस्त, १९६२ के प्रश्न संख्या ४ के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि ई० पी० नेगी के खिलाफ जो गबन सिद्ध हुआ है उस पर कारागार मंत्री को कार्यवाही करने का stage कब आवेगा ?

डाक्टर सीताराम—

चूंकि मामला अभी सहकारिता विभाग के विचाराधीन है इसलिए जेल विभाग द्वारा कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री हिम्मतसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि लोक सेवा आयोग और सरकार में कब से पत्र-व्यवहार हो रहा है और शासन का अन्तिम पत्र क्या है ?

डाक्टर सीताराम—

अन्तिम पत्र पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजा जा रहा है कि वह इस पद के लिये चुनाव करें।

श्री हिम्मतसिंह—

अन्तिम पत्र आयोग का क्या है ?

डाक्टर सीताराम—

उन्होंने जो लिखा है उसे सरकार नहीं मानती है।

× × × ×

फैजाबाद जेल में मृत्यु-दंड प्राप्त बन्दी दिल्लीपति की प्रार्थना

*३१—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री दिल्लीपति मृत्यु-दण्ड प्राप्त कैदी ने जो फांसी गारद नं० २, जिला कारागार फैजाबाद में बन्द है, एक दरख्वास्त कारागार मंत्री, महानिरीक्षक कारागार तथा जिलाधीश, फैजाबाद को दी है और ८ जुलाई सन् १९६३ से अनशन शुरू कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस प्रार्थना-पत्र की एक प्रति सदस्य की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

*३२—क्या सरकार को पता है कि उसकी दरख्वास्त १२ जुलाई, सन् १९६३ के दैनिक "आज" वाराणसी में भी प्रकाशित हो गई है ?

डाक्टर सीताराम—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री ऊदल—

क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि और कौन-सी सूचना एकत्रित की जा रही है ?

डाक्टर सीताराम—

जब तक जांच पूरी नहीं होगी, जो काफी सतर्कता से की जा रही है, तब तक मैं रिपोर्ट देना मुनासिब नहीं समझता।

श्री चन्द्रजीत यादव—

सवाल का जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा कि जांच हो रही है और सूचना एकत्र की जा रही है। इसका मतलब है कि उन्होंने मान लिया है कि देर हो रही है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी जांच की रिपोर्ट ३० सितम्बर तक सदन के सामने पेश करने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सीताराम—

३० तारीख को सम्भव नहीं है। चाहे एक जिले की बात हो या एक जेल की बात हो, जब सूचना एकत्रित की जा रही है तो नियम के अनुसार १४वें दिन इस प्रश्न का जवाब दिया जायगा।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

एक आदमी अनशन कर रहा है और वह फांसी का कैदी है। फिर भी, उसके साथ १४ दिन का नियम यह बरत रहे हैं। इस तरह की अनीति को आप रोकें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, यह १६ अगस्त को आप के पास भेजा गया और आज २७ सितम्बर है। मामला है फैजाबाद का जो केवल ८० मील है। तो क्यों इतनी देर लग रही है ?

डाक्टर सीताराम—

यह कहना कि कैदी मर रहा है, बिलकुल गलत है। ऐसी कोई इत्तिला सरकार को नहीं है। उसकी दरख्वास्त में ११ आरोप हैं और प्रत्येक आरोप की जांच हो रही है।

श्री अध्यक्ष—

उसने अनशन किया है या नहीं और "आज" अखबार में वह छपा है या नहीं ?

डाक्टर सीताराम—

इन सब की जांच हो रही है।

श्री अध्यक्ष—

यह सोमवार तक आ जाना चाहिये।

७ सितम्बर, १९६२ को सर्वश्री गणेशचन्द्र काछी तथा नरोत्तमसिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १० के उत्तर में शोधन ।

शिक्षा उप मंत्री (श्री केशभान)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से ७ सितम्बर, १९६२ को सर्वश्री गणेशचन्द्र काछी तथा नरोत्तम सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न १० के उत्तर में शोधन करता हूं—

मूल प्रश्न	मूल उत्तर
क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आगरा जिले में गवर्नमेन्ट नार्मल स्कूल एवं संबंधित गवर्नमेन्ट माडल स्कूल तहसील खैरागढ़ में ग्राम सैंया में जो खोला गया था वह स्कूल अचानक बन्द कर दिया गया तो वह अब फिर चालू हो गया है तो क्या उक्त स्कूल के बन्द कर देने से जो अध्यापक बेरोजगार हो गये थे, उन्हें सब को फिर से इसी स्कूल में नौकरी दे दी गई है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?	दोनों स्कूलों में से कोई भी स्कूल बन्द नहीं किया गया । राजकीय माडल स्कूल की केवल कक्षायें ६, ७ तथा ८ बन्द की गई थीं । इसके फलस्वरूप तीन सहायक अध्यापकों को अन्य राजकीय माडल स्कूलों में स्थानान्तरित कर दिया गया है ।
	संशोधित उत्तर
	दोनों स्कूलों में से कोई भी स्कूल बन्द नहीं किया गया । राजकीय माडल स्कल की केवल कक्षायें ६, ७ तथा ८ बन्द की गई थीं । इसके फलस्वरूप तीन सहायक अध्यापकों के पदों को उन राजकीय माडल स्कूलों में स्थानान्तरित कर दिया गया जिनमें कि अतिरिक्त अध्यापकों की मांग थी ।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

[२७ सितम्बर, १९६३ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

जे० टी० सी० तथा सी० टी० प्रशिक्षण

*१—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—

क्या यह भी सत्य है कि जब सी० टी० की ट्रेनिंग प्रचलित थी तब यह परिपाटी थी कि इन्टर पास ही उक्त प्रशिक्षण में लिये जाते थे, और इससे उच्चतम शिक्षा प्राप्त लोगों को उक्त प्रशिक्षण में नहीं रखा जाता था ?

शिक्षा उपमन्त्री (श्री केशभान)—

जी नहीं। पुराने सी० टी० की ट्रेनिंग में प्रवेश की न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल निर्धारित थी। इससे उच्चतम योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रवेश के लिये वंचित नहीं किया जाता था ।

श्री उमाशंकर—

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब तक हाई स्कूल से उच्च योग्यता वाले मिलते थे तब तक हाई स्कूल के प्रार्थना-पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाता था ?

श्री केशभान—

ऐसी बात नहीं है ।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

क्या मंत्री जी कोई प्रतिशत निश्चित करेंगे कि हाई स्कूल की क्वालीफिकेशन के भी इतने लोग चुने जावें ?

श्री केशभान—

अब जे० टी० सी० की न्यूनतम योग्यता इन्टरमिडिएट है ।

इंटर क्लास के अध्यापकों को एल० टी० का वेतन ग्रेड

*२—श्री रामसिंह तथा श्री बृजेश्वरसहाय (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गवर्नमेन्ट इन्टर कालेजों में कितने ऐसे अध्यापक हैं जो इन्टर क्लास को पढ़ाते हैं और उनको वेतन ग्रेड एल० टी० का ही मिलता है ? अगर ऐसा है, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)—

५८ अध्यापक । इनमें इन्टर कक्षाओं में कला एवं व्यायाम विषयों के ५० अध्यापक हैं जिनके लिये निर्धारित शैक्षिक योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए एल० टी० ग्रेड का वेतन-क्रम ही स्वीकृत है ।

अन्य विषयों के ८ अध्यापक या तो अतिरिक्त सेक्शनों के खुलने पर और या SSES की योग्यता वाले अध्यापकों के न मिलने के कारण अस्थाई रूप से रक्खे गये हैं।

ए० सी० ओ०, कुंवरपुर के विरुद्ध जांच

*३—श्री शिवनार्थसिंह (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला कानपुर की तहसील घाटमपुर के अन्तर्गत ए० सी० ओ० कुंवरपुर के विरुद्ध किन-किन विभागीय उच्च अधिकारियों को कब और कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए ? उनकी जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी और उसके विरुद्ध अब तक क्या विभागीय कार्यवाही की गयी ?

श्री बृजबिहारी—

आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है ।

*४—श्री शिवनार्थसिंह—

क्या यह सही है कि ए० सी० ओ० कुंवरपुर के विरुद्ध जांच करने हेतु डी० डी० सी० गये थे ? यदि हां, तो उन्होंने प्रार्थना-पत्र को जांच करके कितने समय में उच्च अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की ?

श्री बृजबिहारी—

आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है ।

*५—श्री शिवनार्थसिंह—

क्या ए० सी० ओ० कुंवरपुर के शिकायती-पत्र में निर्णय न देने के कारण किसी विधायक द्वारा मंत्रियों व अधिकारियों को विरोध पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बृजबिहारी—

आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री शिवनार्थसिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न २८-२-६३ को दिया गया था लेकिन पता नहीं अभी तक सूचना क्यों नहीं आयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उसमें जो सूचना हमारे पास आयी थी वह नाकाफी थी इसलिये उसके आधार पर संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जा सकता था, अभी और सूचना मांगी गयी है।

श्री शिवनार्थसिंह—

सूचना कब तक प्राप्त हो जायेंगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इसमें बहुत ज्यादा अनावश्यक विलम्ब नहीं किया जायगा।

विज्ञान अध्यापकों की कमी

*६—श्री रघुनार्थसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या शिक्षा मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर गया है कि इस राज्य के इन्टर कालेज की कक्षाओं के विज्ञान अध्यापकों की कमी की परेशानी आये दिन शिक्षा संस्थाओं को उठानी पड़ रही है ? यदि हां, तो विज्ञान जैसे उपयोगी विषय की पढ़ाई सुचारु रूप से की जाने के लिये क्या वे अविलम्ब कदम उठायेंगे ? यदि हां, तो वे कदम क्या होंगे ?

श्री केशमान—

जी हां। आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। निम्नलिखित कदम विचाराधीन है :

१—इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालयों में एक वर्ष का संक्षिप्त डिप्लोमा कोर्स (Condensed Diploma course) जो B. Sc. Teachers के लिये होगा, खोलना। B. Sc. पास इसमें भर्ती होंगे और डिप्लोमा प्राप्त करने के उपरान्त इन्टर कक्षाओं में विज्ञान पढ़ाने के लिये मान्य होंगे।

२—विज्ञान अध्यापकों को अधिक संख्या में आकृष्ट करने के लिए एम० एस० सी० अध्यापकों को अग्रिम वेतन वृद्धि (Advance Increments) देने का प्रस्ताव है।

श्री रघुनार्थसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह जो संक्षिप्त डिप्लोमा कोर्स खोलने की बात है—क्या वह इस जुलाई से खोल दिया गया है ? यदि नहीं, तो उसको खोलने में क्या कठिनाई है ?

श्री केशभान—

जुलाई में नहीं खोले गये हैं। इस पूरी योजना पर सरकार बिचार कर रही है। वित्त विभाग में इस पर कार्यवाही हो रही है।

श्री रघुनार्थसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो डिप्लोमा प्राप्त बी० एस० सी० अध्यापक होंगे क्या उनको इन्टरमिडिएट का निर्धारित ग्रेड दिया जायगा ?

श्री केशभान—

जी हां।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

श्री मेघनार्थसिंह शिशोदिया (जिला मेरठ)—

जो बी० एस० सी० हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट कक्षाओं को पढ़ाते हैं उनको क्या ८० रुपये का अनट्रेन्ड ग्रेड दिया जायगा अथवा ट्रेण्ड ग्रेजुएट का ग्रेड दिया जायगा ?

श्री केशभान—

ऐसा करने पर सरकार विचार कर रही है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

विज्ञान अध्यापकों की कमी इसलिये है कि जो साइंस के स्कूल खोलना चाहते हैं उनको उदारतापूर्वक साइंस की कक्षा खोलने के लिये रिकग्नीशन नहीं दे रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप उल्टा सवाल पूछ रहे हैं ।

श्री रघुनार्थसिंह—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बतायेंगे कि योग्यता प्राप्त विज्ञान के शिक्षक जिन संस्थाओं में नहीं हैं उन संस्थाओं में कमी को जल्द पूरी करने के लिये कुछ छूट देने का यहां से कोई निर्देश मंत्री जी देंगे ?

श्री केशभान—

यह बिचार किया जा रहा है कि जो अनट्रेन्ड हैं उनको कुछ और ग्रेड दे दिया जाय, बी० एस० सी० हैं लेकिन अनट्रेन्ड हैं उनको ट्रेन्ड ग्रेजुएट का ग्रेड दिया जाय और जो ट्रेन्ड हैं उनको ऐडवान्स इन्क्रीमेंटस दिये जायं ।

बर्डघाट पुल पर व्यय

*७—श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा गोरखपुर जिले में बर्डघाट पुल पर पहली अप्रैल, सन् १९६२ से १५ फरवरी, सन् १९६३ तक कुल कितना रुपया किस-किस मद में खर्च हुआ है ?

परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री गनेशीलाल चौधरी)—

उक्त अवधि में कुल २,५५,५९७ रुपये ७१ नये पैसे खर्च हुए। खर्च का विवरण सदस्य महोदय की मेज पर रखी सूची में दिया है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ६४५ पर)

*८—श्री कल्पनार्थसिंह—

उक्त १५ फरवरी, तक पुल की सड़क को छोड़कर केवल पुल पर कुल कितना रुपया खर्च हुआ है और पुल की कुल कितनी अनुमानित लागत थी तथा अब कुल कितना रुपया व्यय करने का अनुमान है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

१५ फरवरी, १९६३ तक केवल पुल पर ३६,०८,३५२ रुपये ९१ नये पैसे खर्च हुए हैं ।

पुल की अनुमानित लागत ४१.४३ लाख रुपया थी परन्तु अब कुल ४७.६२ लाख रुपया व्यय करने का अनुमान है ।

*९—श्री कल्पनार्थसिंह—

पुल की सड़क पर कुल कितना रुपया व्यय होने वाला था और उक्त तारीख तक कुल कितना रुपया व्यय हुआ ?

श्री गनेशीलाल चौधरी--

पुल की सड़क पर कुल ६,५८,६६८ रुपया व्यय करने का अनुमान था, परन्तु उक्त तारीख तक कुल ६,८६,३०० रुपया व्यय हुआ ।

श्री कल्पनार्थसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त हिसाब की कोई आडिट करायी गयी है ? यदि हां, तो आडिट रिपोर्ट में कुछ अनियमितता का जिक्र किया गया है? यदि हां, तो उक्त अनियमितता क्या है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी--

इसकी सूचना तो नहीं है ।

श्री कल्पनार्थसिंह--

श्रीमन्, आज ही के दिनांक में लगे हुए अतारांकित प्रश्न ४७-४८ के उत्तर में सरकार की तरफ से कहा गया है "जी हां, महालेखाकार ने कुछ आर्थिक अनियमितता बतलायी है, जैसे कि टेंडर पर निर्णय लेने में अधिक देरी, ठेकेदारों को आवश्यकता से कहीं अधिक सामग्री देना, ठेकेदारों को बांड की शर्तों के विरुद्ध कुछ मदों के अन्तर्गत अधिकृत रूप में भुगतान करना, काफर डाम के निर्माण में निरर्थक व्यय आदि ।" तो क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह उत्तर फिर किस आधार पर दिया गया है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)--

इस प्रश्न के बारे में जो सूचना मौजूद है उसी बुनियाद पर यह जवाब दिया गया है । दूसरे प्रश्न ४७-४८ जब आयेंगे तो उस समय माननीय सदस्य और सूचना मांग लेंगे ।

श्री कल्पनार्थसिंह---

अतारांकित प्रश्न यहां कैसे आयेगा ?

श्री अध्यक्ष---

४७-४८ अतारांकित प्रश्न हैं । अतारांकित प्रश्न पर यहां ओरल स्टेटमेन्ट नहीं होता, तो उसके ऊपर सवाल करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । माननीय सदस्य और प्रश्न पूछ लें ।

श्री कल्पनार्थसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या मंत्री जी को या चीफ इंजीनियर को कोई आवेदन-पत्र इस गड़बड़ी के संबंध में शिकायती रूप में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो वह आवेदन-पत्र किस व्यक्ति का है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गनेशीलाल चौधरी--

इसकी सूचना तो नहीं है कि कोई आवेदन-पत्र या शिकायत मिली है । जो प्रश्नों में पूछा गया है, यह बिलकुल साफ-साफ है कि इतना रुपया खर्च हुआ है ।

श्री कल्पनार्थसिंह--

श्रीमन्, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि जो ६ लाख कुछ हजार रुपये का एस्टीमेट था, उतना खर्च करने के बाद भी इस पर और रुपया खर्च किया जा रहा है ?

श्री गिरधारीलाल—

खासतौर से इसके दो कारण हैं। कुछ रुपया तो जो पुल टूटा है उसकी वजह से बढ़ा है। उससे कुछ नुकसान हुआ है। साथ ही उस समय से इस वक्त महंगाई बढ़ जाने से कुछ एस्टीमेट बढ़ गया है।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, १९६२ से १५ फरवरी, १९६३ के बीच में ही वर्डघाट का पुल टूट गया था? यदि हां, तो कब टूटा और क्यों टूटा?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

श्रीमन्, वह १४ जुलाई, १९६१ को प्रातः काल टूट कर गिर गया। वह क्यों टूटा यह बताना कठिन है।

श्री अध्यक्ष—

आप यह पूछिये कि टूटने के, कारणों की जांच कराई या नहीं?

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो खर्च बढ़ गया है उसके बढ़ने का एक कारण यह भी है कि महालेखापाल ने जो अनियमितताओं की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है उन अनियमितताओं की जांच नहीं की गई और उसके बाद यह खर्च और बढ़ गया है और यह बढ़ोत्तरी इसलिये दिखाई गई है ताकि उन अनियमितताओं को उसके अन्दर छिपाया जा सके?

श्री गिरधारीलाल—

मैंने पहले ही कहा कि इस प्रश्न के उत्तर में जो सूचना है उसमें महालेखापाल की रिपोर्ट की कोई सूचना नहीं है, अगर वह उनके पास है तो वह मुझ से दफ्तर में मिल लें, मैं उसकी देखभाल कर लूंगा।

श्री कल्पनाथसिंह—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पुल की सड़क पर मिट्टी फेंकने में या सड़क बनाने में यह जो खर्च एस्टीमेट से बढ़ गया है इसका क्या कारण है?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

कारण यह है कि सड़क का साइट एलाइनमेंट बदला गया था, बाद में वह कुछ टेढ़ा था बाद में उसे सीधा किया गया है, इस तरह से खर्च कुछ बढ़ गया।

श्री कल्पनाथसिंह—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पहले सड़क की लम्बाई कितनी थी और जब सीधी हो गई तो कितनी हो गई?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

डेढ़ फर्लांग सड़क कम हो गई।

श्री कल्पनाथसिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रश्न ७-८ और ४७-४८ एक ही नेचर के हैं लेकिन उनका जवाब दो तरह से दिया गया है, ४७-४८ के जवाब में कठिनाइयां दी गईं लेकिन ७-८ के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि सूचना नहीं है, एक ही नेचर के प्रश्न हैं और दो तरह से उत्तर दिये गये हैं, क्या यह उचित है?

श्री अध्यक्ष—

सबजेक्ट तो एक ही है, एक ही प्रश्न हैं दोनों; अगर देखकर आते एक साथ तो उनको भी और सदन को भी सुविधा होती। उनको देखना चाहिये था, इन प्रश्नों की तैयारी करते वक्त उन्होंने यह नहीं देखा कि अतारांकित प्रश्नों के उत्तर में जवाब हो चुके हैं।

श्री कल्पनार्थासिंह—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पुल का अनुमानित व्यय ४१,४३,००० रुपया पहले था और बाद में वह बढ़ कर ४७,६२,००० रुपया हो गया जब कि वह डेढ़ फर्लांग कम हो गया, तो क्या वह इसकी जांच करायेंगे ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

इसकी जांच की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

यह एक्सप्लेन किया जाय कि सड़क कम हो गई तो खर्च ज्यादा क्यों हो गया।

श्री गिरधारीलाल—

इस खर्च के ज्यादा होने के खास कारण हैं, पहले एलाइनमेंट का दूसरा एस्टीमेट था, बाद में केन्द्रीय सरकार के चीफ इंजीनियर ने एलाइनमेंट को बदला और दूसरे एलाइनमेंठ में कुछ एम्बेंकमेंट रोड बनाना पड़ती थीं, सड़क को नीचा करना पड़ता था और कुछ ग्रोव्ज का कम्पेनसेशन देना पड़ता था जो दस-ग्यारह गुना होता था; इस तरह से वह बढ़ गया है।

तुलसीपुर–हरैया सड़क का निर्माण

*१०—श्री ईश्वरशरण (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पत्र संख्या १८७४/४सी—२३ पी० डब्लू० ए०–५४७-सी०–५७, मई, १९६० में श्री कृष्णकान्त घोष, सहायक सचिव, ने एक पत्र के उत्तर में स्वीकार किया था कि सरकार गोंडा जिले में तुलसीपुर–हरैया सड़क का निर्माण सी० सी० ट्रैक का विचार कर रही है परन्तु अभी तक यह कार्य आरम्भ नहीं हुआ है ? यदि हां, तो सरकार क्या इस कार्य को तराई क्षेत्र विकास हेतु तुरन्त आरम्भ करेगी ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

जी हां। इस सड़क को योजना में सम्मिलित कर लिया गया है और निर्माण कार्य आरम्भ करने के आदेश दिये जा चुके हैं।

श्री ईश्वरशरण—

क्या सरकार बतलायेगी कि इसकी मंजूरी सन् ६० में दी गयी थी और ६३ में वह बन रही है, तो इस सड़क को खत्म होने में अभी कितने दिन और लगेंगे ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

यह सड़क तुलसीपुर फैक्टरी एरिया में आती है। पहले इसमें १९५७ में सी० सी० ट्रेक मंजूर हुआ था। बाद में चीफ इंजीनियर ने इस सड़क के बजाय तुलसीपुर–हरैया ३ मील की सड़क ली थी। वह पेंटेड बनी इसलिये इसमें देर लगी।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

तुलसीपुर सी० सी० ट्रैक के सम्बन्ध में वहां पर पत्थर और रोड़ी सब गिरायी गयी थी और अब वह उठाई जा रही है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

इस वक्त सूचना नहीं है ।

घुघली क्षेत्र में सड़कों का निर्माण

*११—श्री अष्टभुजप्रसाद वर्मा (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोरखपुर में घुघली तथा परतावल विकास क्षेत्रों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में सरकार ने कौन-कौन सी सड़कों का निर्माण किया ?

श्री गिरधारीलाल—

घुघली क्षेत्र में निम्नलिखित सड़कों पर निर्माण कार्य हुआ है—

(१) घुघली शिकारपुर सी० सी० ट्रैक,
(२) विशनपुर पकड़ी सी० सी० ट्रैक,
(३) पौहरिया कौवासार सी० सी० ट्रैक,
(४) बासपार पी० डब्लू० डी०,
(५) मंगलपुर पटखोली से मठिया,
(६) पोखर भिन्डा से अमोठा ।

परतावल क्षेत्र में कोई सड़क नहीं बनायी गई ।

फर्रुखाबाद जिले तथा शराबबन्दी क्षेत्रों में शराब की दुकानें

*१२—श्री महरामसिंह (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद में जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय व रामानन्द इंटर कालेज व फतेहगढ़ में अध्यापिकाओं के बोर्डिग हाउस, लड़कियों के स्कूल तथा श्री गांधी आश्रम के पास शराब की दुकानें खोली गयी हैं और लोगों के द्वारा अनुरोध किये जाने पर भी स्थान तब्दील नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

चिकित्सा उपमंत्री (श्री धर्मसिंह)—

फर्रुखाबाद में मद्य-निषेध के पूर्व भी शराब की दूकानें जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय व रामानन्द इंटर कालेज के निकट थीं । मद्यनिषेध समाप्त होने पर भी वर्तमान दुकानें पुरानी दूकानों की स्थिति के निकट रखी गईं । फतेहगढ़ में कोई शराब की दूकान अध्यापिकाओं के बोर्डिग हाउस, लड़कियों के स्कूल तथा श्री गांधी आश्रम के निकट नहीं है फिर भी पलरा (फर्रुखाबाद) व संगत (फतेहगढ़) की देशी शराब की दूकानें, जिनके खिलाफ शिकायतें थीं, अपनी पहली जगहों से हटा दी गई हैं ।

*१३—श्री महरामसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि धार्मिक तथा सार्वजनिक स्थानों पर शराब की दुकानें खोलने की मनाही के सरकार के आदेश हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश न मानने वालों के विरुद्ध सरकार उचित कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री धर्मसिंह—

आबकारी मैनुअल भाग १ के नियम ३१४(१) के अन्तर्गत ही शराब की दूकानों के स्थान निर्धारित किये जाते हैं । इस प्रकार की शिकायत नहीं प्राप्त हुई है ।

*१४—श्री महरामसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि किन-किन जिलों में शराब बन्द थी, उनमें जिलेवार ठेके देकर दुकानें खोलने की संख्या क्या हैं तथा उसमें आय-व्यय का अब तक का ब्यौरा, क्या है ?

श्री धर्मसिंह—

प्रदेश के कानपुर, फर्रुखाबाद, एटा, बदायूं, मैनपुरी, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर और जौनपुर जिलों में शराब बन्द थी। उसके अतिरिक्त हरद्वार, वृन्दावन व ऋषिकेश के धार्मिक स्थानों पर भी मद्य-निषेध था। १९६२-६३ व १९६३-६४ में इन जिलों में ठेका देकर दुकानें खोलने की संख्या व उनसे आय-व्यय का ब्योरा संलग्न नक्शा नं० १ व २ में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ६४६–६४७ पर।)

श्री महरामसिंह—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि फर्रुखाबाद जिला कांग्रेस कमेटी और रामानन्द इंटर कालेज के सामने पहले भी दूकान थी, तो वह दूकान पहले कितनी दूर थी और फतेहगढ़ में अध्यापिकाओं के बोर्डिंग हाउस और लड़कियों के स्कूल से अब कितनी दूर वह दुकान है और गांधी आश्रम कितनी दूर वहां से पड़ता है ?

डाक्टर सीताराम—

दूरी तो नहीं मालूम है लेकिन प्रोहीबीशन लागू होने से पूर्व, अर्थात् १९४८ से पूर्व, जो दूकानें जहां पर थीं १९६० में उसी स्थान पर वे दूकानें खोलने के लिये राजाज्ञा दी गयी। जिलाधीश ने कहा कि स्कूलों, मंदिरों के पास जहां तक संभव हो सके ये दुकानें न खोली जायं लेकिन चूंकि ये दूकानें ४८ से पहले की हैं इसलिये जिलाधीश ने खोल दीं। लेकिन फिर भी आबकारी मैनुअल की धारा ३१४ के मुताबिक कोई शिकायत आती है तो दूकानों को दूर हटाया भी जा सकता है जैसा कि इस जिले में किया गया।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

क्या प्रान्त भर से माननीय मुख्य मंत्री के पास ऐसी शिकायतें आई हैं खासकर, जैसे सहारनपुर के मुताल्लिक लिखित रूप में शिकायत पेश की गयी हैं, कि पुरानी दुकानें या नई जो खोली जा रही हैं वे मंदिर, स्कूल और अस्पताल के नजदीक २०० गज एरिया के अन्दर खोली जा रही हैं उसको सरकार बन्द करने की आज्ञा देगी ?

डाक्टर सीताराम—

नियम की बात तो सही है लेकिन जैसा कि माननीय सदस्य ने सहारनपुर के बारे में कहा तो उस सम्बन्ध में जिलाधीश की आख्या मांगी गयी है। आख्या आ जाने पर उस पर उचित कार्यवाही की जायेगी। भविष्य में, जैसा कि बतलाया गया है, एक्साइज मैनुअल के पैरा ३१४ के अन्तर्गत कोई भी दुकान स्कूलों और धार्मिक संस्थाओं के पास नहीं खोली जायेंगी। हर जिले में एक लाइसेंसिंग बोर्ड है और उसका काम है .....

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, प्रश्न सिर्फ इतना है कि जहां-जहां पर धार्मिक संस्थाओं या स्कूलों के पास दुकानें हैं उनको वहां से हटाने का प्रयत्न किया जायगा या नहीं।

डाक्टर सीताराम—

जो पुरानी दुकानें हैं उनके सम्बन्ध में तो कोई नियम नहीं है, लेकिन जहां तक नई दुकानों का प्रश्न है, मैंने अभी बतलाने का प्रयास किया है कि हर जिले में लाइसेंसिंग बोर्ड है जिसमें

१०-११ मेम्बर्स होते हैं और उन मेम्बर्स की संस्तुति के पश्चात् जिलाधीश अपनी रिकमेन्डेशन कमिश्नर और शासन के पास भेजता है तब यहां से आज्ञा दी जाती है । अगर कोई ऐसी आपत्ति हो तो माननीय सदस्यों को चाहिये कि जिलाधीश जो उस बोर्ड के एक मेम्बर होते हैं उनके सामने उस चीज को रखें और उनसे कहें कि वह अपनी रिकमेन्डेशन शासन के समक्ष न भेजें ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या सरकार यह निश्चित रूप से कह सकती है कि जहां-जहां दुकानें खोली गयी हैं स्थानीय कमेटियों से परामर्श कर लिया गया है ?

डाक्टर सीताराम—

जिन जिलों में ऐडवाइजरी कमेटीज हैं, लाइसेंसिंग बोर्ड्स हैं, वहां पर बिना उनकी राय के कोई भी दुकान नहीं खोली जाती ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद जिले के राजेपुर क्षेत्र में और राजेपुर कस्बे में जो आर्य समाज मन्दिर के निकट दुकान शराब की है वह कितनी पुरानी है ?

डाक्टर सीताराम—

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या माननीय शराब मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में पवारा नामक बाजार में शराब की दुकान और मंडल कांग्रेस कमेटी, पवारा का दफ्तर एक ही भवन में है ?

डाक्टर सीताराम—

नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जब एक्साइज मैनुअल में इस बात की व्यवस्था की गयी है कि सार्वजनिक संस्थाओं के करीब कोई दुकान इस तरह की नहीं खोली जा सकती है तो माननीय मंत्री जी को क्या दिक्कत है कि जिलाधीश को, जो कि ऐडवाइजरी कमेटी की प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी होता है और ऐडवाइजरी कमेटी उसकी अध्यक्षता में सरकार को एडवाइज करने के लिये होती है, यह आदेश दें कि जो भी दुकानें सार्वजनिक संस्थाओं के पास हैं वे हटा ली जायं ?

डाक्टर सीताराम—

अध्यक्ष महोदय, पुरानी दुकानें आज की नहीं, ४०-५० वर्ष पुरानी हैं । अगर प्रदेश भर की ऐसी दुकानों को हटाया जाय तो हर जिले की व्यवस्था बिगड़ जायगी ।

पवोसा ग्राम समाज की सम्पत्ति

*१५—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला इलाहाबाद तहसील मन्झनपुर के ग्राम पवोसा की ग्राम सभा में सम्पत्ति पहाड़ है और पत्थर निकलते हैं, इस आराजी नम्बरी १२४२, १५५९ को काश्त की जमीन दर्ज किया है ? यदि हां, तो किसके आदेश से और क्यों ?

श्री बृजबिहारी—

तहसील मंझनपुर के ग्राम पबोसा की आराजी नम्बर १२४२ पहाड़ सन् १३६२ फसली तक दर्ज थी और ग्राम समाज की सम्पत्ति थी। इस नम्बर से पत्थर निकाले जाते हैं। यह आराजी तहसीलदार मंझनपुर के आदेश के आधार पर सीरदारी दर्ज की गई।

आराजी नम्बर १५५६ ग्राम समाज की सम्पत्ति है परन्तु न तो यह पहाड़ है और न इस से पत्थर निकलते हैं। इस नम्बर के ६ बिस्वा रकबे को श्री बाबूलाल ने अनाधिकार रूप में जोत लिया था। कानूनगो के आदेश के अनुसार उनका नाम खतौनी के वर्ग ४ में दर्ज कर दिया गया है।

श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिनके नाम सीरदारी दर्ज की गई है वह कब की गई है और उनके नाम क्या हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

बाबूलाल नाम है। तारीख नहीं मालूम कि कब दर्ज की गई।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन सज्जन के नाम सीरदारी दर्ज हुई है उसका कब्जा कितने सालों का इन्दराज है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इसके लिये नोटिस की जरूरत है। सन् याद नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों का समय समाप्त।

गोरखपुर तथा आजमगढ़ जिलों में राजकीय आदर्श विद्यालयों के अस्थायी अध्यापक

*१६—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर उप-शिक्षा निदेशक के क्षेत्र में राजकीय आदर्श विद्यालयों में कितने ऐसे अध्यापक हैं जो सन् १९४९ से कार्य कर रहे हैं परन्तु अब तक उन्हें स्थायी नहीं किया गया है ? क्या सरकार उसकी एक सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—

कोई नहीं।
प्रश्न नहीं उठता।

*१७—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त क्षेत्र में ही राजकीय आदर्श विद्यालयों के ऐसे भी अध्यापक हैं जो सन् १९५९ के बाद से कार्य कर रहे हैं और उन्हें स्थायी कर दिया गया है ?

आचार्य जुगलकिशोर—

जी हां, एक अध्यापक।

*१८—श्री चन्द्रजीत यादव—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ राजकीय आदर्श विद्यालय में इस समय कुल कितने अध्यापक हैं ? वहां वे कितने दिनों से अध्यापन कार्य कर रहे हैं और उनमें से कितने अभी तक अस्थायी हैं और क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—

१० अध्यापक । प्रत्येक का विवरण संलग्न सूची में दिया गया है ।

दो अध्यापक अस्थायी हैं, जिनमें से एक के स्थायीकरण की कार्यवाही जारी है । दूसरे की नियुक्ति १८ जुलाई, १९६३ को ही हुई है । इसलिये अभी स्थायीकरण का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ६४८ पर)

बदायूं जिले में बड़ी गंगा तथा रामगंगा के कटाव-पीड़ितों को सहायता

*१९—श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनवरी, सन् १९६१ से अब तक जिला बदायूं में बड़ी गंगा तथा राम गंगा द्वारा कितनी भूमि तथा मकान कट कर पानी में गिर चुके हैं अथवा पानी में डूब गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

बदायूं जिले में जनवरी १९६१ से १५ और १५ मार्च १९६३ तक गंगा तथा राम गंगा नदियों के कटाव से कुल १३८१ मकान तथा १०,२९४ एकड़ भूमि कट चुकी है ।

*२०—श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या इस क्षतिपूर्ति की कोई योजना सरकार के पास विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या और वह कब तक लागू हो रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कटाव से पीड़ित व्यक्तियों को सहायता के रूप में ३,१२५ रु० ३७ न० पै० अहेतुक सहायता, १,५८० रु० मकान निर्माण हेतु निःशुल्क सहायता तथा १५,५४० रु० तकावी दी गई तथा जिन व्यक्तियों के मकान कट गये थे उनको दूसरी जगह बसा दिया गया है ।

उन्नाव जिले में गंगा के कटाव-पीड़ितों को सहायता

*२१—श्री गोपीनाथ दीक्षित (जिला उन्नाव)—

क्या सरकार को यह भी पता है कि उन्नाव जिले की ओर गंगा नदी की धारा प्रायः ४ मील हट गयी है और इसके कारण उन्नाव जिले के सैकड़ों ग्राम धारा की चपेट में आ गये हैं और बराबर कटते जा रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उन्नाव जिले की ओर गंगा की धारा २१ मार्च, १९६३ तक १ मील से लेकर लगभग ३ मील तक हट गई, जिसके कारण हुए कटाव से केवल २८ ग्रामों में हानि पहुंची ।

*२२—श्री गोपीनाथ दीक्षित—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला उन्नाव में कुल कितने ग्राम धारा हटने से प्रभावित हुए हैं और उनके निवासियों को क्या सुविधा दी गयी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उक्त प्रश्न के उत्तर में जैसा कहा गया है, केवल २८ ग्राम प्रभावित हुए । प्रभावित व्यक्तियों को ३,३०५ रु० को गृह-निर्माण सहायता तथा १,०५० रु० को अहेतुक सहायता दी गई। इसके अतिरिक्त १९६१–६२ में प्रभावित ग्रामों में ८,९८६ .०४ न० पै० की मालगुजारी में छूट दी गई ।

तहसील उन्नाव में १९६१–६२ तथा १९६२–६३ में जो व्यक्ति प्रभावित हुए थे उनके लिये निःशुल्क भूमि, लकड़ी और पतावर आदि की व्यवस्था की गई । तहसील सफीपुर के आबादी के कटाव वाले ग्रामों के प्रभावित व्यक्तियों को उनकी इच्छानुसार पास के ग्रामों में बसा दिया गया ।

तुलसीपुर नैपाल बार्डर सड़क

*२३—श्री केदारनाथ भार्गव तथा श्री ईश्वरशरण (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एक पत्र के उत्तर में दिनांक ९ मई, १९६१ के सरकारी पत्र संख्या २०९५ –सी० /२३पी० डब्ल्यू० ए–१३३–सी० ५८ में सरकार ने तुलसीपुर के पुराने बाजार के सड़क को बनवाने का निश्चय तृतीय पंचवर्षीय योजना में कर दिया था परन्तु अब तक यह सड़क निर्माण नहीं की जा सकी ? तो क्या सरकार नगर की असुविधा को देखते हुए इस कार्य को तुरन्त आरम्भ करने का विचार कर रही है ?

श्री गिरधारीलाल—

तृतीय पंचवर्षीय योजना में तुलसीपुर नैपाल बार्डर सड़क (१ मील) का निर्माण सम्मिलित है । चूंकि तुलसीपुर बाजार की सड़क घने क्षेत्र से होकर गुजरती है जिसमें भारी यातायात के लिये अति कठिनाई होती है, इसलिये तुलसीपुर में बाई पास बनाने का निश्चय किया गया और यह कार्य प्रगति में है ।

फतेहगढ़ तथा अन्य राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अस्थायी अध्यापक

*२४—श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में १० वर्ष से अधिक हुए कार्य कर रहे अध्यापकों को स्थायी पद पर नियुक्त न करने का क्या कारण है और ऐसे अध्यापक कितने हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, द्वारा अध्यापकों का न चुना जाना एवं स्थाई रिक्तियों का अभाव । ऐसे अध्यापकों की संख्या ३१० है ।

*२५—श्री राजेन्द्रसिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिला में फतेहगढ़ राजकीय इन्टर कालेज में ऐसे कितने अध्यापक हैं जो १० वर्ष से अधिक हुए कार्य कर रहे हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन से भी चुने जा चुके हैं किन्तु उनको स्थायी पद नहीं प्राप्त हुआ ?

आचार्य जुगलकिशोर—

एक अध्यापक ।

घाटमपुर तहसील में चकबन्दी अधिकारी की पदोन्नति

*२६—श्री शिवनार्थसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला कानपुर की तहसील घाटमपुर के अन्तर्गत १ दिसम्बर, १९६२ से २० फरवरी, सन् १९६३ तक किस चकबन्दी कानूनगो से ए० सी० ओ० व ए० सी० ओ० से सी० ओ० व सी० ओ० से एस० ओ० सी० का कार्य कराया गया ? यदि हां, तो क्यों तथा उक्त चकबन्दी कर्मचारियों की पदोन्नति का क्या आधार अपनाया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उक्त पदोन्नतियों से संबंधित एक तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है। वित्तीय वर्ष १९६२–६३ के लिये निर्धारित चकबन्दी कार्य के लक्ष्य की पूर्ति के लिये स्वीकृत कुछ अतिरिक्त पदों को भरने के लिये इन कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया। यह पदोन्नतियां अल्प समय के लिये की गई थी और ज्येष्ठता का आधार, जो कि इन पदों पर पदोन्नति करने के लिये मान्य आधार है, पूर्णतया नहीं अपनाया जा सका, क्योंकि वैसा करने से कार्य कर्त्ताओं में काफी रद्दोबदल करनी पड़ती, जो कार्य को सुचारु प्रगति में बाधक होती। फिर भी यथा-संभव ज्येष्ठता का ध्यान रखा गया।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ६४९ पर।)

विलीन काशी राज्य के सहायक अध्यापक

*२७—श्री उमाशंकर तिवारी (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि विलीन काशी राज्य के सहायक अध्यापक जो काशी राज्य क विलीन होन क उपरान्त सरकारी कर्मचारी हो गये थे और जो अपनी सर्विस रिटायर्ड होने के बाद, अगस्त, सन् १९६२ में पेन्शन पाने हेतु कोई प्रार्थना-पत्र चीफ सेक्रेटरी के पास दिया था ? अगर हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

आचार्य जुगलकिशोर—

ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र शासन को प्राप्त हुआ नहीं मालूम पड़ता।
प्रश्न नहीं उठता।

एच० टी० सी० के लिये चुनाव

*२८—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि सन् १९६२ में प्रदेश में कितने अभ्यर्थी एच० टी० सी० के लिये चुने गये, उनमें से कितने हाई स्कूल से कम योग्यता के हैं और कितने हरिजनों के हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—

प्रदेश में सन् १९६२ में एच० टी० सी के लिये ५,८८७ अभ्यर्थी चुने गये थे। उनमें से ८९४ हाई स्कूल से कम योग्यता के थे और ७४१ हरिजन जाति के।

गोरखपुर जिले में सेवा खंड भवनों का निर्माण

*२९—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय प्रसार सेवा खन्ड, बड़हलगंज बेल घाट और पिपरौली जिला गोरखपुर के भवन निर्माण के लिये पी० डब्लू० डी०

टेम्पोरेरी डिवीजन गोरखपुर द्वारा किन-किन सामानों को खरीद की गई और उक्त सामानों का अलग-अलग कितना भुगतान किस रेट से अब तक किया गया है ?

श्री गिरधारीलाल—

कथित भवनों के निर्माण के लिये जिन सामानों की खरीद की गई तथा जितना भुगतान जिस दर से किया गया, उसकी सूचना (सूची "क") माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६५०–६५४ पर।)

*३०—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त भवनों के लिये जिन सामानों की खरीद की गई है उसके लिये टेन्डर मांगा गया ? यदि हां, तो क्या उसकी सूचना समाचार-पत्रों में प्रसारित हुई ? यदि नहीं, तो क्यों—

(क) जी हां।
(ख) जी नहीं।
(ग) क्योंकि कार्य स्थानीय एवं ५०,००० रु० से कम का था ?

*३१—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उपरोक्त ब्लाकों के निर्माण के लिये किन-किन व्यक्तियों द्वारा पी० डब्लू० डी० के टेम्पोरेरी डिवीजन गोरखपुर ने ईंटों को खरीदा और उनको किस रेट से कितना कोयला दिया ?

श्री गिरधारीलाल—

जिन व्यक्तियों द्वारा ईंटें खरीदी गईं तथा उनको जिस रेट से जितना कोयला दिया गया, उसका विवरण (सूची 'ख') माननीय सदस्य की मेज पर रख दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ६५०–६५४ पर।)

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भूख हड़ताल

*३२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूनियन के महामंत्री सत्य देव त्रिपाठी २ दिन से यूनियन हाल में भूख-हड़ताल कर रहे हैं ? यदि हां, तो छात्रों की क्या मांगें हैं तथा उन मांगों पर सरकार ने कौन-सी कार्यवाही की ?

आचार्य जुगलकिशोर—

इस समय कोई भी भूख-हड़ताल नहीं हो रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

सड़कों की निर्माण योजना

*३३—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पूर्वीय तराई जिलों में संचार साधनों के विकास योजना के अन्तर्गत तीसरी पंचवर्षीय योजना में किस जिले की कौन-कौन-सी सड़कें कहां से कहां तक कितनी लम्बी बनवाने अथवा पक्की करने का लक्ष्य है ?

श्री गिरधारीलाल—

यह सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी हुई† तालिका में दी हुई है।

---

†छापी नहीं गई।

बहगवां ग्राम की परती भूमि

*३४—श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं तहसील सहसवान के ग्राम बहगवा में ऐसी भूमि कितनी है जो कि किसानों के नाम इन्दराज है परन्तु परती पड़ी हुई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

८३ एकड़ ।

*३५—श्री उल्फतसिंह यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त ग्राम की किसी परती भूमि की बेदखली के लिये संबंधित हाकिम परगना तथा तहसीलदार के आदेश के बाद भी प्रधान द्वारा बेदखली नहीं कराई गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उपर्युक्त किसी भी भूमि की बेदखली के संबंध में तहसीलदार अथवा परगनाधीश के आदेश नहीं प्राप्त हुए । दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

*३६—श्री उल्फतसिंह यादव—

यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

प्रश्न नहीं उठता ।

घाटमपुर तहसील से चकबन्दी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें

*३७—श्री शिवनाथसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला कानपुर के तहसील घाटमपुर के अन्तर्गत १ सितम्बर, १९६२ से १५ फरवरी, १९६३ तक किन-किन चकबन्दी कर्मचारियों के विरुद्ध रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, दुर्व्यवहार के कितने व किसके प्रार्थना-पत्र सरकार व उच्च विभागीय अधिकारियों को प्राप्त हुए और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

आवश्यक सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ६५५–६५७ पर।)

सिकन्दराराऊ तहसील से चकबन्दी अधिकारियों के खिलाफ शिकायत

*३८—श्री उमाशंकर—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील सिकन्दराराऊ, जिला अलीगढ़, के किसी चकबन्दीकर्त्ता के विरुद्ध रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार की कुछ शिकायतें जनता की ओर से विभागीय अधिकारियों को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो किस चकबन्दी कर्त्ता के विरुद्ध और उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

अब तक तहसील सिकन्दराराऊ, जिला अलीगढ़, में १० चकबन्दी कर्त्ताओं के विरुद्ध रिश्वतखोरी एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें विभागीय अधिकारियों को प्राप्त हुईं । इन चक-

बन्दी कर्त्ताओं के नाम तथा उनके विरुद्ध की गई शिकायतों के विवरण की सूची सदन की मेज पर रखी गई है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ६५८ पर)

*३९—श्री उमाशंकर—

क्या यह सत्य है कि उक्त क्षेत्र के लोगों द्वारा बार-बार उक्त क्षेत्र के किसी चकबन्दी कर्त्ता के स्थानान्तरण की मांग करने पर भी अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं ।

गोरखपुर क्षेत्र में माडल स्कूलों के प्रधानाध्यापकों का चुनाव

*४०—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर क्षेत्र के उप-शिक्षा संचालक ने सन् ६२ में माडल स्कूलों के प्रधानाध्यापकों क चुनाव के संबंध में कोई नया आदेश निकाला है जिसके आधार पर बाहर के भी उम्मीदवार साक्षात्कार में शामिल हो रहे हैं ? यदि हां, तो उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

आचार्य जुगलकिशोर—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

हीरालाल स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भरौली के अध्यापकों का फंड

*४१—श्री मदनपालसिंह (जिला हमीरपुर) तथा श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या शिक्षा मंत्री ८ फरवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १४ और १५ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि परिस्थिति की जांच किस अधिकारी द्वारा कराई गई और फंड जमा करने के संबंध में कौन कार्यवाही की गई है ?

आचार्य जुगलकिशोर—

परिस्थिति की जांच विभागीय आडीटर्स द्वारा मार्च, १९६३ में कराई गई थी । फण्ड जमा करने के लिये संस्था अधिकारियों को आवश्यक आदेश दिये गये हैं । कुछ धन जमा कर दिया गया है । अवशिष्ट धनराशि जमा करने का प्रयास किया जा रहा है ।

*४२—श्री मदनपालसिंह तथा श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संस्था की प्रबन्ध समिति का चुनाव अन्तिम बार कब हुआ था और क्या नये प्रबन्धक को चार्ज मिल गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—

प्रबन्ध समिति का अन्तिम चुनाव कई वर्ष पूर्व हुआ था परन्तु उसकी ठीक सूचना उपलब्ध नहीं है । ३०-१०-६१ को प्रबन्ध समिति के सदस्यों में कुछ परिवर्तन हुआ था किन्तु प्रबन्धक के पद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ और उस पद पर पुराने प्रबन्धक श्री जंगबहादुर सिंह ही कार्य करते चले आ रहे हैं । अतः किसी नये प्रबन्धक को चार्ज मिलने का प्रश्न नहीं उठता ।

हसनगंज तहसील में चकबन्दी के खिलाफ शिकायतें

*४३—श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले की हसनगंज तहसील के कितने किसानों को चकबन्दी में चकों का नाप में कम किये जाने के शिकायती आवेदन-पत्र प्राप्त हुए

हैं, उनमें से कितने किसानों के चक नाप कर पूरे कर दिये गये और कितने के नहीं और क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

१५ जून, १९६३ तक चकों की नाप में कमी के संबंध में तहसील हसनपुर में कुल ४,४२८ शिकायतें प्राप्त हुइं जिनमें २,४२४ में पैमाईश करके दुरुस्ती कर दी गई, १,६८१ शिकायतें निराधार पाई गइं तथा ३२३ शेष रहीं ।

*४४—श्री श्रीराम तिवारी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले के हसनगंज तहसील के किन-किन गावों में चकबन्दी में सिंचाई की नालियां न दिये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनमें से किन-किन में नालियों की व्यवस्था कर दी गई है, कितने में नहीं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सिंचाई की नालियां संबंधी शिकायतें १३६ ग्रामों से प्राप्त हुई थीं जिनमें से ११६ में उचित व्यवस्था कर दी गई, और २ ग्रामों में कार्यवाही की जा रही है। शेष १८ में से १० ग्राम चकबन्दी के बाहर हैं तथा ८ के अधिकांशतः असिंचित होने के कारण उनमें नालियों की आवश्यकता नहीं समझी गई । सभी ग्रामों की सूची मेरे कार्यालय में देखी जा सकती है ।

*४५—श्री श्रीराम तिवारी—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १३ अक्टूबर, १९६२ को और इसके पूर्व तथा पश्चात् बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, उन्नाव तथा अन्य अधिकारियों को हसनगंज तहसील के मुस्तफाबाद की चकबन्दी के सम्बन्ध में कितने शिकायती आवेदन-पत्र प्राप्त हुये और उनमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

दिनांक १३-१०-६२ को शून्य, उसके पूर्व २० और उसके पश्चात् दिनांक २८-२-६३ तक ३ शिकायती-पत्र ग्राम मुस्तफाबाद की चकबन्दी के सम्बन्ध में प्राप्त हुये । उनकी जांच विभिन्न विभागीय अधिकारियों ने की । फलस्वरूप एक लेखपाल की सेवायें समाप्त की गइं और एक सहायक चकबन्दी अधिकारी की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि की गई । अन्य पैमाइश आदि की शिकायतों का उचित समाधान किया गया ।

बेसिक पुस्तकों की खरीद, अध्यक्ष, जिला परिषद्, जालौन का पत्र

*४६—श्री विजयसिंह—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राइमरी पाठशालाओं के लिये १९६०-६१ तथा ६१-६२ में प्रत्येक जिलेवार कितने रुपये की बेसिक की पुस्तकें मंगवाई गइं और उनका क्या उपयोग हुआ ?

आचार्य जुगलकिशोर—

जिलेवार सूची संलग्न है । पुस्तकें विद्यालयों में भेजी गइं ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ६५९-६६० पर)

*४७—श्री विजयसिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रत्येक जिला परिषद् को उपरोक्त बेसिक की पुस्तकें स्वयं मंगाने का अधिकार है या कोई विभागीय अधिकारी उन्हें भिजवाता है जिनका प्राइमरी पाठशालाओं में वितरण तक नहीं हो पाता है ?

आचार्य जुगलकिशोर---

प्रत्येक जिला परिषद् एवं नगरपालिका महापालिका शासन द्वारा स्वीकृत पुस्तकें स्वयं मंगाती है। इन पुस्तकों का प्राइमरी पाठशालाओं में स्थानीय निकायों द्वारा ही वितरण होता है।

*४८---श्री विजयसिंह---

प्राइमरी पाठशालाओं के लिये बेसिक पुस्तकों की खरीद के सम्बन्ध में जालौन जिले के अध्यक्ष महोदय ने क्या कोई सिफारिश प्रदेशीय सरकार को ३० मार्च, १९६२ के बाद की है? यदि हां, तो उनके द्वारा किये गये संकेत से प्रदेश भर में कितने रुपयों का अपव्यय रोका जा सकता है ? जालौन जिले के अध्यक्ष महोदय ने जो भी उपरोक्त सम्बन्ध में लिखा है उस पत्र की प्रतिलिपि सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगी ?

आचार्य जुगलकिशोर---

जी हां ।

अध्यक्ष के सुझाव के अनुसार बेसिक काफ्ट सामग्री (जिसमें पुस्तकें भी सम्मिलित हैं) की खरीदारी रोक देने से प्रदेश में लगभग साढ़े बाइस लाख रु० वार्षिक का व्यय रुक सकता है। परन्तु इसके रोके जाने से बेसिक शिक्षा पद्धति को क्षति पहुंचेगी। अध्यक्ष, अन्तरिम जिला परिषद्, जालौन के पत्र दिनांक २५-१-६३ की प्रतिलिपि संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ. ६६१ पर ।)

सुपरवाइजर कानूनगोयान का नायब तहसीलदारी के लिये चुनाव

*४९---श्री बांकेलाल (जिला देवरिया) तथा श्री रियासत हुसन---

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजस्व परिषद् में जो दो सूचियां सुपरवाइजर कानूनगोयान की अस्थायी तरक्की नायब तहसीलदार के पद के लिये लोक सेवा आयोग को जून, सन् ६२ में भेजी गई उसमें ऐसे सुपरवाइजर, कानूनगोयान के नाम थे जिन्होंने कम से कम ७ वर्ष सुपरवाइजर कानूनगो के पद पर कार्य नहीं किया ? यदि हां, तो कितने ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

जी हां । १५, परन्तु इन लोगों ने सुपरवाइजर कानूनगो, उसके समकक्ष अथवा उससे उच्च स्तर के पदों पर ७ वर्ष से अधिक कार्य किया था ।

*५०---श्री बांकेलाल तथा श्री रियासत हुसैन---

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या चुनाव घोषित होने के लगभग एक मास के बाद उपरोक्त नियम में संशोधन कराया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

जी नहीं । संशोधन का प्रस्ताव सन् १९६१ से विचाराधीन था । उसके विषय में कार्यवाही पूर्ण होने पर विज्ञप्ति जनवरी, सन् १९६३ में निकली ।

*५१---श्री बांके लाल तथा श्री रियासत हुसैन---

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि कितने सुपरवाइजर कानूनगो प्रदेश में ऐसे हैं जो १० या उससे अधिक साल से नायब तहसीलदारी कर रहे हैं लेकिन उनको स्थाई नायब तहसीलदारी का मौका नहीं मिला ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

२६, क्योंकि चुनाव समिति ने उनको उसके योग्य नहीं समझा।

धार्मिक और नैतिक शिक्षा

*५२—श्री हमीद खां (जिला कानपुर)—

क्या सरकार को विदित है कि केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा धार्मिक और नैतिक शिक्षा देने के लिये मान्यता दी गयी है ? यदि हां, तो क्या ऐसी शिक्षा आगामी जुलाई से विश्वविद्यालयों में प्रारम्भ कर दी जायेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—

केन्द्रीय सरकार ने कुछ सुझाव इस विषय में विश्वविद्यालयों को भेजे थे, जिन पर प्रदेश के विश्वविद्यालय अभी विचार कर रहे हैं।

जूनियर हाई स्कूलों की छात्रवृत्ति परीक्षा

*५३—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जूनियर हाई स्कूल की छात्रवृत्ति परीक्षा के फल को प्रकाशित घोषित करने की कोई अन्तिम तिथि हैं ? इस वर्ष ऐसे कितने जिले हैं जहां यह परीक्षा फल जनवरी, ६३ के अन्त तक घोषित नहीं किया गया ? यदि हां, तो इतनी देर का कारण क्या है ?

आचार्य जुगलकिशोर—

जी नहीं। ऐसे १० जिले थे जहां ये परीक्षाफल जनवरी, १९६३ के अन्त तक नहीं घोषित किया जा सका। उनकी सूची तथा विलम्ब का कारण संलग्न तालिका में दिया गया है।

(देखिये 'ञ' आगे पृष्ठ ६६२–६६४ पर)

आजमगढ़ जिसे से छात्रों की सहायता के लिये प्रार्थना-पत्र

*५४—श्री श्यामलाल तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़ ने जिलाधीश द्वारा सरकार को बाढ़ और अतिवृष्टि पीड़ित क्षेत्रों के गरीब छात्रों की फीस माफी तथा पुस्तकीय अनुदान की धनराशि के बढ़ोत्तरी करने के लिये अभी हाल ही में पत्र भेजा है ? यदि हां,तो उस पर कौन-सी कार्यवाही की गई ?

आचार्य जुगलकिशोर—

जी हां, अप्रैल, १९६३ में उक्त आशय का जिलाधीश का पत्र प्राप्त हुआ था। जिलाधीश, आजमगढ़ से अतिरिक्त मांग के औचित्य के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

गर्ल्स हाई स्कूल, कांधला की मोटर गाड़ी

*५५—श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गर्ल्स हाई स्कूल, कांधला, जिला मुजफ्फरनगर, के पास जो मोटर गाड़ी देहात से छात्राओं को लाने के लिये थी वह आजमगढ़ में इस समय बंद खड़ी है और काम नहीं कर रही है जिससे देहात की छात्राओं को आने जाने में भारी असुविधायें और बहुत खर्चा करना पड़ता है और उस स्कूल में भारी संख्या देहात की छात्राओं की है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस गाड़ी को जल्द से जल्द चालू करने की व्यवस्था करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—

यह मोटर गाड़ी धनाभाव के कारण २९–११–१९६२ से बंद हो गई थी। अब १–४–१९६३ से पुनः चालू हो गई है।

*५६—श्री विजयपालसिंह—

क्या सरकार को पता है कि यह गाड़ी अगस्त के महीने से बकार खड़ी है और उसके ड्राइवर और कंडक्टर बराबर तनख्वाह पा रहे हैं और छात्राओं से उसके पेट्रोल के पैसे भी वसूले जाते हैं? यदि हां, तो यह गाड़ी किन कारणों से कार्य नहीं कर रही है?

आचार्य जुगलकिशोर—

जी नहीं, अगस्त से नहीं, २९-११-१९६२ से वर्ष भर के लिये निश्चित धनराशि क समाप्त हो जाने के कारण बन्द हो गयी थी। अतिरिक्त धन की मांग की गयी थी जिसकी शीघ्र स्वीकृति की आशा में ड्राइवर तथा कन्डक्टर की न तो सेवायें समाप्त की जा सकीं और न उनका स्थानान्तरण ही किया गया। अतिरिक्त धन स्वीकृत होने तक इन कर्मचारियों से मोटर की देख-रेख के अतिरिक्त पाठशाला से संबंधित अन्य कार्य लिये गये और उन्हें नियमानुसार वेतन दिया गया। सरकारी संस्थाओं में छात्राओं से केवल नाम मात्र का वाहन शुल्क (conveyance fee) लिया जाता है। पेट्रोल के लिये कोई पैसा नहीं लिया जाता है।

बलिया जिले में बाढ़ पीड़ित छात्रों को सहायता

*५७—श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले के अन्तर्गत गत वर्ष अतिवृष्टि तथा गंगा घाघरा नदी में भीषण बाढ़ के तबाह छात्रों की सहायता के लिये सरकार की तरफ से बलिया को कितना धन सहायता के रूप में दिया गया है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में बलिया जिले के बाढ़ व अतिवृष्टि पीड़ित छात्रों की सहायता हेतु २०,००० रु० की धनराशि शासन द्वारा स्वीकृत की गई थी।

*५८—श्री जगन्नाथ चौधरी—

क्या राजस्व मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा सहायता के रूप में दिये हुये धन का वितरण किस प्रकार हुआ तथा किन-किन विद्यालयों को कितना-कितना धन सहायता के रूप में दिया गया?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सहायता योग्य प्रत्येक छात्र को आपत्तिकालीन छात्रवृति के रूप में ४ माह के शिक्षण शुल्क की राशि प्रदान की गयी थी। वितरण का संस्थावार विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ ६६५-६६६ पर)

तरबगंज तहसील में चकबन्दी

*५९—श्री गंगा प्रसाद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले के तरबगंज तहसील में कितने एकड़ भूमि चकबन्दी में मतलूक पायी गयी है और उक्त मतलूक नम्बरों को जो आर्डर द्वारा काश्तकारों को मिला है, उसका रकबा क्या है? और उसका रकबा क्या है जो बिना आर्डर के कास्तकारों को दिये गये है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*६०—श्री गंगाप्रसाद—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि चकबन्दी कार्यकाल में गोंडा जिले के तरबगंज तहसील में विभिन्न गांव सभाओं की चकबन्दी समिति की कितनी-कितनी बैठकें हुई हैं ? उक्त बैठकों द्वारा प्राप्त सुझावों को कितनी गांव सभाओं में कार्यान्वित किया गया है और कितनी ग्राम सभाओं में नहीं किया गया है ? तरबगंज तहसील में किन-किन सार्वजनिक कार्यों तथा विकास और उत्पादन की उन्नति के लिये कितनी एकड़ भूमि विभिन्न सी० ओ० सर्किल के गांवों में छोड़ी गयी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

गोंडा जिले की तरबगंज तहसील के चकबन्दी कार्यालय में ४ अप्रैल, १९६३ तक ४५३ ग्राम सभाओं की चकबन्दी समितियों की ८,६८८ बैठकें हुयीं और इन बैठकों में प्राप्त सुझावों को नियमानुकूल सभी गांवों में कार्यान्वित किया गया। विभिन्न ग्रामों की ग्राम सभाओं की बैठकों की संख्या सम्बन्धी सूची मेरे कार्यालय में देखी जा सकती है।

सार्वजनिक कार्यों तथा विकास एवं उत्पादन की उन्नति के लिये कुल ९,९८५.२० एकड़ भूमि विभिन्न चकबन्दी अधिकारी क्षेत्रों में सुरक्षित की गई है। सी० ओ० सर्किल के नाम तथा सुरक्षित भूमि के क्षेत्रफल की एक सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ठ' आगे पृष्ठ ६६७–६६९ पर)

नानक चन्द्र आदर्श इंटर कालेज, चन्दौसी का पत्र

*६१—श्री बिशनलाल यादव (जिला मुरादाबाद)—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि क्या सरकार को नानक चन्द्र आदर्श इन्टर कालेज, चन्दौसी (मुरादाबाद) के अध्यापकों की ओर से कोई प्रार्थना-पत्र हाल में प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने उक्त विद्यालय की बन्द हुई Grant को फिर से प्राप्त करने की प्रार्थना की है ? यदि हां; तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

आचार्य जुगलकिशोर—

जी हां। विद्यालय का अनुदान चालू कर दिया गया है।

*६२—श्री बिशनलाल यादव—

क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त विद्यालय (नानक चन्द्र आदर्श इन्टर कालेज, चन्दौसी मुरादाबाद) के प्रधानाचार्य के स्थान पर एक ऐसे अध्यापक को प्रधानाचार्य बना दिया गया जो अंग्रेजी में आये हुए G· Os' को भली प्रकार से नहीं समझ सकते और जो उक्त पद के लिये पूर्ण रूप से qualified हैं तो क्या सरकार उनके स्थान पर किसी दूसरे अध्यापक को कार्य करने का अवसर देगी ? यदि हाँ, तो कब से ?

आचार्य जुगलकिशोर—

भूतपूर्व प्रधानाचार्य के अवकाश प्राप्त करने पर विद्यालय के ज्येष्ठ अध्यापक नियमानुसार स्थानापन्न रूप में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य कर रहे हैं। यह सत्य है कि उनको अंग्रेजी का ज्ञान कम है किन्तु इस विद्यालय के प्रशासक एक सुयोग्य प्रधानाचार्य की नियुक्ति के लिये सचेष्ठ हैं, अतः किसी दूसरे अध्यापक को प्रधानाचार्य के पद पर अवसर देने का प्रश्न नहीं उठता और न नियमानुसार दिया ही जा सकता है।

ग्राम मंधन के लेखपाल के खिलाफ शिकायत

*६३—श्री बृजेश्वर सहाय (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला व तहसील मैनपुरी में ग्राम मंधन के लेखपाल

की सन् ६१ से सन् ६२ तक कितनी शिकायतें आयी हैं और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

तीन शिकायती प्रार्थना-पत्र आये, जिनमें एक गुमनाम था। इनकी जांच तहसीलदार, मैनपुरी द्वारा कराई गई, जिसके फलस्वरूप लेखपाल की चरित्रपंजी में प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी गयी है और उसका स्थानान्तरण कर दिया गया है।

*६४—श्री बृजेश्वरसहाय (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस लेखपाल ने सन् १९६२ के ग्राम चुनाव में राजनीति (पार्टी बाजी) में भाग लिया था ? इसकी शिकायतें अन्य व्यक्ति तथा सदस्य विधान सभा ने भी की है ? इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इस सम्बन्ध में विधान सभा के किसी सदस्य ने कोई लिखित शिकायत नहीं की परन्तु अन्य कुछ व्यक्तियों ने अवश्य की। शिकायत की जांच करायी गयी, पर उसकी सचाई का कोई प्रमाण नहीं मिला।

कानपुर जिले में सेंगुर नदी के पुल-निर्माण का स्थगन व सड़कों का निर्माण

*६५—श्री नित्यानन्द पांडेय (जिला कानपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि डेरापुर, जिला कानपुर में सेंगुर नदी का जो पुल बन रहा था, उसका बनना डेढ़ वर्ष से क्यों रोक दिया गया है ?

श्री गिरधारीलाल—

१९६१ की बाढ़ का स्तर बहुत ऊंचा होने के कारण कथित पुल की डिजाइन का बदलना आवश्यक हो गया, अतः पुल का निर्माण कार्य रोक देना पड़ा।

*६६—श्री नित्यानन्द पांडेय—

क्या सरकार उक्त पुल को अति शीघ्र बनवाने की व्यवस्था करेगी और जिसके न बनने के कारण जन साधारण को बड़ी भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है ?

श्री गिरधारीलाल—

पुल का डिजाइन व संशोधित आगणन स्वीकृत होने के पश्चात् निर्माण कार्य शीघ्र से शीघ्र पूरा करने की व्यवस्था की जायगी।

*६७—श्री नित्यानन्द पांडेय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कानपुर जिले में कितने मील लम्बी सड़क सरकार बनवाने जा रही है ? क्या यह सही नहीं है कि जो लक्ष्य दूसरी योजना में सड़कों का रखा गया था, उसे ही तीसरी योजना में भी रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

कानपुर जिले में तृतीय योजना की चालू योजना के अन्तर्गत १० मील १ फर्लांग सड़कें पूरी की जायंगी।

द्वितीय भाग— जी नहीं। दूसरी योजना में केवल ६० प्रतिशत भाग को पूरा करने का लक्ष्य था और वह लगभग प्राप्त हो गया। शेष भाग तृतीय योजना में ही पूरा करने का लक्ष्य था।

प्रसाराध्यापक

*६८—श्री घनश्याम दास (जिला बाराबंकी)—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना में कितने स्नातक तथा कितने अर्द्ध स्नातक प्रसार अध्यापक का कार्य कर रहे हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—

७५० स्नातक।

१,७८२ अर्द्ध स्नातक।

*६९—श्री घनश्यामदास—

शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना में कार्य करने वाले स्नातक प्रसार शिक्षकों की पदोन्नति की क्रमबद्ध श्रृंखला क्या है ?

आचार्य जुगल किशोर—

प्रसाराध्यापकों के पद अस्थाई (ex-cadre) होने के कारण पदोन्नति की कोई श्रृंखला इस समय नहीं है।

*७०—श्री घनश्यामदास—

शिक्षा पुनर्व्यवस्था को स्थायी करने की दिशा में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—

प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

आजमगढ़ के विधायक का किसानों की सहायता के लिये प्रार्थना-पत्र

*७१—श्री सत्यनारायण पांडेय तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता द्वारा २० सितम्बर, १९६२ को भेजे गये पत्र के साथ ग्राम दुवारी, चौहानपुर, रमऊपुर, जिला आजमगढ़ के कई किसानों का भी आवेदन-पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है जिसमें कटे हुये खेतों की मालगुजारी वसूल करने, जले हुये घरों के निवासियों की सहायता न करने आदि की शिकायतें लिखी गयी हैं ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां। माननीय सदस्यों के २० सितम्बर, १९६२ के पत्र के साथ ग्राम दुवारी, चौहानपुर तथा रमऊपुर के आठ किसानों के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए, जिनमें सर्वश्री साहब सिंह, इन्द्रदेव यादव, तिलकधारी तथा बजनाथ के आवेदन-पत्र जांच के पश्चात् निराधार पाये गए। ग्राम दुबारी की कौलेश्वरी चमाइन को अग्निकाण्ड द्वारा क्षति होने के कारण २५ रुपया की नकद सहायता दी गई थी। श्री नन्द किशोर से २५ रुपया २४ न० पै० अधिक लगान अवश्य वसूल हो गई थी किन्तु २२-६-६२ को यह रकम उन्हें लौटा दी गई। श्री रामदीन से ६-४२ न० पै० तथा सुन्दर चमार से ८-०० की वसूली उन्हीं नामों के अन्य व्यक्तियों के खाते में हो गई थी। अब इन रकमों को सही तौर पर मुंजरा करा दिया गया है।

सुल्तानपुर जिले में पाठशाला भवन निर्माणार्थ धन

*७२—श्री उमादत्त (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सुल्तानपुर जिले में किन-किन गांव सभाओं

को पाठशाला भवन निर्माण हेतु कितना-कितना रुपया सन् १९६१-६२ तथा १९६२-६३ में स्वीकृत करके उनके एकाउन्ट में जमा करा दिया गया है ?

आचार्य जुगलकिशोर—

मार्च, १९६३ तक सुल्तानपुर जिले में जिन-जिन गांव सभाओं को जितना-जितना रुपया १९६१-६२ व १९६२-६३ में पाठशाला भवन निर्माणार्थ स्वीकृत करके उन्हें दिया गया और जो रुपया स्वीकृत करके उन्हें दिया नहीं जा सका वह संलग्न† तालिका में दिखाया गया है। स्वीकृत तथा दी गई धनराशि गांव सभाओं के एकाउंट में जमा हुई या नहीं, इसकी सूचना संकलित की जा रही है।

*७३—श्री उमादत्त—

उन गांव सभाओं में किन-किन गांव सभाओं ने निर्माण कार्य जारी किया है और उनकी प्रगति अब तक क्या है तथा किन गांव सभाओं ने अब तक कार्य जारी नहीं किया ?

आचार्य जुगलकिशोर—

मार्च, १९६३ तक की निर्माण कार्य से संबंधित सूचना भी संलग्न† तालिका में दिखाई गई है।

*७४—श्री उमादत्त—

जिन गांव सभाओं ने अब तक निर्माण कार्य जारी नहीं किया है, क्या उनका पूरा रुपया उनके एकाउंट में जमा है ? यदि नहीं है, तो किन गांव सभाओं का रुपया नहीं है और क्या उनके विरुद्ध गबन की कार्यवाही की गयी है ?

आचार्य जुगलकिशोर—

आवश्यक सूचना संकलित की जा रही है।

गांव सभा, सरायमुहाना

*७५—श्री रघुनार्थसिंह—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के चिरईगांव विकास क्षेत्र के सरायमुहाना गांव में जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् १९५२ में गांव सभा के साथ-साथ ही गांव समाज की भी स्थापना हुई और क्या उसे गांव की सामूहिक संपत्ति का स्वामित्व प्रदान किया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं।

*७६—श्री रघुनार्थसिंह—

गांव सभा के कितनें परिवार खेती का पेशा करते हैं और उनसे कितनी वार्षिक लगान की सरकारी वसूली होती है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

केवल ३। उनसे सरकार नहीं वसूली करती। ट्रस्ट वसूल करता है।

---

*छापी नहीं गई।

बिलारी ब्लाक में स्कूल भवन बनवाने के लिये धन

*७७—श्री रियासत हुसेन—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक बिलारी, जिला मुरादाबाद, में किन-किन ग्रामों को सन् १९६२-६३ और सन् १९६३-६४ में स्कूल बनवाने के लिये रुपया दिया गया ?

आचार्य जुगल किशोर—

सन् १९६२-६३ में प्रश्नागत ब्लाक के जिन ग्रामों में स्कूल भवन निर्माण हेतु धन दिया गया उनके नाम संलग्न तालिका में प्रस्तुत हैं ।

सन् १९६३-६४ में इस मद में अभी तक कोई अनुदान नहीं दिया गया है ।

(देखिए नत्थी 'ड' आगे पृष्ठ ६७० पर ।)

*७८—श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस-किस गांव में स्कूल बन कर तैयार नहीं हुये और उसके क्या कारण हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—

प्रश्न संख्या ७७ के उत्तर में उल्लिखित किसी ग्राम के स्कूल भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका है, जिसका विशेष कारण सीमेन्ट की उपलब्धि में कमी है ।

अधिशासी अभियंता, जिला देहरादून

*७९—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला देहरादून के एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, पी० डब्लू० डी० के, अपने पद पर पांच साल से काम कर रहे हैं जब कि नियम है कि कोई गजटेड आफिसर तीन साल से ऊपर एक ही स्थान में रखा नहीं जा सकता, ऐसा क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां । जिला देहरादून के अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, अपने पद पर पांच साल से काम कर रहे हैं । यद्यपि सामान्यत : गजेटेड अधिकारी को एक स्थान पर तीन साल से अधिक नहीं रखा जाता, परन्तु यह कोई अपरिवर्तनीय नियम नहीं है । इस समय जिला देहरादून के चकरौता एवं जौनसार बावर क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण हो रहा है । अतएव सार्वजनिक हित में विभागीय अध्यक्ष के मतानुसार वर्तमान अधिशासी अभियंता को बदलना उचित नहीं समझा गया ।

देवरिया जिले में बाढ़

*८०—श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि दिनांक ३० जुलाई, १९६३ तक देवरिया जिला की राप्ती, गोरी, मझने, छोटी गंडक, बड़ी गंडक और घाघरा नदी के बाढ़ से किन-किन गांवों को कितनी-कितनी फसलों का नुकसान हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

३० जुलाई, १९६३ ई० तक बाढ़ से ३२७ गांवों की ४५,७८९ एकड़ बोई हुई भूमि प्रभावित हुई जिसका ग्रामवार ब्योरा संलग्न† है।

उक्त अवधि तक फसलवार नुकसान का ब्योरा देना संभव नहीं है क्योंकि बाढ़ के अन्त तक की स्थिति के आधार पर ही क्षति की मात्रा सही तौर पर आंकी जा सकती है।

*८१—श्री चन्द्रबलीसिंह—

देवरिया में उक्त तिथि तक के बाढ़ पीड़ित गांवों को क्या सहायता दी गयी? क्या सरकार विकासवार पीड़ित ग्रामों की संख्या और सहायता का विवरण देगी?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

गांव समाजों की भूमि

*८२—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जमींदारी टूटने के समय गांव समाज की कुल कितनी भूमि प्रदेश में थी और अब कितनी है और इस अंतर का कारण क्या है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इस संबंध में उपलब्ध आंकड़े इस प्रकार हैं :

(१) ३० सितम्बर, १९५३ को उत्तर प्रदेश के सब गांव समाजों में निहित भूमि का क्षेत्रफल ९३ लाख एकड़ (लगभग)।

(२) ३१ मई, १९६२ को उत्तर प्रदेश की सब गांव समाजों में निहित भूमि का क्षेत्रफल १ करोड़ १० लाख एकड़ (लगभग)।

क्षेत्रफल में अन्तर के कारण मुख्यतया यह है :

(१) राज्यों के कुछ क्षेत्रों में जमींदारी विनाश १९५२ के बाद में हुई और इससे नये गांव समाजों की संख्या तथा उनमें निहित कुल भूमि में वृद्धि हुई।

(२) जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत नाजायज कब्जे हटने से, लावारिस मृतकों की भूमि पाने से एवं अवैध हस्तान्तरण के निरस्त होने से, विभिन्न गांव समाजों को भूमि मिली।

गोरखपुर क्षेत्र के ओवरसियरों के विरुद्ध शिकायतें

*८३—श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी० डब्ल्यू० डी० टेम्पोरेरी डिवीजन गोरखपुर के कुछ ओवरसियरों के विरुद्ध ठेकेदारों ने १९६१-६२ तथा १९६२-६३ में शिकायतें की हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री गिरधारीलाल—

सूचना एकत्र की जा रही है।

पाठ्य पुस्तकों की अवधि

*८४—श्री मतोलासिंह—

क्या सरकार पढ़ाई की पुस्तकों की अवधि निर्धारण करने को तैयार है कि वे ५ साल के भीतर न बदली जाया करें? यदि नहीं, तो क्यों?

---

†छापा नहीं गया।

आचार्य जुगलकिशोर—

जहां तक प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल कक्षाओं की पुस्तकों का प्रश्न है यह अवधि शिक्षा संहिता के पैरा ३३९ में साधारणतया पहले से ही निर्धारित है ।

हाई स्कूल तथा इंटर कक्षाओं की पुस्तकों के लिये माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने ऐसी कोई अवधि निर्धारित नहीं की है क्योंकि कभी-कभी किन्हीं असाधारण कारणों से पुस्तकों को हटाना अनिवार्य हो जाता है । सामान्तः पुस्तकें तीन वर्ष से पहले नहीं बदली जातीं ।

बस्ती में लड़कियों का माध्यमिक विद्यालय

*८५—श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती में लड़कियों के पढ़ने के लिए केवल एक ही कालेज है तथा प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य होने के कारण प्रवेश प्राप्त करने वाली लड़कियों की संख्या अधिक है ?

आचार्य जुगलकिशोर—

जिला बस्ती में बालिकाओं का केवल एक ही उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है जो राजकीय है । उसमें प्रवेश चाहने वाली लड़कियों की संख्या काफी रहती है यद्यपि बस्ती नगरपालिका के अन्तर्गत बालिकाओं की अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा योजना लागू नहीं है ।

*८६—श्री रणबहादुरसिंह—

क्या यह सच है कि इस बार उक्त कालेज के प्रत्येक कक्षा में कई लड़कियों का नाम स्थान न होने के कारण नहीं लिखा गया और कक्षा ६ में १३० लड़कियों ने आवेदन दिया जिनमें केवल ७३ ली गयीं ? यदि ऐसा है तो क्या सरकार उक्त कालेज के कक्षा ६ में इस वर्ष एक सेक्शन और खोलने का आदेश देगी तथा अगले वर्ष एक और हायर सेकेन्ड्री स्कूल खोलने का विचार करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—

ऐसा नहीं है कि प्रत्येक कक्षा में स्थान न होने के कारण कई लड़कियों के नाम न लिखे गये हों । ११ वीं, १० वीं, ९ वीं एवं ७ वीं कक्षाओं में प्रवेश करने वाली सभी लड़कियों का प्रवेश हो गया था । किन्तु कक्षा ६ में १४८ प्रवेश चाहने वाली बालिकाओं में से ९५ को ही स्थानाभाव के कारण प्रवेश दिया जा सका ।

कक्षा ६ में अतिरिक्त सेक्शन खोलने या अगले वर्ष एक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने का कोई प्रश्न इस समय शासन के विचाराधीन नहीं है ।

राजकीय डिग्री कालेज, नैनीताल, काशी नरेश डिग्री कालेज, ज्ञानपुर के अस्थायी अध्यापक

*८७—श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय डिग्री कालेज, नैनीताल तथा काशी नरेश डिग्री कालेज, ज्ञानपुर, वाराणसी में कुल कितने ऐसे अध्यापक हैं और कितने समय से कार्य कर रह ह जो लोक सवा आयोग द्वारा नियुक्त कर लिये गये हैं और उन्हें प्रतिवर्ष वार्षिक वृद्धि दी जाती है किन्तु अब तक वे स्थायी नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—

ऐसे कुल १० अध्यापक हैं । इनके संबंध में वांछित सूचना संलग्न तालिका में अंकित है ।

(देखिए नत्थी 'ढ' आगे पृष्ठ ६७१ पर ।)

जनता पत्र में जिला विद्यालय-निरीक्षक के विरुद्ध आरोप

*८८—श्री कमला सिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ४ अप्रैल, १९६३ के मिरजनपुर के "जनता पत्र" के अंक ३४ के पृष्ठ १, २ पर "जिला विद्यालय निरीक्षक की कम अकली से ६,००० रु० स्वाहा" शीर्षक समाचार की सत्यता क्या है और इस क्षति की पूर्ति किस प्रकार की गयी है ?

आचार्य जुगलकिशोर—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

फरेंदा तहसील में चकबन्दी

*८९—श्री नरसिंह नारायण पांडेय—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील के सी० ओ० सर्किल, पीपीगंज तथा बृजमनगंज में कुल कितने ए०सी०ओ० हैं? उनका हेड-क्वार्टर कहां-कहां है तथा उनके इलाके में अलग-अलग कुल कितने ग्राम हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

गोरखपुर जिले की फरेन्दा तहसील के चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र पीपीगंज तथा बृजमनगंज में कुल १० ए०सी०ओ० सर्किल हैं । उनके हेडक्वार्टर तथा उनके क्षेत्रों में ग्रामों की संख्या से संबंधित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिए नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ ६७२ पर)

*९०—श्री नरसिंह नारायण पांडेय—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त विभिन्न ए०सी०ओ० सर्किल में कितने गांवों में चकबन्दी का कार्य पूरा हो गया तथा चक फाइनल कर दिये गये और किसानों को कब्जा दे दिया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कथित ए०सी०ओ० सर्किलों के अन्तर्गत किसी भी ग्राम में चकबन्दी का कार्य अभी तक पूर्णतया समाप्त नहीं हुआ है । १० सितम्बर, १९६३ तक प्रत्येक ए० सी० ओ० सर्किल के जितने ग्रामों में चकों को अन्तिम रूप देकर कब्जा दिलाया जा चुका था उनकी संख्या भी प्रश्न-संख्या ८९ में उल्लिखित तालिका में सम्मिलित कर दी गई है ।

(देखिए नत्थी 'ण' आगे पृष्ठ ६७२ पर)

*९१—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या राजस्व मंत्री यह भी जांच करा कर बताने की कृपा करेंगे कि जहां ए० सी० ओ० सर्किल में चक फाइनल कर दिया गया, वहां चक हैन्ड ओवर करने से पहले खेतों के चारों ओर पत्थर लगवा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

चकबन्दी विभाग द्वारा चकों के कोनों पर पत्थर नहीं लगवाये जाते । अधिकांश काश्तकार अपने पत्थर लाये जिसे लगवा दिया गया । बाकी के चकों के मेड़ पर लकड़ी के खूंटे लगवा दिये गये । उपरोक्त दशा में प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता ।

उपकुलपति सम्मेलन, नैनीताल

*९२—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में गत १० वर्षों में जो उपकुलपति रहे हैं उनकी शैक्षिक योग्यतायें क्या रही हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—

आवश्यक सूचना संलग्न † सूची "क" में दी हुई है ।

*९३—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जून, १९६३ में प्रदेश के उपकुलपतियों का जो सम्मेलन नैनीताल में हुआ था उसमें क्या निर्णय किये गये ?

आचार्य जुगल किशोर—

निर्णय संलग्न† सूची "ख" में दिये हुए हैं ।

*९४—श्री बिपिन बिहारी तिवारी—

क्या सरकार उन निर्णयों को कार्यान्वित करने के विषय में विचार कर रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—

जिन निर्णयों का सम्बन्ध सरकार से है उन पर विचार किया जा रहा है ।

बगहा ग्राम के अग्निपीड़ितों को सहायता

*९५—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या राजस्व मंत्री को देवरिया के एक विधायक का एक पत्र मार्च, १९६३ के दूसरे सप्ताह में मिला है कि ग्राम बगहा, टोसानेतवार, थाना बड़हल गंज, जिला गोरखपुर ११ मार्च, १९६३ की रात में जलकर भस्म हो गया है ? यदि हां, तो सरकार ने ग्राम वासियों की क्या मदद की है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां । पीड़ितों में ९४ रुपये की आवश्यक सामग्री, ६५० रुपये की अहेतुक सहायता, तथा १,३५० रुपये की गृह निर्माण सहायता वितरित की जा चुकी है ।

*९६—श्री उग्रसेन—

क्या राजस्व मंत्री उन अग्नि पीड़ितों के पुन : सरकारी खर्चे पर बसाने की व्यवस्था करग ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

पीड़ित फिलहाल अस्थायी रूप सें ग्राम नटवर पट्टी में बस गये हैं । स्थायी पुनर्वासन हेतु बगहा ग्राम से २ फर्लांग दूर स्थित पटना ग्राम में ४·२९ एकड़ भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही जारी है ।

---

†छापी नहीं गई ।

माल विभाग, आजमगढ़ के सेवा-मुक्त कर्मचारी

*९७--श्री गयाप्रसाद--

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले के माल विभाग के कितने कर्मचारी ३१ मार्च, १९६३ को ५५ वर्ष समाप्त होने पर सेवा मुक्त कर दिये गये तथा ३१ मार्च, १९६३ को सेवावधि समाप्त होने पर जिनकी अवधि ३० जून, १९६३ तक बढ़ायी गई है क्या उनकी कार्य क्षमता सेवामुक्त कर्मचारियों की अपेक्षाकृत अच्छी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*९८--श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)--

[हटा दिया गया।]

राजकीय माडेल स्कूल, सैंया के अध्यापक का पत्र

*९९--श्री सबेदारसिंह--

क्या सरकार ७ सितम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १० के उत्तर के क्रम में यह बताने की कृपा करेंगी कि राजकीय माडेल स्कूल, सैंया, जिला आगरा के पृथक किये गये किसी अध्यापक के प्रार्थना-पत्र सरकार को मिले हैं कि उसे अभी तक सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है ? यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

आचार्य जुगलकिशोर--

जी हां। श्री रविन्द्रप्रतापसिंह चौहान, राजकीय माडेल स्कूल, सैंया, आगरा से पृथक किये गये अध्यापक का प्रार्थना-पत्र सरकार को प्राप्त हुआ और उनको राजकीय माडेल स्कूल, गोवरधन (मथुरा) में नियुक्त किये जाने के आदेश, उप शिक्षा निदेशक, आगरा मण्डल, आगरा द्वारा २३-८-६३ को निर्गत हो गये हैं।

आजमगढ़ जिले में बेसिक स्कूलों के अध्यापकों का वेतन

*१००--श्री उमाशंकर--

क्या शिक्षा मंत्री एजूकेशन कोड की धारा १४३ के सेक्शन 'एच०' में लिखे हुये नियम के अनुसार उन अध्यापकों का वेतन शीघ्र दिलाने का आदेश देंगे जो सितम्बर-अक्तूबर, सन् १९६१ तथा सितम्बर, १९६२ में आजमगढ़ जिला परिषद् द्वारा बेसिक प्राइमरी स्कूलों में नियुक्त हुये थे और जिनका जून, १९६२ और जून, १९६३ का पूरा वेतन उन्हें चुकता नहीं किया गया है ?

आचार्य जुगलकिशोर--

एजूकेशन कोड की प्रसंगत धारा जिला परिषदों के अन्तर्गत कार्य करने वाले अध्यापकों पर लागू नहीं होती हैं।

महंगाई फीस

*१०१--श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विद्यार्थियों से जो महंगाई फीस ली जाती है उसको माफ करने के लिए क्या केन्द्र सहायता देना चाहता है ? यदि हां, तो उसकी शर्त क्या है ?

आचार्य जुगलकिशोर—

जी हां। केन्द्रीय सरकार की निम्नलिखित शर्तें हैं :—

(१) जो महंगाई फीस पहले से ली जा रही है अर्थात् कक्षा ६ में ६ आना और कक्षा ७ से १२ तक ८ आना, उसमें कोई भाग वे वहन नहीं करेंगे।

(२) बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता देने में जो अतिरिक्त व्यय होगा उसका ५० प्रतिशत वे वहन करेंगे, बशर्ते कि इस मद पर सम्पूर्ण व्यय प्रदेश की तृतीय पंचवर्षीय योजना की प्लान सीमा के अन्दर हो।

*१०२–१०३—श्री जसरामसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

[तीसरे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*१०४—श्री मुरलीधर कुरील—

[तीसरे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना

*१०५—कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना, जो केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलायी जा रही है उसके अन्तर्गत अपने प्रान्त को कितना धन मिलने वाला है तथा क्या केन्द्र के सुझाव के अनुसार सरकार ने उक्त ऋण देने की संस्तुति करने वाला सलाहकार बोर्ड निर्मित कर दिया या नहीं ? यदि हां, तो उक्त बोर्ड के सदस्यों के नाम क्या हैं ? यदि नहीं, तो कब तक उक्त बोर्ड बन जावेगा ?

आचार्य जुगलकिशोर—

राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश को इस वर्ष २०,५९,४४० रु० मिलने वाला है।

राज्य सलाहकार बोर्ड निर्मित किया जा चुका है जिसके सदस्यों के नाम निम्नलिखित हैं :—

१—शिक्षा मंत्री ।
२—शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
३—शिक्षा सचिव या उनका नामित।
४—वित्त सचिव या उनका नामित।
५—उद्योग सचिव या उनका नामित।
६—विद्युत् सचिव या उनका नामित।
७—चिकित्सा सचिव या उनका नामित।
८—कृषि सचिव या उनका नामित।
९—उप कुलपति, इलाहाबाद विश्वविद्यालय।
१०—उप कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय।
११—श्री मदन मोहन, सदस्य, विधान परिषद्।
१२—अतिरिक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना

*१०६—श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर)—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विद्यालयों में चलने वाली राष्ट्रीय अनुशासन योजना का क्या उद्देश्य है तथा इस पर वित्तीय वर्ष १९६३–६४ में कुल कितना धन व्यय होने का अनुमान है ? अब तक की इस योजना की प्राप्तियां क्या हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—

राष्ट्रीय अनुशासन योजना का उद्देश्य है कि विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण हो, उनमें अनुशासन का प्रसार हो, और स्वावलम्बन की भावना विकसित हो जिससे वे भविष्य में अच्छे नागरिक बन सकें।

इस योजना के कार्यान्वित होने पर वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रदेशीय सरकार का लगभग २३,००० रु० यात्रा भत्ता में व्यय होने का अनुमान है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक लगभग ५२५ सेवारत व्यायाम अध्यापक प्रशिक्षित होकर अपने विद्यालयों में लौट आये हैं।

*१०७—श्री शारदानन्द—

क्या इस बात को ध्यान में रखते हुऐ कि नेशनल कैडिट कोर (एन० सी० सी०) ए० सी० सी०, प्रान्तीय शिक्षा दल तथा स्काउट आन्दोलन आदि का लगभग वही उद्देश्य है जो कि राष्ट्रीय अनुशासन योजना का है, फिर उक्त योजना को क्यों कार्यान्वित किया गया ?

आचार्य जुगलकिशोर—

इस योजना को भारत सरकार ने देश के समस्त प्रदेशों में एक आदर्श योजना के रूप में कार्यान्वित करने का निर्देश दिया है। इस योजना में होने वाले समस्त व्यय का भार, केवल राजकीय संस्थाओं के व्यायाम अध्यापकों के यात्रा भत्ता को छोड़ कर, भारत सरकार स्वयं वहन कर रही है।

*१०८–११०—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

[तीसरे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

गंजडुंडवारा में लड़कियों का हाईस्कूल न होना

*१११—श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

क्या शिक्षा मंत्री इस बात को देखते हुये कि गंजडुंडवारा, जिला एटा में डिग्री कालेज, व इंटर कालेज है, परन्तु लड़कियों का हाई स्कूल नहीं है तथा आबादी १५ हजार से भी अधिक है, शिक्षा विभाग की ओर से लड़कियों का एक ऐसा सरकारी स्कूल बनवाने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

आचार्य जुगलकिशोर—

तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में यहां राजकीय माध्यमिक विद्यालय का खोला जाना सम्भव नहीं है।

पानापुर ग्राम समाज की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

*११२—श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

क्या यह बात सही है कि ग्राम पानापुर, तहसील रामसनेही घाट (बाराबंकी) स्थित ग्राम समाज की भूमि पर लोगों ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो कितनी भूमि पर ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां। लगभग १७.८ बीघा जमीन पर।

*११३—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त ग्राम की सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत रूप से कब्जे से जानवरों के चरागाह के रास्ते बन्द हो गये हैं और बाढ़ के समय ग्रामीण जनों एवं पशुओं को काफी परेशानी उठानी पड़ती है ? यदि हां, तो उस परेशानी को दूर करने की सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कोई रास्ता बन्द नहीं हुआ है। बरसात के दिनों में रास्ते की भूमि पर पानी भर जाने से तथा रास्ते से सम्बन्धित भूमि पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत कब्जा कर लेने के कारण रास्ता कुछ तंग अवश्य हो गया है। इन व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में वाद दायर हैं।

*११४—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह बात सही है कि २५ सितम्बर, १९६२ को जिलाधीश, बाराबंकी, २१ दिसम्बर, १९६२ को तहसीलदार रामसनेही घाट, को उक्त परेशानियों को दूर करने के लिए रजिस्ट्री द्वारा आवेदन-पत्र भेजे गये ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इन तिथियों को तो नहीं वरन् दिनांक २७ सितम्बर, १९६२ तथा दिसम्बर, १९६२ के उत्तरार्द्ध में क्रमशः जिलाधीश तथा तहसीलदार रामसनेही घाट के कार्यालयों में पानापुर के उपप्रधान तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के आवेदन-पत्र प्राप्त हुए। इन पर जांच के बाद १९ मुकदमें कायम किए गए। इनमें से १४ मुकदमों में कब्जा करने वालों के विरुद्ध बेदखली के आदेश जारी हो चुके हैं। एक मुकदमा खारिज हो गया है तथा शेष ४ मुकदमें न्यायालय के विचाराधीन हैं।

अतारांकित प्रश्न

इंटरमीडियेट कालेज बोर्ड के परीक्षक

१—श्री रघुनाथसिंह—

क्या सरकार २१ सितम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ९९ के उत्तर के क्रम में बतायेगी कि बोर्ड की हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट परीक्षाओं के प्रधान, उप-प्रधान परीक्षकों और सारणीयक के पदों पर सन् १९६३ की परीक्षा में बोर्ड से सम्बन्धित अध्यापकों का अलग-अलग प्रतिशत क्या रहेगा ?

आचार्य जुगलकिशोर—

प्रधान परीक्षक	.. ..	६२.२ प्रतिशत
उप प्रधान परीक्षक	.. ..	२९.४ ,,
सारणीयक	.. ..	८५.३ ,,

जौनपुर में जनपद हिन्दी साहित्य सम्मेलन के भवन निर्माण व्यय में गोलमाल

२—श्री ऊदल तथा श्री विजयपालसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर नगर में जनपद हिन्दी साहित्य सम्मेलन के भवन निर्माण में कितनी आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी गयी और किन-किन मदों से धन दिया गया और भवन निर्माण में कितना रुपया खर्च हुआ ?

३—क्या सरकार को इस विषय में जानकारी है कि जनपद हिन्दी साहित्य सम्मेलन के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री रामेश्वरप्रसादसिंह ने भवन के निर्माण में सरकारी अनुदान व जनधन संग्रह का हजारों रुपया गोलमाल कर दिया है? क्या इसके सम्बन्ध में स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने सरकार से जांच की मांग की है?

४—क्या सरकार को पता है कि सन् १९५८–५९ में तत्कालीन, जिलाधीश, श्री वी० के० मिश्र ने श्री श्यामबिहारीलाल के अनुरोध पर हिसाब किताब की जांच शुरू की थी? यदि हां, तो क्या जिलाधीश के तबादले के बाद जांच जारी रही या बन्द हो गयी? यदि बन्द हो गयी, तो क्या सरकार जांच कराने पर विचार करेगी?

५—क्या सरकार को पता है कि जनपद हिन्दी साहित्य सम्मेलन जौनपुर के भवन पर श्री रामेश्वरप्रसादसिंह ने कब्जा कर लिया है और अपने फर्जी हिसाब पर पर्दा डालने के लिए मनगढ़न्त संस्था को रजिस्टर्ड करा कर जनधन से निर्मित भवन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया है और इस बात की सम्भावना पैदा हो गयी है कि दो दलों में संघर्ष भी छिड़ सकता है?

आचार्य जुगलकिशोर—

सूचना एकत्र की जा रही है।

रायबरेली जिले में एच० टी०सी०, जे० टी० सी० का चुनाव

६—श्री रतीपाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिले में जुलाई, १९६२ से प्रारम्भ होने वाले सत्र में एच० टी० सी० एवम् जे० टी० सी० ट्रेनिंग के लिए कितने व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र सरकार को प्राप्त हुये थे और उनमें से कुल कितने लिये गये?

आचार्य जुगलकिशोर—

	प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की संख्या	लिए गये छात्राध्यापकों की संख्या
एच० टी० सी०	१,५९६	११९
जे० टी० सी	१०४	५

७—श्री रतीपाल—

रायबरेली में उपर्युक्त प्रशिक्षण के लिए कितने प्रशिक्षार्थियों की जगहें थीं तथा कितने उम्मीदवार लिये गये उनमें अनुसूचित वर्ग एवं पिछड़े वर्ग के कितने उम्मीदवार थे?

आचार्य जुगलकिशोर—

	रेगुलर चुनाव से चुने गये एच० टी० सी० प्रशिक्षार्थियों के लिए स्थान	रेगुलर चुनाव द्वारा लिए अनुसूचित जाति के प्रशिक्षार्थियों की संख्या	रेगुलर चुनाव द्वारा लिए गए पिछड़ी जाति के प्रशिक्षार्थियों की संख्या
एच० टी० सी० ..	९७	१२	३३
जे० टी० सी० ..	५	..	१

८—श्री रतीपाल—

क्या सरकार ने भी कुछ परीक्षार्थियों को उपर्युक्त प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त सत्र में नामजद किया था ? यदि हां, तो उनमें कितने उम्मीदवार परिगणित एवं अनुसूचित वर्ग के थे और नामजद प्रशिक्षार्थियों की संख्या क्या थी ?

आचार्य जुगलकिशोर—

	शासन द्वारा मनोनीत	अनुसूचित वर्ग	पिछड़ी	जाति
एच० टी० सी० ..	३२	१	३	
जे० टी० सी० ..	१	..	..	

लखनऊ नगरपालिका में बेसिक स्कूल

९—श्री अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ महापालिका के अन्तर्गत कितने बेसिक स्कूल स्थायी और कितने अस्थायी मान्यता प्राप्त हैं ? अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल कब से अस्थायी हैं और क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—

स्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल—९७, अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल—२२, अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों की, विवरण सहित, तालिका संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'त' आगे पृष्ठ ६७३ पर)

१०—श्री अवधेशकुमार सिनहा—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इन बेसिक स्कूलों को ठीक समय पर ग्रान्ट मिलती है कि नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या गत वर्ष की ग्रान्ट इन्हें अब तक मिल चुकी है, यदि नहीं, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—

स्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को ग्रान्ट समय पर दी जाती है—पहली किस्त सितम्बर, तथा दूसरी मार्च में ।

अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को पूरी ग्रान्ट, मान्यता की स्वीकृति मिलने के बाद, मार्च में दी जाती है। गत वर्ष की ग्रान्ट सब स्कूलों को दी जा चुकी है ।

बर्डघाट पुल निर्माण व्यय

११—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि बर्डघाट पुल पर अब तक कुल कितना खर्च हो चुका है और कितना खर्च करने का तखमीना है तथा यह खर्च पिछले तखमीने से कितना अधिक है तथा क्यों ?

श्री गिरधारीलाल—

३१ मई, १९६३ तक ४०,३९,९३८ रुपया ८६ नये पैसे खर्च हो चुके हैं। अब ४७.६२ लाख रुपये खर्च करने का तखमीना है। यह पिछले तखमीने से ६.१९ लाख रुपया अधिक है। पिछला तखमीना ४१.४३ लाख रुपये खर्च करने का था। पुल के एक स्पैन के गिर जाने के कारण तथा सामान के मूल्य में वृद्धि के कारण इस पुल के निर्माण—मूल्य में यह वृद्धि हुई है।

हाटा तहसील में भूमिधरी के लिये दिया गया धन

१२—श्री बांकेलाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिला के हाटा तहसील के किसानों के गन्ने के पर्चियों की कीमत दसगुना लगान के भुगतान में काट लिया गया है और उनको भूमिधरी की सनद नहीं मिली है ? ऐसे किसानों की संख्या कितनी है जिनको अब तक सनद नहीं मिली है और ऐसा कितना रुपया तहसील में है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कुल १२३५ किसानों को जिनकी कटौती की रकमें उनके दसगुने लगान से कम थीं उन्हें सनदें नहीं दी जा सकीं, जिसके फलस्वरूप उनका १२,०६८.७० न० पै० हाटा तहसील में पड़ा हुआ है।

१३—श्री बांकेलाल—

क्या सरकार यह कार्य करने की कृपा करेगी कि जिनको सनद नहीं मिली है उनका रुपया वह तहसील में से लौटायेगी ? यदि हां, तो कब ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

रुपया तहसील से लौटाया जाता है। काश्तकारों को रुपया वापस लेने के लिये सूचना भी दी जाती है और इनके आने पर रुपया उनको वापस कर दिया जाता है।

शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना

१४—श्री बांकेलाल तथा श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सरकार वर्तमान सत्र के तीसरे शुक्रवार, दिनांक १ मार्च, १९६३ क प्रश्न संख्या ३२ के उत्तर के क्रम में बताने का कष्ट करेगी कि शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना को स्थायी करने में सरकार को क्या-क्या असुविधा है तथा इसकी जानकारी किस आधार पर की गयी ?

आचार्य जुगलकिशोर—

भूत पूर्व उप-शिक्षा मंत्री श्री कैलाशप्रकाश जी की अध्यक्षता में १९५७ में एक कमेटी बैठी थी जिसने मूल्यांकन करने के उपरान्त यह सुझाव दिया कि पुनर्व्यवस्था योजना प्रारम्भ से १० वर्ष तक बिना किसी विशेष परिवर्तन के चलाई जाये तदन्तर योजना का पुनः मूल्यांकन किया जाये। इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

यमुना, बेतवा के घाटों का नीलाम

१५—श्री शिवनार्थसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बांदा, हमीरपुर, जालौन, इटावा के अन्तर्गत जमुना नदी व बेतवा नदी में कौन-कौन से घाट सरकार नीलाम करती है और वे घाट अन्तिम बार कब व कितनी अवधि के लिये कितने में नीलाम किये गये तथा कौन-कौन से घाट ऐसे हैं जिनकी व्यवस्था सरकारी होती है ?

श्री गिरधारीलाल—

सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'थ' आगे पृष्ठ ६७४ पर)

विकास खंड महाराजगंज में घाघरा का कटाव

१६—श्री उमाशंकर—

क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि आजमगढ़ जिले के विकास खंड महाराजगंज की किन-किन ग्राम सभाओं की आबादी पूरी अथवा अंशतः घाघरा नदी के कटाव के कारण गोरखपुर जिले में चली गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

प्रश्नांकित विकास खंड के गांव सभा सेमरी, लरकहवा के ग्राम सेमरी व लोहरिया तथा ग्राम सभा हथियागढ़ रोशन बीबी के ग्राम चंदरहा की आबादी पूर्णतया या अंशत घाघरा नदी की बाढ़ के कारण कट कर नदी में विलीन हो गई। यह जमीन गोरखपुर जिले में नहीं गई।

१७—श्री उमाशंकर—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उन परिवारों की संख्या कितनी है जो कटाव के कारण बेघर हो गये हैं और उन्हें फिर आबाद करने की क्या व्यवस्था की गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

बेघर हुये परिवारों की संख्या लगभग ८६ है। इनके पुनर्वास के लिये महाराजगंज बाजार के पास भूमि दी गई थी जिसे इन लोगों ने लेने से इंकार कर दिया और वे गोरखपुर जिले के ग्राम बसही, कटया, एवं राईपुर, में जाकर बस गये। इन लोगों को ग्राम ईश्वरीप्रसाद, आराजी अधीन तिवारी, आराजी लरकहवा और तिघरा में २६१.७१ एकड़ खेती करने योग्य भूमि दी गई जिस पर उनका अब भी कब्जा है और वे उस पर खेती करते हैं।

१८—श्री उमाशंकर—

क्या राजस्व मंत्री यह बतायेंगे कि उन निरीह लोगों को जो अपनी भूमि खो चुके हैं किन कारणों के आधार पर प्रदेश सरकार द्वारा आबाद की गई नयी भूमि नहीं दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

प्रश्न १७ के संदर्भ में दिये गये उत्तर के कारण यह प्रश्न उठता ही नहीं।

मौन तथा पाराकलां ग्राम के अग्निपीड़ितों को सहायता

१९—श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम मौन, तहसील महराजगंज, जिला रायबरेली में २० तथा २२ मार्च सन् ६३ की भीषण अग्नि लग गयी थी जिसके फलस्वरूप गांव के १८-२० घर बिलकुल जल गये ? क्या उन जले हुये घर वालों को सरकार की ओर से सहायता दी गई है ? यदि हां, तो कितनी और किस रूप में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

ग्राम मौन, तहसील महराजगंज में २० तथा २२ मार्च को नहीं बल्कि १८ मार्च, १९६३ को एक अग्निकांड हुआ था जिस से १४ मकान क्षतिग्रस्त हुये। अग्नि पीड़ितों को २६० रु० की अहेतुक सहायता जिलाधीश द्वारा तत्काल ही दी गई।

२०—श्री भगवानदीन—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ग्राम पाराकलां, तहसील महराजगंज, जिला रायबरेली में २६ मार्च, १९६३ को भीषण आग लग गयी थी जिसके फलस्वरूप गांव के २०-२१ घर जल गये ? क्या जले घर वालों को सरकारी सहायता दी गई ? यदि हां, तो क्या और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उक्त अग्निकांड में कुल २३ मकान क्षतिग्रस्त हुये। राज्य की ओर से आर्थिक सहायता हेतु ९०० रु० का तकावी ऋण तथा १०५ रु० की अहेतुक सहायता उन पीड़ित व्यक्तियों को प्रदान की गई जिन्होंने सहायता लेना स्वीकार किया ।

२१—श्री होरी लाल यादव—

[३रे सोमवार के लिये प्रश्न संख्या १० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

नींव नदी पर पुल की आवश्यकता

२२—श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि खानपुर, जिला बुलन्दशहर के नजदीक नींव नदी पर पुल का बनाया जाना यातायात की सुविधा के लिये बहुत आवश्यक है ? उस जगह पुल के बनाये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रश्नगत पुल जिला परिषद् की सड़क पर पड़ता है और इस पर पुल निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

समयथान पीठी में कन्या पाठशाला खोलने की प्रार्थना

२३—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र ११ अक्तूबर, १९६२ का किसी कन्या पाठशाला खोलने के बारे में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उस पर कौन सी कार्यवाही की गई है ?

आचार्य जुगलकिशोर—

ग्राम समयथान पीठी, गोरखपुर में एक कन्या प्राइमरी पाठशाला खोलने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का एक पत्र दिनांक ११ फरवरी, १९६३ का शिक्षा सचिव को प्राप्त हुआ था उस पर जिला विद्यालय निरीक्षक की आख्या मंगाई गई थी। उन्होंने सूचित किया है कि उक्त ग्राम में स्कूल खोलने का प्रस्ताव १ अक्तूबर, १९६३ से नये खुलने वाले स्कूलों के प्रस्ताव के साथ जिला परिषद् को स्वीकृत्यर्थ भेजा जायगा ।

बाराबंकी जिले में डिनेचर्ड स्प्रिट के लाइसेंसदार

२४—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले में विगत दो वर्षों में कितनी स्प्रिट की दूकानें खोली गयीं और किन व्यक्तियों को लाइसेंस प्रदान किये गये क्या इनके अलावा भी आवेदन-पत्र थे ? यदि हां, तो किन-किन के ?

डाक्टर सीताराम—

विगत दो वर्षों में बाराबंकी जिले में डिनेचर्ड स्प्रिट के एक थोक तथा ६ फुटकर लाइसेंस दिये गये। जिन लोगों को लाइसेंस दिये गये तथा जिन-जिन लोगों के आवेदन-पत्र आये, उनका ब्यौरा संलग्न तालिका १ में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'द' आगे पृष्ठ ६७५–६७६ पर) ।

२५—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त लायसेंसीज को लायसेन्स प्रदान करने में क्या आधार मान कर लायसेन्स प्रदान किया गया ?

डाक्टर सीताराम—

यू० पी० ऐक्साइज मैनुअल धारा ६१५(१) के अन्तर्गत लाइसेंस जिलाधीश द्वारा उपर्युक्त व्यक्तियों को प्रदान किये जाते हैं। कौन व्यक्ति उपयुक्त है इसका निर्णय जिलाधीश ही करते हैं।

२६—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह बात सही है कि उक्त जिले के ग्राम जरौली, तहसील रामसनेही घाट, बाराबंकी में स्प्रिट की दूकान खोलने की मांग की गई थी और इस प्रकार की दूकान कान्हीपुर तहसील, हैदरगढ़ में खोलने की मांग की गई थी ? यदि हां, तो इनके द्वारा और इन जगहों पर न दूकानें खोलने का क्या कारण है ?

डाक्टर सीताराम—

जी हां। किन्तु जरौली और कान्हीपुर गांव बहुत छोटे हैं इसलिये सरकार ने इन स्थानों पर स्प्रिट की दूकान खोलने की आज्ञा प्रदान नहीं की।

जरौली में दूकान खोलने की मांग केवल श्री बुद्दूलाल त्रिपाठी ने की थी। कान्हीपुर के लिये मांग सर्वश्री सुन्दर लाल तिवारी तथा वंशीधर तिवारी ने की थी।

सिविल कोर्ट, बस्ती की इमारत

२७—श्री श्यामलाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि सन् १९६० में जिला बस्ती के सिविल कोर्ट की Building बनकर मुकम्मल हो चुकी है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां।

२८—श्री श्यामलाल—

यदि हां, तो क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि कि ने लाख रुपये इस बिल्डिंग के बनाने में लगे ?

श्री गिरधारीलाल—

इस भवन के निर्माण में १,३०,९८६ रु० का व्यय हुआ है।

२९—श्री श्यामलाल—

क्या सरकार को यह भी पता है कि सारी बिल्डिंग में गत तीन वर्षों से बरसात में पानी टपकता है ? यदि हां, तो क्यों और इसके लिये कौन जिम्मेदार हैं ?

श्री गिरधारी लाल—

इस विभाग को उक्त बिल्डिंग में गत तीन वर्षों से बरसात में पानी टपकने की कोई सूचना नहीं मिली है। अभी हाल में बिल्डिंग को देखने से यह मालूम हुआ कि इस वर्ष बरसात में छत कुछ स्थानों पर टपकी है। छत से पानी टपकने के कारणों एवं उसके लिये कौन जिम्मेदार है इसके बारे में सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

कलेक्ट्रेट बुलन्दशहर

३०—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कलेक्ट्रेट, बुलन्दशहर में जो व्यक्ति अपने मुकदमों के बारे में पैरोकारी के लिये आते हैं उनके बैठने-उठने के लिये क्या सुविधायें हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कलेक्ट्रेट, बुलन्दशहर में जो व्यक्ति अपने मुकदमों में पैरोकारी के लिये आते हैं उनके बैठने उठने के लिये अभिभावक कक्षों के पास ही टीन शेड बना हुआ है ।

३१—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कलक्ट्रेट, बुलन्दशहर में पानी पिलाने का क्या प्रबन्ध है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—

चार नल लगे हुये हैं जो पानी पीने के लिये पर्याप्त हैं ।

३२—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कलेक्ट्रेट, बुलन्दशहर में वकीलों के बैठने की झोपड़ियों के बजाय पुख्ता कमरा बनाने की आज्ञा देना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

वकीलों के बैठने के लिये एक हाल व दो लम्बी पक्की बैरकें बनी हुई हैं, परन्तु वकीलों की संख्या अधिक होने के कारण उन्हें ने अपने बैठने के लिये झोपड़ियां डाल रखी हैं ? इन झोपड़ियों के स्थान पर पक्के कमरे बनाये जाने के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष नहीं है ।

घाटमपुर तहसील में चकबन्दी कर्मचारियों के स्थानान्तरण

३३—श्री शिवनाथसिंह—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगी कि जिला कानपुर की तहसील घाटमपुर के अन्तर्गत १ अप्रैल, सन् १९६३ से १० जुलाई, १९६३ तक किन-किन चकबन्दी कर्मचारियों के कब-कब स्थानान्तरण आदेश जारी किये गये और कब उन्होंने चार्ज छोड़ा ?

श्री हुकमसिंह विसेन—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बगहा ग्राम अग्निकाण्ड

३४—कुंवर श्रीपालसिंह —

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १८ मार्च, १९६३ में गोरखपुर जिले की बड़हलगंज से पूरब घाघरा नदी के तट पर स्थित बगहा ग्राम पूरा का पूरा आग लग जाने से भस्म हो गया तथा एक झोपड़ी में एक बालक भी जल कर मर गया ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण क्या है तथा सरकार से उन पीड़ितों को क्या-क्या सहायता दी गई है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

ग्राम बगहा में अग्निकांड दिनांक १८ मार्च, १९६३ को नहीं बल्कि दिनांक ११ मार्च, १९६३ को हुआ था जिसमें २६ घर जले, १ बालक की मृत्यु हुई और २ व्यक्ति जल गये। क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य ३०,८०० रुपये है।

पीड़ितों में ९४ रुपये, मूल्यांकन की आवश्यक वस्तुयें, ६५० रु० की अहेतुक सहायता तथा १,३५० रुपये की गृह निर्माण सहायता वितरित की गई और वे अस्थायी रूप से फिलहाल बस गये हैं। स्थायी पुनर्वास की व्यवस्था की जा रही है।

बिलारी तहसील में ग्राम समाजों की जमीन

३५—श्री रियासत हुसैन—

क्या राजस्व मंत्री को मालूम है कि तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद में बहुत से गांवों में लेखपाल से ले कर तहसीलदार तक के अधिकारियों ने मिलकर ग्राम समाज की जमीनों को कुछ लोगों को नाजायज तौर से दे रखा है? क्या राजस्व मंत्री इस विषय में कोई खास जांच कराएंगे?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं। जांच के बाद पाया गया कि ऐसा कोई केस (Case) नहीं हुआ। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

घाघरा नदी के पेटे से निकाली पैहिला ग्राम समाजों की भूमि

३६—श्री कल्पनाथसिंह—

राजस्व मंत्री ५ अक्तूबर, १९६२ के प्रश्न संख्या ११ के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार उस गांव के भूमिहीनों में पुनः वह भूमि बंटाने का प्रबन्ध कर रही है या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो क्या?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं। क्योंकि भूमि बांटने का अधिकार भूमि प्रबन्धक समितियों को है और इस समय तो उस भूमि के विषय में दीवानी न्यायालय में विवाद उपस्थित है।

बाराबंकी जिले में कलेक्शन अमीनों की सीनियारिटी

३७—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जिले के कलेक्शन कुर्क अमीनों की जो सीनियारिटी सूची बनी थी, जिसे १४ सितम्बर सन् १९६० को अमीनों में घुमाया गया था उसमें और जो सूची १२ दिसम्बर, १९६० में सिनियारिटी के हिसाब से फाइल की गई उनमें कोई अन्तर है? यदि हां, तो क्या सरकार दोनों सूचियां मेज पर रखने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां। तथा कथित दोनों सूचियों में अन्तर है। दोनों† सूचियों की प्रतिलिपि प्रस्तुत है।

---

†छापी नहीं गई।

बिलारी तहसील में हरिजन कलेक्शन अमीन व चपरासी

३८—श्री रियासत हुसैन—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील बिलारी, जिला मुरादाबाद में कुल कितने कलेक्शन अमीन हैं ? उनके साथ कितने मुस्तकिल और कितने सीजनल चपरासी हैं और उनमें हरिजनों की संख्या कितनी है ?

श्री हुकुम सिंह विसेन—

तहसील बिलारी , जिला मुरादाबाद में इस समय कुल ३३ कलेक्शन अमीन हैं जिनके साथ ३३ मुस्तकिल व साल तमाम कार्य करने वाले तथा ३२ सीजनल चपरासी हैं जिनमें ३ (१–२) हरिजन वर्ग के हैं ।

विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलने में विलम्ब

३९—श्री उमाशंकर—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य के लखनऊ, इलाहाबाद तथा गोरखपुर विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को जो छात्रवृत्तियां (राजनीतिक पीड़ित, हरिजन तथा पिछड़ी जाति की छात्रवृत्ति, और योग्यता छात्रवृत्ति जो राज्य सरकार या भारत सरकार देती है) उसका भुगतान जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में पड़े रहने के कारण विलम्ब से होता है ? यदि हां, तो क्या शिक्षा मंत्री इसके लिये संबंधित अधिकारियों को उचित निर्देश भेजेंगे ?

आचार्य जुगलकिशोर—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सेंट एंड्रयूज कालेज, गोरखपुर के लिये क्रिश्चियन प्रिंसिपल

४०—श्री काशीनाथ मिश्र—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सेंट एन्ड्यूज कालेज, गोरखपुर के विधान में आज भी यह दर्ज है कि उस कालेज का प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल क्रिश्चियन ही होगा ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—

वायस प्रिंसिपल के लिये विधान में ऐसा है। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये यदि कालेज प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की नियुक्तियां क्रिश्चियनों में से करता है तो इसे असंवैधानिक नहीं कहा जा सकता है ।

४१–४३—श्री जसराम सिंह—

[३ रे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

४४–४५—श्री हिम्मतसिंह—

[३ रे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

४६—श्री कल्पनार्थसिंह—

[३रे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

बर्डघाट पुल के व्यय का लेखा-जोखा

४७—श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले के बर्डघाट पुल से संबंधित आंकड़ों की जांच अब तक कुल कितने बार हुई और उनकी रिपोर्ट क्या-क्या है ?

श्री गिरधारी लाल—

उक्त पुल संबंधी आंकड़ों की जांच अब तक महालेखाकार के द्वारा कुल चार बार हुई है। उनकी रिपोर्ट निम्न प्रकार है—

१—आडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट नं० ११५-६०-६१ ।
२—आडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट नं० १५६-६१-६२ ।
३—आडिट इंस्पेक्शन रिपोर्ट नं० १२८-६२-६३ ।
४—विशेष आडिट नोट ।

४८—श्री कल्पनार्थसिह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त जांच में किसी अनियमितता का भी उल्लेख है ? यदि हां, तो उक्त अनियमितता क्या है और अब तक उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है या की गई है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां । महालेखाकार ने कुछ आर्थिक अनियमितताऐं बताई हैं, जैसे कि टेन्डर पर निर्णय लेने में अधिक देरी, ठेकेदारों को आवश्यकता से कहीं अधिक सामग्री देना, ठेकेदारों को बान्ड की शर्तों के विरुद्ध कुछ मदों के अन्तर्गत अनधिकृत रूप से भुगतान करना, कॉफर डैम के निर्माण में निरर्थक व्यय, आदि इन सब बातों की जांच की जा रही है ।

बहराइच जिले में मालगुजारी न देने वालों की कैद

४९—कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बहराइच जिले के बहराइच तहसील में मालगुजारी न देने वाले, लोग जो कैद किये जाते हैं वह किस जगह बन्द किये जाते हैं और उस कमरे का क्षेत्रफल कितना है तथा उसमें कितनी खिड़कियां और दरवाजे हैं और किस साइज के हैं ?

श्रीहुकुमसिंह विसेन—

बहराइच जिले की बहराइच तहसील कम्पाउन्ड में मुख्य तहसील बिल्डिंग से अलग एक बीस फुट ऊंचा गोलाकार कमरा है जिसमें मालगुजारी न देने वाले व्यक्ति बन्द किये जाते हैं । इस कमरे के फर्श का क्षेत्रफल ६० वर्गफीट है । इसमें एक लोहे की छड़ो का दरवाजा है ६ फीट लम्बा तथा ४ फीट चौड़ा है । खिड़की नहीं है ।

५०—कुंवर श्रीपालसिंह—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि बहराइच तहसील में इस साल (खरीफ) मालगुजारी न देने के लिये बन्द किये जाने वालों की एक तारीख में सब से ज्यादा संख्या कितनी थी और वह कौन सी तारीख थी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

तहसील बहराइच में इस साल खरीफ में (१३७० फसली) मालगुजारी न देने के कारण बन्द किये जाने वालों की अधिकतम संख्या ३ थी जो २६ मार्च, १९६३ की थी ।

५१-५३---श्री कल्पनाथ सिंह---

[३रे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

५४---श्री ऊदल---

[३रे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

५५---श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)---

[३रे शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

५६-५७---श्री मुमताज मुहम्मद खां---

[पहले मंगलवार के लिये प्रश्न ७९-८० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

बेसिक रीडर के दाम

५८---श्री मतोलासिंह---

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि बेसिक रीडर की कीमत ६२ नये पैसे है किन्तु यह चौधरी ब्रदर्स, कानपुर (बिसाना बाजार) में ८४ नये पैसे में बेची जा रही है ? क्या इस प्रकार सभी प्राइमरी स्कूल की पुस्तकों में ब्लैक किया जा रहा है?

आचार्य जुगलकिशोर---

जी नहीं, ६२ नये पैसे वाली बेसिक रीडर ८४ नये पैसे में कहीं नहीं बेची जा रही है

५९---श्री गणेशचन्द्र काछी---

[८वें शुक्रवार के लिये तारांकित प्रश्न ३ के अन्तर्गत निर्धारित किया गया ।]

बुलन्दशहर जिले में सड़कों के निर्माण की योजना

६०---श्री मुमताज मुहम्मद खां---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बुलन्दशहर में तीसरी पंचसाला योजना में कौन-कौन सी सड़कों को पक्का बनाये जाने की योजना है ? इनमें से अब तक कितनी सड़कें पक्की बन गई हैं और बाकी पर क्या काम हो रहा है ?

श्री गिरधारीलाल---

आवश्यक सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी है ।

(देखिये नत्थी 'ध' आगे पृष्ठ ६७७ पर)

६१---श्री मुमताज मुहम्मद खां---

क्या सरकार को ज्ञात है कि जिला बुलन्दशहर में सयाना से बुगरासी जाने वाली सड़क एक बहुत ही जरूरी सड़क है ? क्या उसको पक्का बनाने की ओर सरकार जल्द से जल्द ध्यान देगी ? यदि हां, तो कब ?

श्री गिरधारीलाल---

जिला परिषद्, बुलन्दशहर ने तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में इस सड़क को पक्का बनवाने के लिये नीची प्राथमिकता दी थी । इस समय इसको पक्का करने की सरकार की कोई योजना नहीं है ।

हंडिया ग्राम में हरिजनों को कष्ट

६२—श्री श्यामलाल—

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि बस्ती जिला, थाना कोतवाली के अन्तर्गत हंडिया नामक ग्राम में जो हरिजन बस्ती दूसरों के चक द्वारा घिर उठी है और हरिजनों का निकलना-पैठना, उठना व बैठना सब दुश्वार है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त ग्राम की हरिजन बस्तियों के पास की भमि जो हरिजनो के प्रयोग में थी दूसरों के चकों में नहीं दी गई है। दोनों हरिजन बस्तियों के निकट सड़कें हैं ।

६३—श्री श्यामलाल—

यदि हां, तो क्या सरकार नः स गांव में निशानदेही करायेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

यह प्रश्न नहीं उठता ।

६४-६५—श्री जसरामसिंह—

[३ रे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

६६-६७—श्री जगन्नाथराव (जिला जौनपुर)—

[३रे शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

पैनाली-भरुआ-सुमेरपुर सड़क

६८—श्री शिवनार्थसिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत सत्र १९६२ में जिला हमीरपुर स्थित भरुआ सुमेरपुर से जिला बांदा स्थित पलानी तक जिस सड़क को पैमाइश सरकार ने कराई थी उसका कार्य कब से शुरू होने जा रहा है ?

श्री गिरधारीलाल—

जिला परिषद्, बांदा ने सिफारिश की है कि पैलानी-भरुआ-सुमेरपुर सड़क को छोड़कर उसकी जगह पैलानी-भुइयारानी सड़क बनाई जाय । यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । इस प्रस्ताव पर निर्णय होने तक के लिये पैलानी मरुआ सुमेरपुर सड़क का निर्माण स्थगित कर दिया गया है ।

६९—श्री शिवनार्थसिंह—

क्या सार्वजनिक मंत्री इस पिछड़े क्षेत्र में जहां कि आजादी पाने के बाद से अब तक किसी प्रकार की कोई सड़क नहीं बनाई गई है उक्त सड़क को बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—

जैसा कि ऊपर कहा गया है, जिला परिषद् के प्रस्ताव पर निर्णय लिये जाने के बाद इस संबं में कार्यवाही की जायगी ।

प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, सवालों के संबंध में मेरा निवेदन यह है कि आपने कई मर्तबा सरकार को चेतावनी दी है कि आपके कार्यालय में प्रश्नों का उत्तर एक दिन पहले मिल जाना चाहिये। लेकिन इसके बावजूद सरकार सदा आपके दफ्तर में प्रश्नों के उत्तर उसी दिन सवेरे भेजती है और वे उत्तर सदस्यों को सदन में आने पर मिलते हैं। नतीजा यह होता है कि हम सप्लीमेंटरी नहीं कर पाते और सरकार का फायदा हो जाता है। इसलिये इस दिशा में श्रीमन्, कोई ठोस सुझाव दिया जाय जिससे आयन्दा ऐसी गलती न हो।

दूसरा निवेदन यह है कि नत्थी (घ) के प्रश्न संख्या ४० को श्रीमन् देखें। यह सिर्फ शिक्षा संचालक, गोरखपुर के संबंध में है। आपके कार्यालय से यह प्रश्न १४-३-६३ को शिक्षा मंत्री जी के यहां भेजा गया है। साढ़े ६ महीने के बाद उत्तर मिला है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। इसके लिये आपको सोचना चाहिये कि हमारे मूल अधिकार पर इस तरह से सरकार कुठाराघात करती है और आपके आदेशों का उल्लंघन करती है। इसको ठीक करने के लिये कोई ठोस सुझाव होने चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

आप मेरे पास आ जाइये, मैं सब चीजों को देख लूंगा।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

श्रीमन्, आप दफ्तर से पूछ लें कि आज ही उत्तर दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं पूछ तो लूं और मुझे दिक्कत मालूम तो हो जाय।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

अध्यक्ष महोदय, गाजीपुर जिले के सैदपुर के नार्मल ट्रेनिंग का नतीजा ३ महीने से रुका हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

आपने प्रश्न किया था।

श्री कमलासिंह यादव—

२७ तारीख को निश्चय किया, लेकिन एजेंडे पर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष—

आप आ जाइये, मैं देख लूंगा।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, मैंने गवर्नमेन्ट टेक्नीकल स्कूल, कानपुर के संबंध में एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न किया था कि वहां १० अध्यापक नहीं है और लड़कों का नुकसान हो रहा है जब कि टैक्नीकल हैंन्डस की जरूरत है। इसको तारांकित कर दिया गया है जब कि सूचना कानपुर से फोन से ली जा सकती है। आप ३० तारीख तक इसको दिला दें।

श्री अध्यक्ष—

यह नहीं हो सकता है जैसा प्रश्न होगा, वैसे ही लिया जायगा।

लोक सेवा आयोग का १९५९-६० का प्रतिवेदन*

गृह उप मंत्री (श्री नवल किशोर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से "भारत का संविधान" के अनुच्छेद ३२३ के खण्ड (२) के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के १९५९-६० के वार्षिक प्रतिवेदन को उसके ज्ञापन सहित सदन की मेज पर रखता हूं ।

आश्वासन समिति का १९ वां प्रतिवेदन*

†कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वासन समिति के सभापति की हैसियत से समिति का १९वां प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करता हूं ।

इस प्रतिवेदन में उन आश्वासनों का समावेश किया गया है जो २२ सितम्बर, १९६२ से १४ दिसम्बर, १९६२ की अवधि में सदन में दिये गये थे । इस प्रतिवेदन के वर्ग ३ में ऐसे आश्वासनों का उल्लेख किया गया है जिनकी पूर्ति के संबंध में संबंधित विभागों ने कोई सूचना प्रस्तुत करना तो दूर रहा उनकी प्राप्ति की सूचना भी नहीं दी है ।

समिति अपने पिछले प्रतिवेदनों में कई बार यह सिफारिश कर चुकी है कि समिति को जो भी सूचनाएं प्रस्तुत की जायं उनमें हिन्दी भाषा का ही प्रयोग होना चाहिये । इस संबंध में शासकीय आदेश प्रसारित भी हो गये हैं । प्रदेश की राज्य भाषा हिन्दी पहले ही घोषित की जा चुकी है। मंत्रिमंडल को आपने निर्देश भी दिया है कि सदन में जो सूचनाएं प्रस्तुत की जायं वे यथासंभव हिन्दी में ही होनी चाहिये, परन्तु यह खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि सचिवालय के कुछ विभागों द्वारा उनका यथोचित रूप से पालन नहीं हो रहा है। अतः समिति ने विवश हो कर अब यह निश्चय ले लिया है कि जिन आश्वासनों के बारे में सूचनाएं अंग्रेजी भाषा में होंगी उन पर वह विचार नहीं करेगी । समिति आशा करती है कि समस्त सरकारी विभाग इस संबंध में समिति को अपना सहयोग प्रदान करेंगे ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रतिवेदन की मुद्रित प्रतियां माननीय सदस्यों को बाद में वितरित की जायंगी, क्योंकि वे अभी तक छप कर प्राप्त नहीं हो सकी हैं ।

अन्त में प्रतिवेदन को समाप्त करने से पूर्व मैं समिति से संबंधित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके सहयोग, सहायता तथा कठिन परिश्रम के लिये धन्यवाद देता हूं जिसके फलस्वरूप समिति थोड़े से समय में ही अपने पांच प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत कर सकी ।

नियोजन मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या आश्वासन समिति यह कह सकती है कि फलां भाषा में नहीं आयेगा तो हम विचार नहीं करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

हमारा नियम और हमारा अधिनियम यही है कि हमारी राज भाषा हिन्दी है । वह यह आशा करते हैं कि बहैसियत सभापति आश्वासन समिति के कि उनके पास सरकार द्वारा जो भी उत्तर आयेंगे वह उस भाषा में आयेंगे जो राजभाषा है और जो भाषा इस सदन की है । उसी तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया गया है ।

---

*छापा नहीं गया ।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

समाजवादी दल के एक कार्यकर्त्ता के साथ सरकारी अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

राधेश्याम जी की विशेषाधिकार की एक सूचना आयी है जिसकी अनुमति मैंने नहीं दी है । उनकी शिकायत यह है कि किसी सरकारी अधिकारी ने मंत्री महोदय को गलत सूचना दी और उसके आधार पर यहां गलत उत्तर दिया गया ।

एक बात विशेषाधिकार के संबंध में यहां समझ लेना चाहिये । वह यह है कि जिन अधिकारियों का हमसे प्रत्यक्ष सम्पर्क न हो उनके संबंध में हम विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठा सकते हैं, इस बुनियाद पर कि उन्होंने कोई गलत सूचना दी । उनके लिये केवल एक ही तरीका है कि संबंधित मिनिस्टर की सूचना में यह बात लाएं और बताएं कि उनको गलत इनफार्मेशन दी गयी है और वह कार्यवाही करें । लेकिन उसके बारे में विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठता ।

*श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि क्या कोई माननीय मंत्री इस सदन में कोई स्टेटमेंट ऐसा मिसलीडिंग दे सकते हैं कि यह घटना नहीं हुई है जो कि बार बार कोई आदरणीय सदस्य उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित का करता है । माननीय बहुगुणा जी ने बार बार इस सदन में कहा कि २३ सितम्बर....

श्री अध्यक्ष—

वह बात दूसरी है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिया जाता है ।

श्री अध्यक्ष—

आप दूसरा प्रश्न उठा रहे हैं । जो राधेश्याम जी ने उठाया था उस पर बात हो रही है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं । मैं उसको ओवर रूल करता हूं । आप बैठ जाइये ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

आप ओवर रूल कर दीजिए, लेकिन आप मेरी बात तो सुन लीजिए ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये । जो प्रश्न आप उठा रहे हैं वह अब नहीं उठ सकता । जो समय आप ले रहे हैं वह बिला वजह नष्ट हो रहा है । मेरी समझ में नहीं आता कि कम से कम इतना तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अध्यक्ष]—

इस आदरणीय सदन के सदस्यों को समझना चाहिए कि जिस संबंध में आप एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाते हैं उसको फौरन उठाना चाहिए और यह न हो कि आप खड़े हो जायं और व्यवस्था की आड़ में विशेषाधिकार के प्रश्नों को प्रस्तुत करें ।

राजस्व मंत्री द्वारा सदन में कथित गलतबयानी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय केशरी प्रसाद जी ने जो सूचना भेजी है अभी मैंने उसकी अनुमति नहीं दी है। उसकी एक प्रति माननीय राजस्व मंत्री को भेज दी है ।

(राजस्व मंत्री का नाम पुकारे जाने पर)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, कृपया पढ़ दें ।

श्री अध्यक्ष—

मैं पढ़ने जा रहा हूं । जब मैं उनको बुलाता हूं तब आप कहते हैं कि साहब पढ़िये । जरा धैर्य रखिए । हो सकता है मुझ से कोई गल्ती हो जाय, लेकिन जब तक गल्ती न हो तब तक आपका खड़े होकर रोकना गलत है । अब मैं पढ़े देता हूं—

"मैं अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से सदन के अवमान तथा विशेषाधिकार की अवहेलना का एक प्रश्न श्री ठा० हुकुम सिंह जी सदस्य विधान सभा तथा उपनेता सदन के विरुद्ध उठाना चाहता हूं। आशा है ऐसा करने की आज्ञा अध्यक्ष महोदय देने की कृपा करेंगे।

सदन, समिति तथा सदस्यों के वही विशेषाधिकार हैं जो इंग्लैंड के हाउस आफ कामन्स, उसकी समिति तथा सदस्यों के हैं। अनुच्छेद १९४(३) भारतीय संविधान के अनुसार सदन में नियमों की अवहेलना उसके विशेषाधिकार की अवहेलना है ।

श्री ठा० हुकुमसिंह उपनेता सदन ने दिनांक २४ सितम्बर, १९६३ को माननीय अध्यक्ष द्वारा पूछने पर कि दिनांक १६ सितम्बर, सन् १९६३ से विधान सभा को आहूत करने के संबंध में मेरी इत्तिला है कि जिला परिषद् अध्यादेश जो माननीय हाईकोर्ट में दाखिल है, को भी बयान हल्फी में शामिल किया गया है और अध्यादेश की चुनौती दी गयी है। अतः मसला सबजुडिस है।" इस पर ठा० हुकुम सिंह ने कहा, "ऐसी ही मेरी भी सूचना है कि कोई रिट हो गया है और सारा मसला इसलिये सबजुडिस हो गया है।" उपर्युक्त बातें माननीय उपनेता ने सदन के समक्ष कहकर सदन को गुमराह, मिसलीड किया, जब कि उपरोक्त रिट दिनांक २३ सितम्बर, १९६३ को ही समाप्त हो चुकी थी ।

अतः मैं सदन तथा सदस्यों को गुमराह करने तथा सदन के सामने गलत बयानी करने के कारण सदन के अवमान तथा विशेषाधिकार अवहेलना का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, मेरा भी इसी के संबंध में है ।

श्री अध्यक्ष—

जी हां, आपका भी इसी संबंध में है ।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि आज १५–१६ साल के अर्से में एक विशेषाधिकार का प्रश्न हमारे मित्र मेरे खिलाफ ले आये, जिसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो मेरी सूचना थी उसके आधार पर मैंने कह दिया कि ऐसी मुझे भी इत्तिला है कि वह क्वैश्चन सबजुडिस है। मैंने जानबूझ कर गलत बयानी करने की धारणा से बयान नहीं दिया है। अगर हमारे मित्र को खुशी हो तो मुझे अफसोस है कि मुझसे एक ऐसा बयान हो गया।

श्री अध्यक्ष—

माननीय केशरी प्रसाद जी, आप बैठिए। एक तो उन्होंने अपना खेद प्रकट कर दिया लेकिन कदाचित् यह प्रश्न आप न करते कि इसको पढ़कर सुना दिया जाय तो अच्छा होता, क्योंकि इसमें इस संबंध में सरकारी वकील थे उनको भी २४ तारीख तक यह पता नहीं था कि वह खारिज हो चुका है। उन्होंने लिखा है कि जब यहां से फोन हुआ है तब उन्होंने मिसिल का मुआयना किया और तब उन्हें पता चला। तो जब उनके वकील को भी नहीं मालूम था तब उनको ज्ञान होना और मुश्किल था।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

माननीय राजस्व मंत्री ने अफसोस जाहिर किया है कि मुझे अब इस प्रश्न को उठाना नहीं है, लेकिन अब एक प्रश्न जो आपने कहा कि सरकारी वकील महोदय को नहीं मालूम था तो उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए थी और उन्हें चाहिए था कि सरकार को वे तथ्य से अवगत कराते।

श्री अध्यक्ष—

केशरी प्रसाद जी मैं आपको बता दूं कि यह मामला २५ सितम्बर के लिए मुकर्रर था २४ तारीख को यहां से पूछा गया कि मुकदमें में क्या हुआ तो उन्होंने बताया कि २५ तारीख उसके लिए लगी हुई है। लेकिन जब उन्होंने मुआयना कराया तो मालूम हुआ कि दूसरी तरफ के वकील ने एक दिन पहले ही आकर कह दिया कि वे अब इसको प्रेस नहीं करना चाहते।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास कई कार्य-स्थगन प्रस्ताव आये हैं। एक तो बिपिन बिहारी तिवारी जी का है कि प्रदेश में शक्कर के वितरण में अव्यवस्था से उत्पन्न असंतोष व्याप्त है। बहुत से स्थानों पर शकर तथा गुड़ का अचानक अकाल पड़ गया है। यह विषय ऐसा नहीं है जो कार्य-स्थगन के रूप में स्वीकार किया जाय विशेषकर, जब कि यह कोई नयी बात नहीं है। कई दिनों से इसकी सूचनायें आ चुकी हैं। कार्य-स्थगन प्रस्ताव का मतलब यह होता है कि सदन का सारा कार्य बन्द करके अविलंबनीय हाल की विशेष बात पर विचार किया जाय। क्योंकि यह विषय बहुत दिनों से चल रहा है इसलिए यह कार्य-स्थगन का विषय नहीं हो सकता।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

श्रीमन्, सारे प्रदेश में गुड़ के अभाव में हाहाकार मचा है।

श्री अध्यक्ष—

अब उसके ऊपर बहस नहीं हो सकती है।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

आप मुझे केवल सुन तो लें ।

श्री अध्यक्ष—

यह तो मैंने आपके संतोष के लिये इतना यहां कहा। वैसे नियम तो यह है कि इसे मैं अपने कमरे में खारिज कर दूं। मुझे संतोष नहीं है कि यह विषय कार्य स्थगन का हो सकता है।

श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

मैं यह बताना चाहता हूं कि क्या परिस्थितियां हैं जिसके कारण शक्कर और गुड़ का अभाव है ।

श्री अध्यक्ष—

बिपिन बिहारी जी, आप कृपया बैठ जाइये ।

अब एक माननीय उमा शंकर जी का है। इसमें पहली गलती तो यह है कि दो घटनाओं को एक में मिला दिया गया है और फिर सामान्य प्रशासन का विषय है कि कहीं दो तीन जगहों पर कत्ल हो गये हैं। उसके बिना पर यहां काम रोको प्रस्ताव आ जाय यह संभव नहीं है ।

तीसरा माननीय बसन्त सिंह जी का है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान सत्र प्रारंभ हुए २ महीने और २० दिन हुए। राजकीय आर्युवेदिक पाठशाला में हरिजन छात्र शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं यह २ महीने की बात है इसलिए अविलम्बनीय नहीं हो सकता।

इसी प्रकार से गोरखपुर के खाद कारखाने के बारे में श्री कल्पनाथ सिंह जी का है कि वहां पर उसके लिए जमीन ले ली गयी है और उस संबंध में किसानों के सत्याग्रह करने की आशंका है। यह एक मर्तबा पहले भी आया है, माननीय माधव प्रसाद जी त्रिपाठी ने लिया था। मैंने उसको माननीय मंत्री महोदय के पास भेज दिया है। मुख्य मंत्री जी, इसके बारे में आपको कोई जानकारी है इस समय ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

इसके विषय में मैं जरा नोटिस चाहूंगा। जानकारी इस वक्त नहीं दे सकता।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी का उत्तर सुनायी नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा कि इस समय मेरे पास कोई सूचना नहीं है जो सदन के सामने रख सकूं।

श्री कल्पनाथसिंह—

तो, श्रीमन्, जरा आप बताइये, आपने कहा था कि मैं मंत्री जी के पास भेज दूंगा तो आपने भेजा था या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने भेजा था और इसको भी भेज दूंगा ।

श्री कल्पनाथसिंह—

कल भी आपने भेजा था तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री अध्यक्ष—

वह कार्यवाही, आप आयेंगे तो मैं मालूम करके बता दूंगा। मैंने प्रातः काल भी आप से कहा था कि पूछकर बता दूंगा ।

अब एक शिवनाथ सिंह जी का नियम ५२ के अन्तर्गत है---कानपुर जिला परिषद् के अन्तर्गत विभिन्न प्राइमरी पाठशालाओं में नियुक्त ११७ अध्यापकों को जिलाधीश व मुख्याधिकारी, कानपुर ने अवैधानिक ढंग से सेवा से पृथक् कर दिया है। तो यह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का नियम विषय है। अगर वहां कोई अनुचित कार्यवाही होती है तो वहां पूछ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---

एक दूसरा हिम्मत सिंह जी का है। यह प्रदेश में गुंडागर्दी के संबंध में है और यूनिवर्सिटी में कुछ छात्रों के ऊपर आक्रमण हुआ है, उससे संबंधित है ....

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)---

यह स्कूलों से लड़के, लड़कियां आये दिन उठाये जा रही हैं...

श्री अध्यक्ष---

आप ठीक कहते हैं और यह एक इंडिविजुअल केस जरूर है, लेकिन लोक-महत्व का नहीं है।

श्री हिम्मतसिंह---

अध्यक्ष महोदय, यह तो बिल्कुल आम हो गया। हर कस्बे में हर जगह ऐसा हो रहा है। यह तो एक इंस्टेंस मैंने दी। वाराणसी में हुआ है।

श्री अध्यक्ष---

मैं इसे लोक महत्व का नहीं समझता।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

श्रीमन्, लड़कियां उठायी जा रही हैं और इसको आप लोक-महत्व का प्रश्न नहीं समझते तो फिर लोक महत्व का प्रश्न किसे कहेंगे।

श्री अध्यक्ष---

इसमें तो एक लड़के के बारे में कहा गया है, कुछ मारपीट हो गई।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

श्रीमन्, जो घटना रोज हो रही है, वह लोक-महत्व की कैसे हो सकती है, जो कभी कभी घटे वह लोक-महत्व की हो सकती है।

श्री अध्यक्ष---

एक श्री राम किशोर वर्मा का है, चीनी के त्रुटिपूर्ण वितरण के संबंध में। यह प्रश्न मूल्यों के विषय पर जब बहस होगी, उस समय उठाया जा सकता है।

एक श्री राम अधार करौजिया का है। इनकी शिकायत यह है कि मकानों पर लोहे के प्लेट मकान नंबर लिखकर अंकित किये जा रहे हैं, और वहां के कर्मचारी लोगों से ६-६ आने वसूल कर रहे हैं अनियमित तरीके से। यह लोकल मामला है और लोकल मामले में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से जाकर पूछ सकते हैं और वहां उसके ऊपर कार्यवाही हो सकती है, यहां क्या होगा ?

एक श्री शराफत हुसैन जी का है जो मेरी समझ में नहीं आया। वह इस प्रकार है---"अमरोहा जिला मुरादाबाद जहां लगभग ७-८ हजार, मर्द, औरतें व बच्चे बीड़ी बनाने का काम करते हैं और बीड़ी बनाना ही अमरोहा का खास धंधा है, अमरोहा में बीड़ी बनाने के बहुत से कारखाने और सैकड़ों उनकी शाखाएं हैं। शहर के सबसे बड़े कारखानेदार सिन्धी बीड़ी फैक्ट्री

[श्री अध्यक्ष]

जहां तकरीबन पांच सौ से अधिक बीड़ी बनाने वाले कारीगर मजदूर काम, करते हैं, ने अपने कारखाने में दिनांक २५ सितम्बर से पूर्ण रूप से तालाबन्दी कर दी है जिसके कारण सैकड़ों मजदूर बेरोजगार हो गये हैं। तो यह स्ट्राइक का मामला है, श्रम विभाग से संबंध हो सकता है, सरकार से इसका किस तरह संबंध है ? किसी सरकारी कर्मचारी या सरकार ने क्या गलती की है जिसके कारण यह आप लाये हैं ?

*श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)---

यह दफा ५२ मैंने इसलिए पेश किया है और इसका संबंध सरकार से इसलिए है कि माननीय चीफ मिनिस्टर साहब और नवलकिशोर जी उस वक्त अमरोहा में मौजूद थे जब वहां एलेक्शन हो रहा था। उनके सामने बीड़ी मजदूरों का मसला तय हुआ था। अब कारखानेदार उस फैसले को तोड़ रहे हैं और वहां तालाबन्दी कर दी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक बयान दिलवा दें, ताकि पूरी बात साफ हो जाय।

श्री अध्यक्ष---

वह तो स्ट्राइक के बारे में है। इसमें तो लेबर कानून है उसके अनुसार होना है। वही प्रक्रिया इसके लिये अख्तियार की जायेगी।

प्रदेश में हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति के आवेदन-पत्रों के अभाव के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---

एक कामरोको प्रस्ताव माननीय रक्षपाल सिंह, माननीय सूरजपाल सिंह और माननीय मन्नालाल जी का आया है। वह शिक्षा विभाग से संबंधित है। उनका कहना है कि प्रदेश में हरिजन तथा पिछड़े वर्ग के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति के लिये आवेदन पत्रों का अत्यन्त अभाव है। यह फार्म नहीं मिल रहे हैं। फार्मों का इन्तजाम करने के लिये मैं इसको माननीय मंत्री जी के पास भेज देता हूं कि इन फार्मों की व्यवस्था कर दें ताकि आपको असुविधा न हो।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---

श्रीमन्, मैंने भी एक इसी संबंध में दिया था कि लखनऊ विश्वविद्यालय में बहुत गुण्डा-गर्दी हो रही है। वहां के लड़के बहुत परेशान हैं। उसके बारे में आपने कोई जिक्र नहीं किया। मेरा नाम ही ले देते।

श्री अध्यक्ष---

हां ठीक है। केशरी प्रसाद जी पांडेय का भी उसी संबंध में आया था और उसे भी देख लिया जाय।

श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)---

श्रीमन्, मैंने भी एक प्रस्ताव आयुर्वेदिक कालेज के विद्यार्थियों के बारे में नियम ५२ के अन्तर्गत दिया था और उस तरफ सरकार का ध्यान दिलाया था। वह बड़े महत्व का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---

मैंने उसको देख लिया है और उसके ऊपर जो आदेश देना था वह दे दिया है। उसके बारे में यदि आप कोई विशेष बातचीत मुझसे करना चाहें तो आकर कर सकते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गिरजाप्रसाद--

मैंने भी एक इसी विषय में दिया था उसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

मैंने भी एक प्रस्ताव दिया है उसके बारे में आपने जिक्र नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

वह तो वैसा ही है जैसा कि माधो प्रसाद जी त्रिपाठी ने दिया है। वही सब बातें "आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी पाकिस्तान की" उसमें है। तो उस पर वह देख लेंगे।

बांदा जिले के नारी के गडरन पुरवा ग्राम में पुलिस द्वारा डाकुओं से मिल कर लूट मार करने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह उप मंत्री (श्री नवलकिशोर)--

श्रीमन्, जिला बांदा के थाना पैलानी के अन्तर्गत कछार का पुरवा में जो ग्राम नारी का पुरवा है दिनांक १८, १९ अगस्त, १९६३ की रात में एक डकैती पड़ी। इस डकैती की प्रथम सूचना श्री जगदेव पुत्र गेंदा निवासी कछार ने १९ अगस्त, १९६३ को १० बजकर २० मिनट पर थाने में दी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह लिखा गया था कि गत रात्रि को ९, १० डकैत ग्राम में आये और उन्होंने वादी तथा उसके भाई को रस्सियों से बांध दिया। उसके बाद डकैत दूसरे घरों में गये और वहां भी लोगों को रस्सियों से बांध कर मार-पीट की। डकैतों ने स्त्रियों के जेवर जबरदस्ती डरा धमका कर उतार लिये और लगभग एक घंटे तक लूटमार करते रहे। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि आपस में डकैत लोग दरोगा जी और दीवान जी कहते थे और धोती, अंडरवीयर, बंडी और कमीज पहने थे। इस लूट मार के पश्चात् डकैत, लोगों के चिल्लाने पर भाग गये। रिपोर्ट में गया प्रसाद निवासी ग्राम नारी पर शक जाहिर किया गया और यह कहा गया कि गांव के प्रधान से जमीन मवेशी चराने के लिये उन्हें मिली थी और उस पर वह मवेशी चराते थे, यह बात गया प्रसाद को बुरी लगी और इसीलिये वादी का सन्देह था कि वह डकैती उसकी कराई हुई है। डकैती में जो माल लूटना दिखाया गया वह लगभग सभी स्त्रियों का जेवर था।

२२ अगस्त, १९६३ को श्री बचवा पुलिस अधीक्षक से मिले और उन्होंने एक प्रार्थना-पत्र उन्हें दिया। इस प्रार्थना-पत्र में थाने की पुलिस के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये गये थे और यह कहा गया था कि पैलानी की पुलिस एवं सर्किल इन्सपेक्टर पुलिस बांदा प्रार्थी एवं गवादीन पर मार पीट एवं अत्याचार कर रहे हैं। यह भी आरोप लगाया गया कि पुलिस इस बात के लिये मजबूर करती है कि सही व्यक्तियों का नाम जिन्होंने वास्तव में डकैती डाली है और जिन्हें डकैती करते समय पहचान लिया गया था न लिखाया जावे, वरन् कुछ और आदमियों के नाम जबरदस्ती लिखाना चाहती है। जिस समय वह पुलिस अधीक्षक से बात कर रहे थे उसी समय वहां सर्किल इन्सपेक्टर भी आ गये और पुलिस अधीक्षक ने श्री बचवा से पूछा कि क्या वह सर्किल इन्सपेक्टर को जो वहां उपस्थित थे, जानते हैं। श्री बचवा ने उनको पहचानने से इंकार कर दिया।

पुलिस अधीक्षक स्वयं घटनास्थल पर २३ अगस्त, १९६३ को गये और उन्होंने गांव वालों से बातचीत की। गांव वालों ने उन्हें बताया कि सर्किल इन्सपेक्टर के विरुद्ध किसी प्रकार की शिकायत नहीं है, परन्तु थाना अधीक्षक तथा थाने के कर्मचारियों के विरुद्ध उन्होंने मारने पीटने तथा परेशान करने की शिकायत की। गांव वालों ने यह भी बताया कि उन्होंने कुछ डकैतों को, जिनके नाम गया प्रसाद, सज्जन, बलवन्ता और कल्लू, जो ग्राम नारी के निवासी हैं पहचान लिया है, परन्तु थाना अध्यक्ष उसको मारकर जबरदस्ती रामलालसिंह ठाकुर, निवासी पिपरहोरी,

[श्री नवलकिशोर]

चुनवाद, कृष्ण ठाकुर और बदलवा गडरिया निवासी नारो का नाम लिखाना चाहते हैं। पुलिस अधीक्षक से इसी समय यह भी शिकायत की गयी कि डकैती के समय गांव की तीन स्त्रियों पर डकैतों द्वारा बलात्कार किया गया था। श्रीमती मौलिया तथा श्रीमती सुधिया ने उन्हें यह भी बताया कि उन्होंने बलात्कार करने वालों को पहचान लिया और उनमें एक थाना पैलानी का सिपाही भी था। इस सिपाही का नाम श्रीमती मौलिया के भाई रजवा ने धरमपाल सिंह बताया। गांव वाले सब इस मत के थे कि इस मामले को सर्किल इन्सपेक्टर को सौंप दिया जाय। तत्काल ही पुलिस अधीक्षक ने सर्किल इन्सपेक्टर को जो पहले ही से जांच कर रहे थे इस की जांच सौंप दी। सर्किल इन्सपेक्टर ने बताया कि उस समय तक उनके समक्ष बलात्कार करने के विषय में किसी गांव वाले ने आरोप नहीं लगाये थे और न कुछ कहा था।

तुरन्त ही पुलिस अधीक्षक ने थानेदार नसीरुल हसन को तथा संबंधित सिपाहियों को जिनके विरुद्ध गयादीन आदि को मारने के आरोप लगाये गये थे निलम्बित कर दिया और उनके विरुद्ध धारा ७ की कार्यवाही करने का आदेश दिया।

पुलिस अधीक्षक ने श्रीमती मौलिया, श्रीमती बुधिया तथा श्रीमती सुधिया का, जिनके साथ बलात्कार किया गया था, डाक्टरी मुआइना कराया। डाक्टरी जांच से तीनों स्त्रियां संभोग की आदी पायी गयीं और केवल श्रीमती बुधिया जिन्हें कुछ रगड़ लगी थी, के अतिरिक्त और किसी स्त्री के कोई चोट नहीं पायी गयी। इस मुकदमें के विषय में वादी तथा १६ गवाहों के बयान धारा १६४ भारतीय दण्ड विधि संग्रह के अनुसार मैजिस्ट्रेट के सामने हो गये हैं।

पुलिस अधीक्षक ने उप पुलिस अधीक्षक को भी इस संबंध में जांच करने का आदेश दिया और उसकी जांच से यह प्रतीत हुआ कि सर्वश्री गयादीन, चुनवाद, रजुवा, रामाधीन को थानाध्यक्ष और तीन सिपाहियों द्वारा थाने में उस समय मारा गया जब कि वह डकैती की रिपोर्ट लिखाने वहां गये थे। यह भी प्रतीत हुआ कि गयादीन और चुनवाद को थानेदार ने गया प्रसाद, सज्जन कल्लू और बलवन्ता के स्थान पर, जिनको डकैती में पहचान लिया गया था, सर्वश्री रामलाल सिंह, कृष्ण, चुनवाद और बदलवा गडरिया के नाम लिखाने पर मजबूर किया था और जब उन्होंने इस से इंकार किया तो उन्हें मारा पीटा गया। जैसा कि पहले कहा जा चुका है थानाध्यक्ष और संबंधित ३ सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश दिये जा चुके हैं।

उप पुलिस अधीक्षक की जांच से यह प्रतीत नहीं हुआ कि सिपाही धर्मपालसिंह इस डकैती में सम्मिलित था तथा उसने किसी स्त्री के साथ बलात्कार किया था। जांच से यह ज्ञात हुआ कि सिपाही धर्मपाल सिंह थाने पर १८, १९ अगस्त को रात्रि में ९ बजे से रात्रि १२ बजे तक तथा १९ अगस्त १९६३ को प्रात: ६ बजे से ९ बजे तक थाने की संतरी ड्यूटी पर था और उसको इस बीच में गांव जाकर इस डकैती में भाग लेना असंभव प्रतीत हुआ। जांच के दौरान में इस डकैती के ३ अभियुक्तों गयादीन, बलवन्ता और कल्लू को पकड़ा जा चुका है और चौथे अभियुक्त को पकड़ने का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस घटना के बाद जिलाधीन की प्रेस कान्फ्रेंस में जमुना प्रसाद बोस, ज्वाइंट सेक्रेटरी, स्टेट प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने यह प्रश्न किया था कि क्या उस समय स्त्रियों का शील भंग किया गया था ? और उस वक्त जिलाधीश ने इसे स्वीकार किया था ?

श्री नवलकिशोर---

मान्यवर, प्रेस कान्फ्रस में किसने क्या सवाल किया यह तो मेरे पास सूचना नहीं है। लेकिन प्रेस कान्फ्रेंस हुई और जो लोग गये थे उन्होंने जिलाधीश से जो सवाल किये उनके जो जवाब जिलाधीश ने दिये उससे वह लोग मुतमैयन हो गये थे।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

उत्तर से ऐसा लगता है कि सारे तथ्य ऐडमिटेड हैं। तो इससे पहले कि कोई और इंक्वायरी करें, क्या मंत्री महोदय वहां के अधिकारियों को छोड़ कर किसी ऊंचे अधिकारी द्वारा इसकी जांच करायेंगे, क्योंकि यह महत्वपूर्ण सवाल है और सारे प्रान्त को प्रभावित करता है ?

श्री नवलकिशोर---

मान्यवर, जांच हुई। जो सब-इन्सपेक्टर और तीन सिपाही थे उनको सस्पेंड कर दिया गया, उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल ऐक्शन होगा। जो ४ डकैत बतलाये जाते हैं उनमें से तीन पकड़ लिये गये और एक को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। मैं नहीं जानता कि इसके अतिरिक्त और क्या वह चाहते हैं।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---

मैंने कहा कि वहां की स्थानीय पुलिस द्वारा जांच न करा कर, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, किसी अन्य अधिकारी, मसलन सी० आई० डी० से जांच कराने की कृपा करेंगे ?

नियोजन मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)---

इसकी जरूरत तो नहीं मालूम होती, इसलिए कि वहीं के स्थानीय अधिकारियों द्वारा जांच की गयी और जो नतीजा हुआ वह बताया जा रहा है।

श्री टम्केश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)---

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि उन्होंने कहा कि महिलायें संभोग की आदी पायी गयीं और दूसरे उन्होंने पहली रिपोर्ट में बलात्कार का जिक्र नहीं किया, क्या इसको देखते हुए कि भारतीय महिलाएं जल्दी इस तरह की रिपोर्ट नहीं लिखातीं और दोबारा जो उन्होंने शिकायत की उसकी अच्छी प्रकार से जांच करायेंगे ? दूसरे यह कि वहां के अधिकारी जब उन कांस्टेबिल और सब-इंस्पेक्टर के खिलाफ हैं और उनको सस्पेंड कर दिया है तो क्यों नहीं उच्च अधिकारी द्वारा जांच करायी जाती है ?

श्री नवलकिशोर---

मैंने कहा कि स्किल इंस्पेक्टर के अलावा डी० वाई० एस० पी० ने जांच की, एस० पी० ने जाकर लोगों से बातचीत की, तो उससे ज्यादा बड़ा अफसर जांच के लिए और कौन भेजा जायगा ?

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन सम्बन्धित महिलाओं की आयु क्या थी ?

श्री नवलकिशोर---

इसमें आयु तो नहीं है, लेकिन तीनों शादी-शुदा हैं।

श्रीमती सियादुलारी (जिला बांदा)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वे महिलाएं शादी-शुदा होते हुए भी अपने पति के घर नहीं गयी हैं, उनकी कोई मेडिकल जांच हुई है जो उनके साथ ज्यादती हुई है ?

श्री नवलकिशोर--

मैंने अर्ज किया कि २४ तारीख को लेडी डाक्टर ने एग्जामिनेशन किया।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

क्या मंत्री जी के पास सूचना है कि उनमें एक १३ साल की लड़की थी जिसके लिए मंत्री जी ने बतलाया कि संभोग की आदी है ?

श्री नवलकिशोर--

मैंने अर्ज किया कि उनकी आयु मेरे पास नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

मैं सूचना के तौर पर बतला दूं कि वे शादी-शुदा नहीं हैं, लड़कियां हैं।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--

क्या गृह मंत्री जी बतायेंगे कि जिस गांव में डाका पड़ा है वह गांव और उसके आस-पास का एरिया, चम्बल और बेतवा की बीहड़ों में काम करने वाले जो डाकू हैं उनके आपरेशनल एरिया में पड़ता है ? यदि हां, तो उस एरिया की सुरक्षा के लिए मंत्री जी क्या विशेष सुरक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री नवलकिशोर--

उस एरिया के इतने डिटेल्स तो मेरे पास नहीं हैं, मगर जांच से यह मालूम हुआ कि जो डकैती हुई है उसमें प्रोफ़ेशनल डकैत नहीं थे, गांव की आपस की रंजिश की वजह से डकैती हुई।

श्री बृजमोहनलाल गुप्त (जिला बांदा)--

क्या यह बात सही है कि वहां के पत्रकार संघ के किसी मंत्री का कोई तार माननीय मंत्री जी के पास आया है ? यदि हां, तो कब और उसमें क्या लिखा है ?

श्री नवलकिशोर--

आज सबेरे एक तार जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सेक्रेटरी के नाम से यहां आया है। उसमें यह लिखा है कि इस वाकया को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जा रहा है।

श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)--

जब माननीय उपमंत्री जी बांदा गये थे तो मैंने वहां के अस्पतालों में होने वाले भ्रष्टाचार के बारे में बहुत-सी बातें बतायी थीं, क्या यह सही है ? वहां सही जांच नहीं होती है, यह मैंने उनको बताया था ?

श्री नवलकिशोर--

जब मैं बांदा गया था तो माननीय मतोला सिंह जी ने बहुत सी बातें बतायी थीं, अब वह क्या बातें थीं, यह मुझे इस समय याद नहीं हैं।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जिस दिन घटना हुई उसके कितने दिन बाद मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ ?

श्री नवलकिशोर--

यह घटना तो १८/१९ की नाइट की है, मेडिकल एग्जामिनेशन २४ को हुआ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--

यह घटना किस वक्त की है और रिपोर्ट कब दर्ज करायी गयी ? क्या यह सही है कि वे लोग जो रिपोर्ट लिखाना चाहते थे, वह नहीं लिखी गयी और उसकी शिकायत उन्होंने जिला कप्तान तथा उच्चाधिकारियों से की ?

श्री नवलकिशोर--

यह घटना आधी रात की है, रिपोर्ट दूसरे दिन १० बजे लिखायी गयी। यह बात सही है कि उन लोगों की यह शिकायत है कि थानाध्यक्ष ने उन लोगों को इसके लिये मजबूर किया कि जिनको वे लोग पहचानते थे उनके नाम न लिखा कर दूसरों के नाम लिखवायें।

श्री बृजमोहनलाल गुप्त--

श्रीमन्, इस मामले को लेकर एक राजनैतिक वातावरण खराब किया जा रहा है। (व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब डी० आई० जी० उनके यहां आये थे जांच के लिये, तो उनको कितने आदमियों ने बढ़ा चढ़ाकर बातें बतलायी थीं और कितनों ने सही ?

(व्यवधान)

श्री नवलकिशोर--

मान्यवर, डी० आई० जी० से क्या बातें हुईं, मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

जिस ग्राम में यह घटना हुई, वहां से थाना कितनी दूर है ?

श्री नवलकिशोर--

थाना करीब ४ मील पर है।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)--

यह एग्जामिनेशन ६ दिन बाद हुआ जब कि सीमेन एक दिन के अन्दर ही समाप्त हो जाता है, तो इतने दिन बाद एग्जामिनेशन क्यों हुआ ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

फर्स्ट इन्फार्मेशन रिपोर्ट में बलात्कार का जिक्र नहीं था, इस कारण उसी वक्त मुआयना नहीं हुआ।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)--

पुलिस विभाग की जो जांच रिपोर्ट मंत्री जी के पास आयी है, तथा जो कार्यवाही और की जा रही है, क्या माननीय मंत्री जी उससे संतुष्ट हैं ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

यह तो स्पष्ट ही है कि थाने के दरोगा और सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया है और लाइन हाजिर कर दिया गया है।

श्री चैतन्यराजसिंह (जिला अलीगढ़)--

यह घटना यदि पुलिस विभाग के अलावा किसी और साधारण आदमी के द्वारा की गयी होती तो मैजिस्टीरियल इंक्वायरी होती और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता, लेकिन क्या वजह है कि इसमें केवल डिपार्टमेंटल इन्क्वायरी ही की गयी है और जेल भेजने के बजाय केवल उनको सस्पेंड ही किया गया है ?

श्री नवलकिशोर--

माननवर, जो शिकायत हुई उसमें डी० एस० पी० ने इंक्वायरी की, एस० पी० ने की, उनको सस्पेंड किया गया। मैं नहीं समझ सका माननीय सदस्य और क्या चाहते हैं।

श्री यादवेन्द्रदत्त--

क्या सरकार यह बतायेगी कि यह डकैती जिस दिन हुई उसके कितने दिनों के बाद एस० पी० और डी० एस० पी० मौके पर गये और उन्होंने जांच की ?

श्री नवलकिशोर--

यह १८/१९ की रात को हुई। उस समय एस० पी० छुट्टी पर थे। २१ तारीख को वे वापस आये, २२ को उनको सूचना मिली और २३ को वे जांच के लिये गये। उसके पहले इन्स्पेक्टर २१ तारीख को जांच के लिये जा चुके थे।

श्रीमती सियादुलारी--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस गांव में यह घटना घटी, वह हरिजनों की बस्ती है और थाने से ४ मील दूर है ?

श्री नवलकिशोर--

यह तो मैं बता चुका हूं कि थाने से ४ मील है। उसमें अधिकतर केवट और गड़रिया रहते हैं।

श्री बलवानसिंह--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि रिपोर्ट डाक्टरी ६ दिन के बाद आयी, उसके अनुसार एक थानेदार और ३ सिपाही मोअत्तिल किये गये, तो क्या जिन्होंने रिपोर्ट थाने में नहीं लिखी थी, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई ?

श्री नवलकिशोर--

बलात्कार तो किसी पुलिस वाले के खिलाफ साबित नहीं हुआ। वहां जिन लोगों के साथ मारपीट की गयी थी, उस मारपीट करने के अपराध में एक थानेदार और ३ सिपाहियों को सस्पेंड किया गया है। उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री यादवेन्द्रदत्त--

माननीय मंत्री जी ने बताया कि एस० पी० छुट्टी पर थे तो कोई न कोई तो उनको आफीशियेट कर रहा होगा ? वे घटनास्थल पर जल्दी क्यों नहीं पहुंचे ?

श्री नवलकिशोर--

सर्किल इंस्पेक्टर २०-२१ तारीख को पहुंच गये थे। बाद में एस० पी० भी गये।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

पहले तो इस मामले में प्रश्न पूछने में ही शर्म आती है, लेकिन क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह डकैत और पुलिस जिन्होंने यह घटना घटाई थी, जो माननीय सदस्य उनका पक्ष ले रहे थे, क्या वे उनके निकट सम्बन्धी हैं ?

श्री नवलकिशोर—

कौन किसका निकट सम्बन्धी है, इसकी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या सरकार बतायेगी कि महिलाओं के बारे में जब उनका मैजिस्टीरियल इंक्वायरी कराने का इरादा नहीं है तो सरकार श्रीमती रोहतगी और श्रीमती सियादुलारी से उस बारे में जांच करायेगी ?

श्री नवलकिशोर—

यह एक कानूनी प्रश्न है और कानून के अन्तर्गत जिन लोगों को इंक्वायरी करने का अधिकार है वही करेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

यह मामला बहुत महत्व रखता है, चूंकि अबलाओं के साथ अत्याचार का मामला है। माननीय मंत्री जी लड़कियों की उम्र बताने में भी असमर्थ रहे हैं। पिछली बार आजमगढ़ में हमारा और सरकार का झगड़ा हुआ था तो हमारी शिकायत पर स्वर्गीय गोविन्द वल्लभ पंत जी ने मुजफ्फर हसन साहब को इंक्वायरी के लिये नियुक्त कर दिया था और उनकी इंक्वायरी से हम संतुष्ट हो गये थे। मैं चाहता हूं कि यह इतना बड़ा सवाल है कि अबलाओं के साथ बलात्कार किया गया तथा इस सम्बन्ध में जो जांच की गयी उससे इधर के बैठने वाले और उधर के बैठने वाले सभी सदस्यों को असन्तोष है, तो यदि माननीय मंत्री जी को इस सदन के माननीय सदस्यों द्वारा इन्क्वायरी कराना नहीं पसन्द है तो श्रीमती तारा अग्रवाल और श्रीमती प्रकाशवती सूद जो मंत्रिमंडल की सदस्याएं हैं, उनसे इन्क्वायरी कराने को तैयार हैं, ताकि आये दिन महिलाओं के साथ जो ऐसी घटनाएं घटा करती हैं वह सदा के लिये रुक जायं या कम से कम बहुत दिनों के लिये रुक जायं ?

श्री नवलकिशोर—

यह तो सवाल इतना लम्बा हो गया कि कुछ स्पष्ट ही नहीं हो सका।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

श्रीमन्, जब यहां माननीय मुख्य मंत्री और माननीय गृह मंत्री जी मौजूद हैं तो वे ही उत्तर दें, उप गृहमंत्री जी क्यों उत्तर देते हैं ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

यदि इन्क्वायरी के लिये और किसी को न भेज सकें तो श्रीमती सुचेता जी को ही भेज दें।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

सरकार कोई भी ऐसा कार्य करने के लिये उद्यत नहीं है जो कानून स परे हो।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

क्या माननीय गृह मंत्री जी इस घटना की गम्भीरता को देखते हुए—जो पुलिस कर्मचारी वहां मुअत्तल हैं उनको बांदा से हटाने तथा जांच का काम सी० आई०डी० के सुपुर्द करने को तैयार हैं जिससे जांच की कार्यवाही सुचारु रूप से हो सके ?

श्री हरगोविन्दसिंह---

वह सब आवश्यक कार्यवाही की जायगी जिससे जांच के कार्य तथा मुकदमा चलाने में कोई बाधा न हो।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)---

मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी उनको गृह मंत्रालय का नया ही चार्ज मिला और उसके बाद ही इस तरह की घटना हुई, इस बात को देखते हुए जिन आरोपों के आधार पर ये पुलिस कर्मचारी मुअत्तल हैं उन आरोपों के आधार पर वे आई० पी० सी० की कोई ऐसी धारा बतायेंगे जिससे उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सके?

श्री नवलकिशोर---

कोई भी दफा उन पर लगती है तो जरूर ऐक्शन लिया जायगा, लेकिन आई० पी० सी० के अन्तर्गत कोई दफा नहीं बनती तो मजबूरी है।

विधान सभा के १६ सितम्बर के आहूत सत्र को निरस्त किये बिना उसे २३ सितम्बर को आहूत करने के संबंध में उठाये गये व्यवस्था तथा विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर विचार---(क्रमागत)*

श्री अध्यक्ष---

अब माननीय शारदा भक्त सिंह अपना भाषण जारी रखें। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जरा संक्षिप्त हो जाय तो अच्छा है ताकि मैं अपनी रूलिंग दे सकूं।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)---

लगान वाला बाद में आयेगा?

श्री अध्यक्ष---

जी हां।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न मैंने सी० आई० डी० के सम्बन्ध में उठाया था, उसका क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष---

सी० आई० डी० सम्बन्धी फाइलें १९५५ से मैंने मंगायी हैं जिनको अभी मैं पूरी तरह से देख नहीं पाया हूं। फाइलें देखने के बाद मैं निवेदन कर दूंगा।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)---

बाढ़ के विषय में क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष---

उसके लिये तो समय तय हो गया है।

---

*२६ सितम्बर, १९६३ कार्यवाही से।

श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस दिन महामहिम राज्यपाल महोदय ने सत्र को आहूत किया....

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप से पूछना चाहता हूं कि आपने बहस शुरू करा दी और नं० १०, ११ और १२ कहां गये? उनको कब लिया जायगा?

श्री अध्यक्ष—

मैं अभी नं० ९ पर हूं। उनको बाद में लिया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

तो किस विषय पर घोषणा होने वाली है?

श्री अध्यक्ष—

जिस पर बहस हो रही है।

*श्री शारदाभक्तसिंह—

पहला प्रश्न यह है कि जिस दिन महामहिम राज्यपाल ने सत्र आहूत किया था यदि उस दिन विधान सभा की बैठक नहीं हुई तब भी सत्र का आरम्भ माना जायगा या नहीं नम्बर एक, और नम्बर दो यह कि अगर उस दिन से सत्र आरम्भ हो चुका है तो उसको समाप्त करने के लिये राज्यपाल को आज्ञा सत्रावसान की देनी पड़ती है या पहली आज्ञा को वह निरस्त कर सकते हैं, जैसा कि मैंने निवेदन किया कि जहां तक यह प्रश्न है कि यदि राज्यपाल द्वारा सत्र आहूत कर दिया गया तो वह उसी दिन से निश्चित रूप से प्रारम्भ माना जायगा और इसके प्रमाण में मैंने निवेदन किया कि अनुच्छेद १७४ में दिया है कि "राज्यपाल समय-समय पर राज्य के विधान मंडल के सदन को या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर, जैसा वह उचित समझें अधिवेशन के लिये आहूत करेगा, किन्तु उसके एक सत्र की अन्तिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिये नियुक्त तारीख के बीच ६ मास का अन्तर न होगा।" यदि इसका अर्थ यह होता कि दोनों सत्रों के बीच में ६ मास की अवधि से नहीं है तो लिखा जाता कि पिछले सत्र की आखिरी बैठक और दूसरे सत्र की पहली बैठक, लेकिन यह न लिख कर लिखा गया कि दूसरे सत्र की प्रथम बैठक के लिये नियुक्त तारीख के बीच में ६ मास का अन्तर न होगा। तो बल इस बात पर है कि एक सत्र की अन्तिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक की जो तारीख नियुक्त की गई उसके बीच ६ मास से अधिक का अन्तर न होना चाहिये। यदि अब्राहम की पार्लियामेंटरी डिक्शनरी में पृ० १७५ पर इसकी परिभाषा देखने का प्रयत्न किया जाय, आप तो कानून के विद्वान हैं। आप जानते हैं कि जहां ऐक्टों में परिभाषा दी नहीं होती उन शब्दों की परिभाषा कोश से देखी जाती है। उसमें भी यही शब्द लिखे हैं—

"Each Parliament consists of one or more terms of periods known as sessions. The first of these begins on the day on which the new Parliament is directed by Royal proclamation to meet, and continues until Parliament is prorogued by the Queen....."

इसमें आप देखें कि शब्द 'डायरेक्टेड टु मीट" यह नहीं लिखा है कि "ह्वैन इट मीट्स" अर्थात् जिस तिथि को अधिवेशन होने की राज्यपाल द्वारा आज्ञा दी गई है या रायल प्रोक्लेमेशन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शारदाभक्त सिंह]

द्वारा पार्लियामेंट बुलाई गई है रानी द्वारा और वह तब तक चालू माना जायगा जब तक कि सत्रावसान की आज्ञा न हो। मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पृष्ठ २८० पर १६वें एडीशन में दिया हुआ है कि अगर एक बार सत्र आहूत है और उसको आगे बढ़ाना है तो रानी द्वारा उसके सत्रावसान की आज्ञा दी जाय, यह आवश्यक है। एक तो प्रश्न यह था और जैसा कि मैंने बताया कि अनुच्छेद १७४ में राज्यपाल महोदय के लिये सत्र समाप्त करने के लिये एक ही विधान दिया हुआ है और वह है प्रोरोग द्वारा अथवा सत्रावसान द्वारा जो हर समय वह कर सकते हैं। इसलिये १६ तारीख को अगर वह सत्र नहीं करना चाहते थे तो बिल्कुल आवश्यक था कि सत्रावसान की आज्ञा देकर, दूसरे सत्र को आहूत कर देते। वैसे तो मेरा कहना यह है कि उनको कोई अधिकार संविधान के अनुसार अपनी आज्ञा को निरस्त करने का नहीं है, लेकिन अगर तर्क के लिये मान भी लिया जाय कि वह अपनी आज्ञा निरस्त कर सकते हैं तो प्रश्न बड़ा भारी यह है कि क्या उन्होंने अपनी आज्ञा निरस्त की? जैसा आपने कहा यह निर्विवाद है कि १६ तारीख को महामहिम राज्यपाल ने एक आदेश के द्वारा १६ सितम्बर को विधान सभा का सत्र आहूत किया था। उसके पश्चात् लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट से टेलीफोन द्वारा यह सूचना आई कि इसकी कोई सूचना तब तक न दी जाय। लेकिन यह बात भी निश्चित हो गयी कि उस टेलीफोन को कंफर्म करने के लिये कोई आदेश नहीं आया। इसलिये यह निश्चित नहीं कहा जा सकता है कि वह जो आज्ञा राज्यपाल महोदय ने दी उसको स्थगित करने के लिये कोई आज्ञा नियमित रूप से है।

दूसरे अगर यह आज्ञा निरस्त करना था तो मैं, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि उस आज्ञा को निरस्त करने के लिये . प्रत्यक्ष आज्ञा चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

आपका मतलब है "एक्सप्रेस" से।

श्री शारदाभक्तसिंह--

हां "एक्सप्रेस" से है। यह प्रत्यक्ष आज्ञा लिख कर होगी। उसको यह कहा जाय कि पहली आज्ञा के बाद दूसरी आज्ञा दे दी गयी, इसलिये उसे निरस्त माना जाय, इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो पिछली परम्परा रही है उसे देखने से पता चलता है कि एक आध बार सत्र को आहूत करने के बाद उसे निरस्त भी किया गया है, लेकिन उसमें एक्सप्रेस आज्ञा दी गयी। अगर पिछली ऐसी परम्परा होती, प्रत्यक्ष आज्ञा न दी गयी होती, तो मैं ऐसा समझता कि एक दिन की आज्ञा देकर दूसरे दिन सत्र को आहूत करने की बात इम्पलाइड हो सकती है। लेकिन पिछले दिनों यह परम्परा रही है कि एक दिन सत्र को आहूत करने के बाद महामहिम राज्यपाल की इच्छा हुई कि उस दिन सत्र न बैठे तो उन्होंने पिछले दिनों में उसके लिये एक्सप्रेस आज्ञा दी है और ऐसी आज्ञा उत्तर प्रदेश विधान सभा कार्यवाही, खंड २१८ में पेज २४ पर दी हुई है।

हमारे पास जो सूचना आई थी वह यह थी कि "जनरल क्लाजेज ऐक्ट ८, १८९७ (ऐक्ट संख्या १०, १८९७) की धारा २१ के साथ पठित 'भारत का संविधान के अनुच्छेद १७४ के खंड (१) के अधीन मिले अधिकारों का उपयोग करके, राज्यपाल महोदय, दिनांक २५ नवम्बर, १९६० के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट में प्रकाशित विधायिका विभाग की विज्ञप्ति संख्या २७७१/१७--३०८-१९६०, दिनांक २५ नवम्बर, १९६० का जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा का वर्ष १९६० का द्वितीय सत्र दिनांक १२ दिसम्बर, १९६० को ११ बजे दिन से आहूत किया गया था, निरस्त करते हैं।"

तो मेरा निवेदन यह है कि उस समय यह आपत्ति नहीं उठाई गई थी। यह एक वैधानिक प्रश्न होगा जैसा प्रारम्भ में मैंने कह दिया कि निरस्त करने का अधिकार उनका है या नहीं है, लेकिन तर्क के लिये मान लिया जाय कि महामहिम राज्यपाल इस आज्ञा को निरस्त करना

चाहते थे तो यह निश्चित है कि पिछले दिनों में जब उन्होंने अपनी आज्ञा निरस्त की है तो प्रत्यक्ष आज्ञा उन्होंने दी है। इसलिये पिछली कार्यवाही को देख कर हमारे पास ऐसे कोई तथ्य नहीं हैं कि हम उनकी बगैर आज्ञा के यह इम्पलाइडली मान लें कि जो प्रत्यक्ष आज्ञा उसी दिन उन्होंने दी उसके विरुद्ध अप्रत्यक्ष आज्ञा उनकी मान ली जाय। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह बात अभी सदन में साफ नहीं हुई है। दो आज्ञायें आपने महामहिम राज्यपाल की सुनाईं। लेकिन उन आज्ञाओं के ऊपर नोटिफिकेशन्स भी इश्यु हुये होंगे और मैं ऐसा समझता हूं कि जो पहली आज्ञा १६ सितम्बर, १९६३ के लिये सत्र आहूत करने की आयी थी उस पर नोटिफिकेशन भी आया होगा क्योंकि उसी पर प्रारम्भ हुआ। अखबारों में जो बात निकली है वह नोटिफिकेशन के आधार पर ही निकली। इसलिये यदि आज्ञा हुई और उस पर नोटिफिकेशन भी निकला तो आज्ञा का एक्जीक्यूशन प्रारम्भ हो गया।.....

श्री अध्यक्ष—

नोटिफिकेशन निकला, क्या माने हैं इसके ? मेरे पास जो सूचना आयी है वह तो यह आयी है कि यह नोटिफाई होगा।

श्री शारदाभक्तसिंह—

जैसी सूचना है और मैं समझता हूं इस पर आप भी विचार करेंगे कि उसे कहा गया कि उसके आगे सूचना किसी को न दी जाय। जैसा आप कहते हैं कि टेलीफोन के द्वारा सूचना आयी, लेकिन यह बात भी निर्विवाद है कि जो आज्ञा आयी लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में उसके बाद सूचनाएं जारी की गयीं और उसके बाद यह भी लोगों की जानकारी है कि प्रेस को भी वह सूचना दी गयी और वापस ले ली गयी मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता हूं कि उसका वैधानिक रूप क्या है ? उसमें मतभेद हो सकता है, लेकिन जो तथ्य हैं, और मैं सरकारी पक्ष से भी चाहूंगा कि, वह उसको न छिपाये, अगर उन तथ्यों को छिपाया जायगा तो उससे कोई लाभ नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

तथ्य तो मैंने रख दिया है।

श्री शारदाभक्तसिंह—

आपके पास आज्ञा आने के बाद और लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के पास आहूत की आज्ञा आने के बाद सूचना विभाग से नोटिफिकेशन प्रेस को दिया गया और वापस ले लिया गया। यह ऐसी चीज है जो प्रत्येक आदमी जानता है।

दूसरी बात मैं यह कह रहा था कि अगर परम्परा यह रही है कि आज्ञा को निरस्त करने के लिये आज्ञायें दी गयी हैं तो इस में भी निरस्त करने की एक्सप्रेस आज्ञा होनी चाहिये। उसको इम्पलाइड नहीं माना जा सकता पिछले व्यवहार को देखते हुये।

तीसरे कल उधर से एक बात कही गयी कि प्रोसीजरल डिफेक्ट से यह अध्यादेश अवैधानिक नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—

उसके ऊपर न कहिये।

श्री शारदाभक्तसिंह—

इसलिये मैं समझता हूं कि ये ऐब्सोल्यूट कंडीशन्स हैं। हमारा थोड़े में कहने का तात्पर्य यह है कि अगर १६ तारीख के लिये यह सत्र आहूत कर दिया गया तो उसी दिन से प्रारम्भ माना

[श्री शारदाभक्तसिंह]

जायगा। और अगर वह प्रारम्भ हो गया है तो उसकी समाप्ति का विधान में केवल एक तरीका है कि महामहिम राज्यपाल सत्रावसान करें और अगर ऐसी कोई आज्ञा नहीं हुई है तो सत्र चलता रहेगा। इस से कोई सम्बन्ध नहीं है कि बैठक उसकी अब हुई क्योंकि उसका अधिकार आपको नियम १५ में दिया गया है। और अगर दोनों सत्र चलते रहे हैं तो उस दौरान में कोई भी अध्यादेश अगर जारी किया गया है तो वह अवैधानिक है।

श्री अध्यक्ष—

अब काफी बहस हो चुकी है, अब ५-५ मिनट बोल लें।

श्री नेकराम शर्मा—

आपने जो बड़ी कृपा करके सूचना दे दी है तो एक सूचना और दे दीजिये कि रात को साढ़े सात बजे जो आपके कार्यालय में टेलीफोन आया तो वह किस के पास आया, सेक्रेटरी लेजिस्लेचर के पास आया या सेक्रेटरी असेम्बली के पास आया ?

श्री अध्यक्ष—

मैंने कल निवेदन किया था कि हमारे सेक्रेटरी के पास आया है और संभवतः वह निगम साहब का था।

श्री नेकराम शर्मा—

मिस्टर पुरी के पास या मिस्टर मित्थल के पास ?

श्री अध्यक्ष—

पुरी साहब के पास।

श्री नेकराम शर्मा—

दूसरा निवेदन यह है कि आपने जो समन्स का नोटिस पढ़ा असेम्बली और कौंसिल के लिये उस पर निगम साहब के हस्ताक्षर अन्त में हैं या दोनों पर अलग-अलग हैं ?

श्री अध्यक्ष—

वह आप देख लीजियेगा, यहां मौजूद है।

श्री टम्मेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

वे शब्द क्या थे जो टेलीफोन पर कहे गये थे ?

श्री अध्यक्ष—

मैं दुनिया में आज तक किसी आदमी को नहीं जानता जो सुने हुये ऐक्चुअल शब्द बता सके इतने दिनों में।

श्री नेकराम शर्मा—

तो आज्ञा कैसे मान ली गई ?

श्री अध्यक्ष—

वह तो बहस की बात है।

*श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)---

अध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है। कल जो सूचना आप से प्राप्त हुई थी कि १६ तारीख का जो आर्डर था बुलाने का उसके कैन्सीलेशन का आर्डर टेलीफून द्वारा आया। मैंने पूछा था कि उसका कन्फरमेंशन आया या नहीं। आपने कहा कि नहीं। टेलीफून की सूचना अधिकृत कहीं नहीं मानी जाती है क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी समय कुछ भी कह सकता है। साधारण प्रैक्टिस प्रशासन की यही है और माननीय मुख्य मंत्री जी भी जानते होंगे कि कोई सरकारी आदेश, वायरलेस, टेलीग्राम या टेलीफून से दिया जाता है तो उसका कन्फरमेंशन बाई लेटर होता है और जब तक नहीं होता है तब तक वह अधिकृत नहीं माना जाता है। आपके पास केवल टेलीफून की सूचना मात्र है और उसका कन्फरमेंशन नहीं है और जब तक उसका कन्फरमेंशन नहीं है कैन्सीलेशन वैलिड नहीं है। तो २३ तारीख को जो सत्र बुलाया गया यह इन्फ्रक्चुअस है और १६ तारीख से ही माना जायगा, क्योंकि आहूत हो चुका है। यह एक गलती है और मैं समझता हूं कि यह बड़ी भारी मिसटेक है। मैं प्रार्थना करूंगा कि १६ तारीख का सत्र कैन्सिल नहीं हुआ है। यह लीगल नहीं है और कन्फर्म नहीं हुआ है।

*श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, सारा संघर्ष इस बात पर है कि माननीय राज्यपाल महोदय ने एक बार १७४ के अन्तर्गत अगर सदन को आहूत करने का आदेश दे दिया तो क्या उनको वापस लेने, स्थगित करने या दुबारा बुलाने का अधिकार है या नहीं ? कांस्टीट्यूशन ने जो कमांड्स दिये वे पोजीटिव दिये हैं और हमेशा यह रूल है कि :

"Expressio Unis est exclusio alterius. The express mention of one thing implies the exclusion of another."

अगर आपको कांस्टीट्यूशन ने कमांड दिया कि फांसी की सजा को रद्द कर दें या छोड़ दें तो उसका अर्थ यह नहीं है कि सरकार को या गवर्नर को फांसी देने का अधिकार है। अगर यह माना जाय तो सदन को समन करने के, डिजाल्व करने के और प्रोरोग करने के केवल तीन राइट्स दिये गये हैं। इसके अलावा चौथा अधिकार नहीं दिया गया है और मैं आपको रूलिंग्स भी दूंगा। अगर आप यह मानें जैसा कि उधर के लोग कह रहे हैं कि प्रोरोग करने में प्रोरोगेशन का अधिकार निहित है तो आप यह बतलाइये कि डिजाल्व करने का अधिकार है तो डिजोल्युशन को स्थगित करने का अधिकार है गवर्नर को। अगर किसी को हक है कि चोरी न करे तो उसके लिये यह अधिकार नहीं है कि वह चोरी करे यानी किसी काम का उल्टा करे। "It is well established rule of law that if a particular thing is directed to be done in a particular way it must be done in that very way, otherwise it is not done in accordance with law."

एक बार समन कर दिया उसके बाद उनके हाथ से अधिकार छिन गया और वह वापस नहीं ले सकते। यह कांस्टीट्यूशन में कहीं भी प्रोवाइडेड नहीं है। .....

आपकी नियमावली भी पढ़ी। उसमें गौर से देखें कि सत्र क्या है। तीनों चीजों को देखें। डिजोल्युशन आफ दि असेम्बली का अर्थ यह है कि असेम्बली खत्म हो गयी। गवर्नर डिजाल्व करने के बाद फिर असेम्बली के जीवन को नहीं बढ़ा सकता है, रोक भी नहीं सकता। प्रोरोगेशन में दोनों अधिकार दिये गये हैं, प्रोरोग करना और उसके बाद समन करना। दोनों पाजिटिव अधिकार हैं। ऐडजर्नमेंट होता है सेशन का। सिटिंग आफ दि हाउस इज डिजाल्व्ड बाई योर आनर।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

आप अंग्रेजी में बोलेंगे तो ये लोग नाराज होंगे ।

श्री दीपनारायणसिंह—

नियमावली में है—"सत्रावसान" का तात्पर्य अनुच्छेद १७४ के खंड (२) के उपखंड (क) के अन्तर्गत राज्यपाल के आदेश द्वारा सत्र के समापन से है। 'सत्र' का तात्पर्य उस कालावधि से है जो अनुच्छेद १७४ (१) के अन्तर्गत राज्यपाल द्वारा आहूत किये जाने पर सभा के प्रथम अधिवेशन से उक्त अनुच्छेद के खंड (२) के अन्तर्गत उसके सत्रावसान या विघटन तक हो । तो प्रोरोग होने तक असेम्बली का सत्र रहेगा । ऐडजर्नमेंट से भी असेम्बली खत्म नहीं होती, सत्र खत्म नहीं होता । सेशन का खात्मा प्रोरोगेशन से होगा ।

अब मैं एम० एस० शर्मा के केस में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग देता हूं, ए० आई० आर० १९६०, पेज ११८६-८७ ।

"The prorogation of the Assembly does not mean its dissolution. The House remains the same ; only its sessions are interrupted by prorogation of the House according to the exigencies of public demands on the time and attention of the members of the Assembly and the volume of business of the Assembly itself."

श्री अध्यक्ष—

इसमें मतभेद नहीं है । यह आर्गूमेंट हो चुका है । नयी बात कहिये । रिपीट मत कीजिये ।

श्री दीपनारायणसिंह—

अब व्हार्टन्स ला लेक्सिकान देखिये —

"The sittings of the House of Lords and Commons, which are continued day by day, by adjournment, until the Parliament is prorogued or dissolved."

फिर देखिये लेक्सिकान आफ ब्रिटिश इंडिया बाई रामनाथन् आयर, पेज ११७९ ।

श्री अध्यक्ष—

जो बहस हो चुकी है उसको रिपीट न करें । माननीय शारदाबख्श सिंह और माननीय नेकराम शर्मा ने यह सारे प्वांइन्ट्स कह दिये हैं ।

श्री दीपनारायणसिंह—

शब्द 'सेशन' की परिभाषा मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पेज २८९ पर दी हुई है जो सदन में कई बार कल भी कोट की जा चुकी है उसको दोहराने से कोई लाभ नहीं होगा । जब तक सेशन प्रोरोग नहीं होता और असेम्बली डिजाल्व नहीं होती तब तक सेशन कन्टीन्यु करेगा । एक बार बुलाने के बाद फिर दोबारा उसी सिटिंग को जब तक पहले आदेश को निरस्त न किया जाय तब तक बुलाने का अधिकार नहीं है । एसेम्बली को ऐडजर्न करना आपके हाथ में है । तो इससे यह इम्पलाइड होता है कि गवर्नर साहब को गलत तरीके से एडवाइस दी गयी और सेशन बुलाया गया ।

श्री अध्यक्ष—

अब आपका समय समाप्त हो गया । कृपया बैठ जाइये ।

*श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं ५ मिनट में ही अपनी बात समाप्त करने की कोशिश करूंगा। ज्यादा समय नहीं लूंगा। इस मसले पर काफी विवाद हुआ और हमारे नेता विरोधी दल और अन्य लोगों ने काफी प्रकाश डाला है। मैं केवल एक बात कहूंगा पार्लियामेंटरी प्रोसीजर बाई मुकर्जी से जिसको कल कोट भी किया जा चुका है। उसके पृष्ठ २३ पर दिया है उसको कोट करके कहना चाहता हूं। कौंसिल आफ स्टेट्स में भी एक दफा ऐसा ही मसला पेश हुआ था जब सेशन एक दिन के लिये बुलाया गया था फिर उस तारीख को बदल कर दूसरे दिन के लिये बुलाया गया। मैं उसमें से कुछ पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

"The question whether, once a House has been summoned to meet on a particular date, the date can be changed by a subsequent notification, arose in the Council of States in 1953. On 28th May the Council of States was summoned to meet on 17th August, 1953. By a subsequent notification purporting to supersede the previous notification dated 5th August, 1953, the House was summoned to meet on 24th August, 1953. A protest was made by the members of the Council of States that the House should be treated more seriously and not in the way it had been treated. It was also argued that the President had no authority to alter the date once he had issued the summons. As regards the second point, the Government contended that the President had the right to alter the date on the ground that the authority who could summon a meeting had also the power to cancel the notice and summon a meeting on a later date. The Law Minister, however, added that he was expressing the opinion off-hand as the matter had not been considered from the legal or constitutional point of view. In the end, the Chairman said that when Lawyers differed on the question of legality, he would not express any opinion but it should be presumed that the President had obtained the best legal advice and his action should be presumed to be regular. He also added that he had no doubt that the House would have no occasion to be called on one date and then be asked to come on another."

श्री अध्यक्ष—

श्री नरसिंह नारायण जी ने भी तो इसको पढ़ कर सुनाया था।

श्री भगवानसहाय—

उन्होंने पृष्ठ २४ से पढ़ कर सुनाया था, यह पृष्ठ २३ पर है तो इसमें जो गवर्नमेंट का जवाब आया उसमें जो सेन्टर के कांग्रेस के ला मिनिस्टर हैं उन्होंने जो इंफारमेशन दी थी वह मैं बतलाना चाहता हूं। उन्होंने एक एश्योरेन्स दिया था जिसके बारे में मैं अगर कहूं तो यह होगा जैसा अंग्रेजी में कहा जाता है।

"He also added that he had no doubt that the House would have no occasion to be called on Monday and then be asked to come on another."

इसके बाद मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस के पृष्ठ ३२ और २७९ के ऊपर भी प्रोरोग करने का एक खास तरीका दिया हुआ है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

यह आर्गूमेंट तो नेता विरोधी दल ने भी दिया है ।

श्री भगवानसहाय—

मैं कुछ दूसरी बात कह रहा हूं । अगर हमारे राज्यपाल महोदय का असेम्बली बुलाने का जो उनका १६ तारीख का आदेश हुआ था उसका टेलीफोन पर खंडन क्यों हुआ । उसके लिये सब्सीक्वेन्ट लेटर कन्फर्म करने के लिये नहीं आया, यह बात मेरी समझ में नहीं आयी । इसलिये माननीय नेता विरोधी दल ने भी कहा कि पहले को प्रोरोग करना चाहिये था और फिर दूसरी बार बुलाते ।

*श्री सैयद अलीजहीर (न्याय मंत्री)—

अध्यक्ष महोदय, ४ दिन से इस मसले के ऊपर बहस हो रही है, लेकिन मेरे नजदीक वह एक बहुत सीधा-साधा मसला है, जिसको कि आपको फैसला करना है । वह सिर्फ यह है कि आया जिस तारीख को आर्डिनेन्स निकला उस तारीख को असेम्बली प्रोरोग्ड थी या इन सैशन थी और इस फैसले के ऊपर सब बातों का दारोमदार है । बहस यह की गयी कि चूंकि राज्यपाल महोदय ने यह डिसाइड किया कि वह १६ को एसेम्बली बुलायें, लेकिन कब्ल इसके कि नोटिफिकेशन निकले, उनकी राय चाहे किसी की एडवाइस पर या किसी वजह से बदली और उन्होंने यह फैसला किया कि बजाय १६ के २३ को एसेम्बली की मीटिंग की जाय तो इस अर्से में क्या बात हो गई । इसके लिये जैसा आप जानते हैं हमारी एसेम्बली के रूल्स बने हुये हैं उसमें सेशन की डैफिनीशन और साफ-साफ और क्लीयर वर्डस में दी हुई है और मेरे ख्याल से वह डैफिनीशन पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस के ऊपर मुनहसिर है ।

" 'Session' means the period of time between the first meeting of the Assembly upon the summons of the Governor under Article 174 (1) and its prorogation or dissolution under Clause (2) thereof."

प्रोरोग हो चुकी थी । उसको समन किया गया । तो समन करने के बाद जो सेशन शुरू होगा तो वह फर्स्ट मीटिंग आफ दि एसेम्बली से ही शुरू होगा और उस से पहले शुरू नहीं हो सकता है । तो अगर यह कन्सीड हो जाय कि फर्स्ट मीटिंग १६ को हो चुकी थी तो ठीक है तो हमारी आर्डिनेन्स इश्यु नहीं हो सकता था, लेकिन अगर फर्स्ट मीटिंग नहीं हुई थी कोई भी पीरियड विटवीन दी फर्स्ट मीटिंग के पहले हम आर्डिनेन्स इशू कर सकते थे । अब मैं यह कहना चाहता हूं कि यह डैफिनीशन बेस्ड काहे पर है । मेज पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस के ज २७८ पर इसको कन्सीडर किया है । तो अगर आप इस को देखेंगे तो वह चीज आपको साफ-साफ मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में मिलेगी कि अगर हमने एक डेट का इरादा किया था कि उसको सेशन बुलायेंगे तो उसके माने यह नहीं हैं कि हम दोबारा उसको नहीं बुला सकते । या वह डेट डेफर नहीं हो सकती है या चेन्ज नहीं हो सकती है । वह डेट डेफर भी हो सकती है और चेन्ज भी हो सकती है । हमारा जनरल क्लाजेज ऐक्ट और हमारा जनरल ला भी इस प्वांइट पर मिलेगा । तो जो अथारिटी है चाहे वह पहली को कैन्सिल न भी करे, तो भी बुला सकते हैं । अब सवाल रहा कि उस आदेश को पहले कैन्सिल क्यों नहीं किया गया । तो अगर यह नोटिफिकेशन जारी हो गया होता तब अगर हम इसको बुलाना चाहते तो इसके कैन्सिलेशन की जरूरत थी, लेकिन वह जारी नहीं हुआ तब उसका सवाल ही नहीं उठता । इसमें कोई फोर्स नहीं है और यह बिलकुल एक मीनिंगलेस आर्गूमेंट है । मेरा खयाल है कि बिलकुल साफ यह सवाल है और मेरी समझ में नहीं आता कि प्रिविलेज का सवाल आप किसके ऊपर ला रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रिविलेज मोशन अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सैयद अली जहीर—

मेरा मतलब यह था कि गवर्नर्स एक्शन कैननाट बी डिस्कस्ड हियर ।

(Governor's action cannot be discussed here).

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैं एक जानकारी चाहता था कि अभी समनिंग का बार-बार न्याय मंत्री जी ने जिक्र किया .....

श्री अध्यक्ष—

आप बहस करना चाहते हैं, (व्यवधान) बहस इस समय नहीं हो सकती । देखिये मैं बताये देता हूं, मैं समाप्त कर रहा हूं । अगर सदन दस मिनट और बैठ जाय तो दो-दो मिनट मैं कुछ माननीय सदस्यों को दे सकता हूं ।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

दो मिनट में तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता ।

श्री भगवानसहाय—

मेरी राय यह है कि लंच आवर खतम कर दिया जाय और इस पर बहस हो जाय ।

श्री अध्यक्ष—

नहीं, यह नहीं हो सकता । मैं सिर्फ दो-दो मिनट दे सकता हूं ।

†श्री चन्द्रजीत यादव—

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है । इस पर अपनी राय देने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि न्याय मंत्री ने जो अभी कहा है कि सेशन का समय डेफर भी किया जा सकता है और मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस के २७८ पेज से पढ़ा है, उन्होंने गालिबन २७९ पेज को नहीं पढ़ा । वह मैं पढ़ देना चाहता हूं—

"The meeting of Parliament may be deferred by a further proclamation proroguing it to a later date not being less than 14 days from the date of such proclamation."

एक बार जब असेम्बली बुलायी गयी, समन कर ली गई तो दूसरी बार डेफर करने के लिये यह जरूरी है कि उसे फिर प्रोरोग किया जाय । बगैर प्रोरोग किये हुये डेफर नहीं किया जा सकता । श्रीमन्, यह बहुत गम्भीर प्रश्न है और शासक दल ने इसे केवल टेक्निकल मान लिया है लेकिन यह प्रश्न केवल टेक्निकल नहीं है, इसके ऊपर गम्भीरता से विचार करना चाहिये कि क्यों वह इत्तला इस प्रकार दी गई और क्यों आपके आफिस को वह फोन से दी गई ? मेरा यह खयाल है कि वह अधिकारी जो फोन से इत्तला दे रहा था वह इस बात को जानता था कि संविधान इस बात का अधिकार नहीं देता कि एक बार जब असेम्बली समन कर ली गई तो उसे बिला प्रोरोग किये हुये दुबारा नहीं बुलाया जा सकता । मैं चाहता हूं कि आप इस पर ध्यान दें । हमारे संविधान में जब गवर्नर को इस बात का अधिकार दिया है कि गवर्नर सेशन समन कर सके, प्रोरोग कर सके और असेम्बली को डिजाल्व कर सके तो एक साधारण सी बात समझ में आती है कि उस नोटिफिकेशन को वह डेफर भी कर सकता है और यही लाजिक उधर से दी जा

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री चन्द्रजीत यादव]

रही है । लेकिन आप इस बात को जानते हैं कि हमारे देश में संविधान में जो भी ब्लैक ऐन्ड व्हाइट में लिखा हुआ है हमारे देश के न्यायालय और हमारे देश की जनता उसी से गाइड होती है शब्द ब शब्द । हमारे यहां के न्यायालय यूनाइटेड स्टेट्स और इंग्लैंड के न्यायालय नहीं हो सकते जहां कि इंटेन्शंस को देखा जाता है। हम तो शब्द जो संविधान में लिखा है, उसी से गाइड हो सकते हैं । इसीलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि गवर्नर ने जब असेम्बली को समन किया तो उसे उस नोटिफिकेशन को चेन्ज करने का अधिकार हमारे संविधान में नहीं दिया है ।

श्री अध्यक्ष—

यह बहस तो दीप नारायण सिंह जी कर चुके हैं और आप भी कह चुके हैं ।

श्री चन्द्रजीत यादव—

मैं यह कह रहा हूं कि यह अनकांस्टीट्यूशनल और अवैधानिक है । दूसरी बात रूल्स की कही गई है । रूल्स के अन्दर यह व्यवस्था की गई है कि जब गवर्नर महोदय समन करेंगे तो उसकी इत्तला सचिव देंगे । अगर रूल्स को इतना स्ट्रिक्टली फालो कर रहे हैं तो डाइरेक्टर आफ इंफार्मेशन या सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट बीच में कहां से आ गये ? यह सीरियस कांस्टीट्यूशनल इम्प्रोप्राइटी हुई है ।

श्री अध्यक्ष—

श्री नरसिंह नारायण जी ने इसकी ओर सदन का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया है । यह सारी बहस हो चुकी है ।

श्री चन्द्रजीत यादव—

आप जरा सुन तो लें । दूसरा आब्जेक्शन यह उठाया गया है कि जनरल क्लाजेज ऐक्ट का सेक्शन २१ इस बात का अधिकार देता है कि जो भी आर्डर, ऐक्ट या नोटिफिकेशन हुआ हो उसको डिफर किया जा सकता है, उसमें वैरियेशन हो सकता है । मैं यह कहना चाहता हूं कि संविधान के अन्दर ऐसा वर्ड कहीं नहीं है । समन करना कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई आर्डर नहीं है, कोई इस तरह का ऐक्ट नहीं है, बल्कि गवर्नर के ऊपर यह एक ड्यूटी है, वह कांस्टीट्यूशन से बाउंड है कि उसको समन करे । इस तरह का यह नहीं है कि जनरल क्लाजेज ऐक्ट इसके ऊपर लागू करें और उसके मुताबिक चेन्ज करें ।

दूसरी बात यह है कि यह कहा गया कि जहां पर संविधान लागू नहीं होता वहां पर मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस को कोट किया जाय और उसकी तरफ इंग्लैंड के संविधान का सहारा लिया जाय । मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे संविधान में कहीं भी हम इस बात से बाध्य नहीं हैं कि इंग्लैंड या अमेरिका के संविधान से गाइड हों । संविधान की धारा १९१ के खंड ३ में यह बात कही गई है कि जहां पर प्रिविलेज का सवाल है, पावर का सवाल है, जहां पर पावर और प्रिविलेज स्पेसिफाई नहीं होंगे केवल उसके लिये हम इंग्लैंड की पार्लियामेंट की तरफ जायेंगे और उसके द्वारा गाइड होंगे । यह नहीं कि जिसकी व्यवस्था हमारे संविधान में हो उसके लिये भी उस तरफ जायं ।

†श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

२९ तारीख को जो नोटिफिकेशन निकला और आपके पास आया वह रिटिन में था, वह लिखा हुआ था और उसको केवल एक रिटिन आर्डर के जरिये से ही खतम किया जा सकता

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

था। आपसे अगले दिन अधिकारियों ने कहा कि टेलीफोन आया। उस टेलीफोन से उस रिटिन आर्डर को खत्म नहीं किया जा सकता।

दूसरी बात यह है कि हम स्वस्थ परम्परा का निर्माण करें। अपने प्रदेश के अन्दर हमारी असेम्बली है वह सक्षम और पावरफुल है जिसको हम बहुत महत्व देते हैं अपने देश में और विदेश के अन्दर। अगर हम उस महत्वपूर्ण असेम्बली को बुलाते हैं किसी तारीख को और उस तारीख को हम रोज बदलें तो यह देश और प्रदेश के लिये कोई स्वस्थ परम्परा नहीं हो सकती। इसलिये जस्टिस, इक्वीटी और अच्छी परम्परा के निर्माण के लिये यह आवश्यक है कि इस प्रकार के आदेश जारी नहीं किये जा सकते।

†श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

मैं आपका ध्यान आपकी व्यवस्था की तरफ दिलाना चाहता हूं जो आप यहां पर देने वाले हैं। जिस दिन प्रोरोगेशन खत्म हो जाता है और जिस दिन राज्यपाल महोदय आदेश निकालते हैं असेम्बली के बुलाने का ३१ अगस्त को कि २३ तारीख से बैठा जाय तो यह ३१ अगस्त से २३ सितम्बर के बीच के समय को आप क्या मानेंगे? इसको असेम्बली इन सेशन मानेंगे या प्रोरोगेशन मानेंगे? मैं यह समझता हूं कि ३१ अगस्त को राज्यपाल महोदय का आदेश निकल चुका है। मैं समझता हूं आप मेरी इस प्रार्थना का ध्यान रखें और इसको सामने रखकर अपना निर्णय दें।

†श्री बृजभूषणशरण (जिला देहरादून)—

मान्यवर, बहुत-सी बहस इस सम्बन्ध में की गई हैं। खासतौर से अभी चन्द्रजीत जी यादव ने जो कहा उससे मैं अपने को बहुत हद तक सहमत मानता हूं। चन्द्रजीत जी यादव ने यह कहा है कि जो हमारे संविधान के अन्दर लिखा हुआ है उसके लिये हम पार्लियामेंट में या इंग्लैंड में क्या होता है, उसका सहारा नहीं ले सकते। माननीय चन्द्रजीत यादव ने लीगल प्रपोजीशन तो कह दिया लेकिन उसका कंक्लुजन गलत निकला। हमारे संविधान की ३६७ आर्टिकिल में जो लिखा हुआ है उसकी बाबत भी कहा गया कि समन लिखा हुआ है। समन कोई ऐक्ट नहीं होता है। वह समन तो सब के पास भेजा जाता है। गवर्नर महोदय ऐसा तो कर नहीं सकते कि घर-घर सब के जायं और कहें कि चलिये, असेम्बली चल रही है। वह तो समन करने के लिये आर्डर करेंगे। वह तो ३६७ के अनुसार समन कर सकते हैं और धारा २१ के मुताबिक फिर उस पर अमल होगा।

दूसरी बात यह है कि यहां पर प्रोरोग करने का कोई ऐक्ट नहीं है। इंग्लैंड में जब प्रोरोग किया जाता है तो वहां पर उसके लिये एक ऐक्ट अलग से बना हुआ है। यहां पर वह नहीं है। यहां पर तो जो प्रोरोगेशन करने का काम है वह जनरल ऐक्ट से करते हैं। इंग्लैंड में प्रोक्लेमेशन के जरिये से होता है। उसके लिये उन्होंने सेपरेट ही ऐक्ट बनाया हुआ है। उसके मातहत ही वह वहां पर करते हैं। यहां पर वह नहीं है। इसलिये जो संविधान में लिखा हुआ है और जो उसके मातहत ऐक्ट बना हुआ है जनरल क्लाजेज ऐक्ट में, उसके मातहत हो सकता है। एक बात मैं माननीय चन्द्रजीत जी को यह भी बतलाना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि गवर्नर को जो हाउस समन करने का अधिकार है यह गवर्नर की ड्यूटी कास्ट की गयी है संविधान में। मैं इस बात को मानता हूं और चन्द्रजीत जी का ध्यान संविधान के आर्टिकिल ३६१ की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसमें लिखा है कि:

"361 (1) The President or the Governor or Rajpramukh of a State, shall not be answerable to any court for the exercise and performance of

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बृजभूषणशरण]

the powers and duties of his office or for any act done or purporting to be done by him in the exercise and performance of those powers and duties."

तो मेरी गुजारिश यह है कि जो गवर्नर ने किया है उसे अदालत में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। हमको भी इसका कोई अधिकार नहीं है। दूसरे मैं यह कहना चाहता हूं....

(व्यवधान)

शोर मचाने से काम नहीं चलेगा। यह विधान सभा गवर्नर को इम्पीच नहीं कर रही है। गवर्नर ने.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आपका यह आर्गूमेंट है कि चूंकि इससे गवर्नर पर रेफ्लेक्शन होता है इसलिये इसको न लिया जाय।

श्री बृजभूषणशरण—

गवर्नर को हम इम्पीच नहीं कर सकते। गवर्नर को उन्होंने अपना वकील नहीं बना रखा है।....

(व्यवधान)

इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर गवर्नर साहब अपनी गलती पाते तो अपने सेक्रेटरी को सस्पेंड कर सकते थे....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

ठीक है। अब हम उठते हैं और दो बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजकर १० मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ४ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

लगान में २५ प्रतिशत वृद्धि को समाप्त करने की मांग के संबंध में वक्तव्य

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

गत वर्ष जबकि सरकार आयोजनागत व्यय के लिये संसाधनों के संग्रहण के प्रश्न पर विचार कर रही थी हमारे देश की सीमाओं पर चीनियों द्वारा अचानक आक्रमण कर दिये जाने के कारण एक संकटकालीन परिस्थिति उत्पन्न हो गयी। इस स्थिति से सामान्यतया देश के वित्तीय और भौतिक संसाधनों पर अतिरिक्त बोझ पड़ गया और विशेषतया इस राज्य की भौगोलिक स्थिति के कारण इस नयी चुनौती का सामना करने के लिये राज्य के संसाधनों में वृद्धि करना अनिवार्य हो गया। अतः सरकार ने इस संकटकालीन परिस्थिति को दृष्टि में रखते हुए राज्य के संसाधनों की स्थिति की पुनः जांच की और राजस्व में वृद्धि करने के लिये सदन के समक्ष कतिपय प्रस्ताव रखे जो सदन द्वारा यथावत् स्वीकार कर लिये गये।

इन प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव २५ प्रतिशत तक का अधिभार (सरचार्ज) लगाने का भी था। इस प्रस्ताव को विधेयक के रूप में सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के पूर्व भी उसे सदन के सभी वर्गों के नेताओं का अनुमोदन प्राप्त था। यह विधेयक अब कानून बन गया है। इस

कानून में इस बात की स्पष्ट व्यवस्था है कि प्रत्येक ऐसे कृषि-वर्ष के लिये, जिसकी सम्पूर्ण अवधि या उसके किसी भाग के दौरान में जबतक संकटकालीन स्थिति बनी रहे, ऐसे भू-राजस्व या लगान के २५ प्रतिशत की दर से अधिभार लगाया और वसूल किया जायगा ।

इस प्रकार यह विदित होगा कि जिस कृषि वर्ष से संकटकालीन स्थिति की घोषणा वापस ले ली जायगी उसके बाद वाले कृषि वर्ष से इस अधिभार का भुगतान स्वतः बन्द हो जायगा । चूंकि राष्ट्रीय संकटकालीन स्थिति अभी बनी हुई है और राष्ट्र को मजबूत बनाने में हमें हर प्रकार से अभी बहुत कार्य करना है अतः हमारे संसाधनों में वृद्धि करने की आवश्यकता अब भी बनी हुई है और वस्तुतः इसलिये इस अधिभार को समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठता ।

यह कहना सही नहीं है कि इस अधिभार को केवल एक वर्ष के लिये लगाने और उसके बाद समाप्त करने का आश्वासन दिया गया था.....

(व्यवधान)

अनेक सदस्य--

सफेद झूठ है, असत्य है, बिल्कुल झूठ है।

श्री बंशीधर पांडेय--

आप सुनें तो जरा । किन्तु उस समय विचार यह था कि यह देखा जाय कि इस सम्बन्ध में 'स्लैब' प्रणाली लागू करना संभव होगी या नहीं जिससे कि श्रेणी-बद्ध क्रम में अधिभार लगाया जा सके और साथ ही राज्य के कोष में अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो सके, किन्तु विधिक कठिनाइयों के कारण सरकार के लिये "स्लैब" प्रणाली लागू करना संभव नहीं हो सका जिसके अन्तर्गत अधिभार एक श्रेणीबद्ध क्रम में लगाया जा सके । यदि बाद में कभी ऐसा करना संभव हो सका तो सरकार निस्संदेह इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करेगी। लेकिन जब तक राष्ट्रीय संकट बना रहे सरकार के लिये भू-राजस्व पर लगाया गया अधिभार वापस लेना संभव नहीं होगा ।

(अत्यन्त शोर के बीच)

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न यह है कि जो वक्तव्य दिया गया है उसमें यह कहा गया है कि विरोधी दलों के नेताओं ने अपनी सहमति प्रकट की थी। यह बिल्कुल असत्य है । सभी नेताओं ने इसका विरोध किया था ....

श्री उपाध्यक्ष--

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)--

मैं भी उस वक्त मौजूद था, यह बिल्कुल असत्य बयान है ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--

यह बिल्कुल गलत बात कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

पहले पूरा स्टेटमेंट तो हो जाने दीजिये....

(व्यवधान)

अनेक सदस्य—

वह तो पूरा हो गया।

†श्री शारदाभक्तसिंह (जिला हरदोई)—

प्रारम्भ में ही, श्रीमन्, हमारे दल की ओर से कहा गया था कि हम लोग इसके विरोधी हैं। यह हटाया जाय क्योंकि किसानों ने सबसे अधिक जवान और धन देश की सेवा के लिये दिया है....

(व्यवधान)

आज इतनी ज्यादा बढ़ती हुई कीमतों के समय में किसानों के लिये असम्भव हो गया है कि वे इस टैक्स को दे सकें। यह जो वक्तव्य दिया गया है और जिस प्रकार से दिया गया है उससे प्रदेश की सारी जनता को बहुत बड़ी ठेस लगेगी। इसलिये मैं मांग करता हूं कि यह वक्तव्य वापस होना चाहिये।

अनेक सदस्य—

मन्त्री जी का बयान गलत है, इसे वापस होना चाहिये।

†श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

इस सदन के अन्दर इस तरह का वक्तव्य देने का अधिकार इस सरकार को नहीं है। सदन के बाहर इन्फार्मल मीटिंग में जो कुछ हुआ हो, उसको आइसोलेट करके, यहां गलत तरीके से सदन में कहने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है।

(व्यवधान)

जो कुछ सरकार को कहना है, वह जिम्मेदारी के साथ कहना चाहिये। गलतबयानी से प्रदेश के अन्दर भ्रम पैदा होगा। यह बयान सदन को गलत रास्ते पर ले जायेगा। इसलिये मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

(व्यवधान)

†श्री नेकराम शर्मा—

मैं भी श्रीमन्, मीटिंग में मौजूद था, मैंने तथा अन्य नेताओं ने भी इसका विरोध किया था। हमने स्पष्ट यह कहा था कि हम लैंड रेवेन्यू पर कोई लेवी नहीं चाहते। बाद को इन्होंने ही कहा कि एक साल के लिये हम यह लगा रहे हैं, एक साल के बाद इसे वापस ले लेंगे। उस मीटिंग के निर्णय को इस तरह से सदन में लाना बहुत अनुचित है। जो कुछ गलत बात सदन में कही गई है उसे आप कार्यवाही से निकालें और उनसे कहें कि उसे वह वापस लें।

श्री भगवानसहाय—

आप मन्त्री जी से कहें कि या तो उस मीटिंग की पूरी कार्यवाही सदन के सामने रखें और गलतबयानी न करें,....

श्री उपाध्यक्ष—

इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।
क्लैरीफिकेशन के लिये उनसे उस मीटिंग के बारे में पूछ सकते हैं।

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)---

आपको भी मालूम है कि किस तरह से जनसंघ का प्रदर्शन चला था इस बारे में। मन्त्री जी ने चीन के हमले के समय कहा था कि हम एक साल के लिये सिर्फ इसे लगा रहे हैं। अब क्या गांव के ही लोग, जिनके पास खाने और पहनने के लिये नहीं है, क्या वही एक ऐसा मजमुआ है जो सारा बोझ उठावे? हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)---

अभी सदन में बंशीधर जी ने, मन्त्री जी ने, मार्शल को बुलाकर उन्हें कुछ आदेश दिया, क्या यह सदन में गड़बड़ी नहीं कराना चाहते हैं?

श्री उपाध्यक्ष---

हर माननीय सदस्य को उन्हें बुलाकर बात करने का अधिकार है। सारे असेम्बली के स्टाफ के ऊपर आपका अधिकार है।

श्री बलवानसिंह---

आप सदन की कार्यवाही देख लें, १ साल के लिये उन्होंने कहा था। अब वह गलतबयानी कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

इस पर कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं उठता है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

मेरा प्रस्ताव है कि यह सदन मन्त्री जी के बयान का अननुमोदन करता है।

श्री उपाध्यक्ष---

यह प्रस्ताव नहीं हो सकता है। इस पर डिबेट नहीं हो सकती है। आप इस प्रकार एकदम प्रस्ताव देकर बहस चाहते हैं, यह नहीं हो सकता है।

श्री झारखंडेराय---

मुझे यह कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि विरोधी दलों के नेताओं के साथ सरकार की जो मीटिंग हुई, उसकी कार्यवाही के बिल्कुल खिलाफ बयान दिया गया है। विश्वासघात किया गया है, वादाखिलाफी की गयी है, प्रजातन्त्र की हत्या की गई है। नेताओं की मीटिंग में साफ अंडरस्टैंडिंग थी कि यह एमर्जेन्सी लैवी केवल १ साल के लिये होगी। इस पर कुछ दल राजी हुए और कुछ अन्त में राजी नहीं हुए। हमारा दल एक साल के लिये राजी हुआ। एक साल की दोनों किस्तें वसूल की गयीं और अब सरकार उस लैवी को वापस लेने का एलान करे। वस्तुतः अब एमर्जेन्सी नहीं है। मीटिंग की मिनट बुक यहां लाकर बतलाई जाय। क्या लोगों ने यह सुझाव नहीं दिया था कि सरकार का बकाया सख्ती से वसूल किया जाय, पूंजीपतियों पर टैक्स लगाने के लिये नये उपाय सोचे जावें, इकोनामी के नये मेजर निकाले जावें, बिजली, शकर के राष्ट्रीयकरण की ओर बढ़ा जाय और १ साल के बाद यह लैवी वापस ली जाय?

श्री उपाध्यक्ष---

सरकार की ओर से एक वक्तव्य हुआ।

(व्यवधान)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

झूठ हुआ।

(बहुत से सदस्यों के बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग शांति रखें। वक्तव्य पर आप क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं। दूसरे, कोई प्रस्ताव ले आइये और जब मौका होगा तो उस पर बहस हो सकती है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

जब यह बिल आया था तो मेरा ही संशोधन था कि इसमें १ वर्ष कर दीजिये। उस समय माननीय मन्त्री जी ने कहा था कि यह हम १ साल के लिये ही कर रहे हैं।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सब दलों की मीटिंग हुई....

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या है ?

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

जैसा अभी झारखंडे राय जी ने वर्णन किया, हाउस में मन्त्री जी ने यह मान लिया था कि केवल १ साल के लिये ही यह लैवी लगेगी। १५ अगस्त, सन् ६३ को दैनिक "आज" में बड़े मोटे हेडिंग में पहले पन्ने पर ही छपा है कि मालगुजारी में २५ प्रतिशत लैवी वापस लेने पर सरकार द्वारा विचार....।

श्री उपाध्यक्ष--

यह व्यवस्था का कोई सवाल नहीं है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

यह समाचार प्रकाशित हुआ है।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)--

क्या यह कोई व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

इस समाचार के निकलने के बाद सरकार की ओर से उसका कोई खंडन नही हुआ हालांकि १५ अगस्त, ६३ को यह अखबार में निकल चुका था। क्या माननीय मन्त्री जी सदन में इस तरह की गलतबयानी कर सकते हैं ?

(शेम शेम की आवाजें)

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय मन्त्री जी से एक वक्तव्य देने को कहा गया और जो गवर्नमेंट उचित समझती थी उन्होंने वह वक्तव्य दिया। अब आपके सामने दो ही रास्ते हैं। एक तो यह कि आप क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं दूसरा यह कि इस पर डिस्कशन के लिये कोई समय रख दें।

(श्री विजयसिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)---

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष---

आपको इसमें दिक्कत क्या है?

(बहुत से लोगों के खड़े होकर बोलने पर)

देखिये चार-चार साहब एकदम खड़े होते हैं। मैंने केवल विजय सिंह जी को बुलाया है।

श्री कल्पनाथसिंह---

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि आपने कहा कि इसके लिये कोई बाकायदा प्रस्ताव लाया जाय। मैं इससे सहमत हूं। दफा १०६ के अन्तर्गत मेरा एक प्रस्ताव मौजूद है उसको कृपया इस समय ले लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

उस पर अलाहिदा से टाइम फिक्स कर दिया जायगा। इस वक्त के लिये दूसरा काम है।

श्री विजयसिंह---

उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय यह लेवी की बात तय होने जा रही थी तो विभिन्न विरोधी-दलों के नेताओं को बुलाया गया था, स्वतन्त्र पार्टी के श्री भानुप्रताप सिंह जी ने भी उसमें भाग लिया था। उनके समक्ष माननीय राजस्वमन्त्री जी ने पूर्णरूप से यह आश्वासन दिया था कि यह लेवी केवल एक वर्ष के लिये लागू की जा रही है। इस समय और कोई साधन हमारे पास नहीं है, इसलिये इसको किसानों के ऊपर केवल एक वर्ष के लिये लगाया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप पूछ लें कि यह सही है या गलत है?

श्री विजयसिंह---

आप मेरी बात तो सुन लीजिये, जरा पृष्ठभूमि की बात है।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, श्रीमन्।

श्री विजयसिंह---

मेरी स्वतन्त्र पार्टी के उपनेता भानु बाबू को माननीय मन्त्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि यह केवल एक वर्ष के लिये है।

[श्री विजयसिंह]

माननीय राजस्व मन्त्री जी ने इस सदन के अन्दर भी बार-बार आश्वासन दिया था और हमारे उपनेता भानु बाबू से भी कहा था कि इसे केवल एक साल के लिये लगाया जा रहा है। आप माननीय राजस्व मन्त्री जी से स्पष्टीकरण करने को कहें कि इस लेवी के लिये माननीय मन्त्री जी ने सदन में केवल एक वर्ष के लिये ही लगाने का आश्वासन दिया था या नहीं ?

श्री कमलासिंह यादव---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी आपने कहा था कि आवश्यक हो तो क्लैरिफिकेशन करा सकते हैं। क्लैरिफिकेशन दो तरह का होता है। एक तो यह कि आपने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया जो गलतबयानी में आता हो, तो उसके लिये यह है कि विवाद में जिन लोगों ने भी भाग लिया हो, उन सब को यह अधिकार होता है कि जो गलत बात कही गयी हो उसके बारे में स्पष्टीकरण करा सकें।

श्री उपाध्यक्ष---

यह कोई व्यवस्था का सवाल नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव---

आपके नियमों के अन्दर यह है।

श्री उपाध्यक्ष---

व्यवस्था की बात केवल यह है कि एक वक्तव्य हुआ, जैसा कि उनके मन में आया उन्होंने दिया। आपके खयाल से वह गलत है तो आप उनसे सवाल कर लीजिये या एक दिन पूरा इस पर विवाद के लिये मुकर्रर हो जाय तो उस दिन आप विवाद करें।

(व्यवधान)

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)---

आखिर आप बात सुनेंगे किसी की या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने बहुत सुनी बात। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं।

श्री काशीनाथ मिश्र---

जो बात भी कोई कहता है उसे आप सुनते क्यों नहीं ?

श्री यादवेन्द्रदत्त---

अभी आपने कहा कि जो मन्त्री महोदय के मन में आया उन्होंने कहा इसका क्या अर्थ है, मैं समझ नहीं पाया।

श्री उपाध्यक्ष---

दुबे जी अब आप ही बतला दें कि क्या रास्ता है सिवा इसके कि क्लैरिफिकेशन हो जाय या विवाद के लिये कोई टाइम फिक्स हो जाय ?

श्री यादवेन्द्रदत्त---

जहां तक स्पष्टीकरण देने की बात है, जो बात अभी श्री कमला सिंह ने कही कि माननीय मन्त्री जी ने गलतबयानी की, उसका स्पष्टीकरण तो करा दें कि वह गलतबयानी हुई या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष---

मैं तो घंटे भर से कह रहा हूं कि आप सवाल करें तो मैं एलाऊ कर दूं। श्री विजय सिंह के प्रश्न का उत्तर तो राजस्व मंत्री जी को देने दीजिये। राजस्व मंत्री जी कृपया बतायें कि क्या आपने समिति में और सदन में आश्वासन दिया था कि यह लेवी एक साल के लिये ही होगी।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---

आप यदि कार्यवाही के खंड २३७ के अंक ५ के पृष्ठ ६०३ और ६०५ को देखें तो वहां हमारा बयान मौजूद है और ८ दिसम्बर, सन् ६२ की कार्यवाही में भी पृष्ठ ६२ पर हमारा बयान है उसको माननीय सदस्य पढ़ लें ....

अनेक सदस्य---

आप ही उसे पढ़ दें कि आपने क्या कहा था।

*श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---

मैं ८ दिसम्बर सन् ६२ के बयान को पढ़ दूं ....।

(व्यवधान)

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि खन्ड २३७ अंक ४ के पृष्ठ ५४० के संदर्भ में ८ दिसम्बर, सन् ६२ को माननीय हुकुम सिंह जी ने कहा था कि "बिल की बहस के दौरान में मैं यह सुनता रहा कि हमारी दिक्कतें हल होती हैं या नहीं। मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि यह बिल करेंट ईयर के लिये महज है। भानु प्रताप सिंह जी ने एश्योरेंस चाहा था। मैं उसे फिर दोहराता हूं कि यह विधेयक करेन्ट इयर के लिये है।"

श्री हुकुमसिंह विसेन---

यह देखिये बाद में इसमें हमने कहा है ?"जब तक एमर्जेन्सी है" इसे क्यों छोड़ रहे हैं आगे और पढ़िये।

श्री यादवेन्द्रदत्त---

क्या राजस्व मंत्री जी को याद है कि जब सदन में श्री भानु प्रताप सिंह जी ने कहा था कि आपने कमेटी में कहा था कि साल भर के लिये कर रहे हैं और चूंकि नहीं मानते हैं इसलिये स्वतंत्र पार्टी उसका विरोध करती है, क्या यह सही है और मंत्री जी को याद है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

कहा होगा, हम इनकार नहीं करते।

श्री यादवेन्द्रदत्त---

मंत्री जी ने इसको स्वीकार किया था ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

हमने स्वीकार नहीं किया, हमने यह कहा था कि यह करेंट ईयर के लिये है जब कि इमर्जेन्सी कायम है, यही कार्यवाही में लिखा है।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय (जिला गोरखपुर)---

क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि जिस समय विरोधी दलों के नेताओं की मीटिंग आपातकर के लिये बुलाई गई थी तो सदस्य की हैसियत से मैं भी वहां था तो मैं आपको याद दिलाऊंगा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नरसिंह नारायण पांडेय]

कि आपने एक कांफिडेशियल रिपोर्ट दी थी जिसमें बताया गया था कि वेरियस रिसोर्सेज को टेप किया जायगा, क्या आपके पास उसकी प्रतिलिपि है और क्या वह दिखलायेंगे हम लोगों को जिसमें कि लिखा हुआ था कि आपातकर केवल एक साल के लिये ही लगाया जायगा?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

वह हमारे पास नहीं है । (शेम शेम की आवाजें)

श्री उपाध्यक्ष---

आप शोर क्यों करते हैं, जबाब जो वह दें वह सुन लीजिये ।

श्री बलवानसिंह---

अभी जो मंत्री जी कह रहे हैं उसकी कापी आप देख लें श्रीमन् वह कापी हो तो मंत्री जी दिखला दें जब तक इसकी सफाई नहीं हो जायगी तब तक हाउस का चलना मुश्किल है।

*श्री चन्द्रजीत यादव---

आप देखें कि पार्टी के नेताओं की मीटिंग हुई थी वहां भी और इस सदन में भी यह वचन दिया गया था कि एक साल के लिये यह लेवी लगायी जा रही है । अब उस वचन को आप पूरा करना चाहते हैं या भंग करना चाहते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

माननीय नेताओं के दर्मियान बात हुई थी । लेवी दो हिस्सों में होगी । एक हिस्से में २५ प्रतिशत और दूसरे हिस्से में ग्रेडेड स्केल पर बड़े-बड़े आदमियों पर पड़ेगी और काफी रकम आ जाय तो वह खत्म हो जायगी । लेकिन वह लेवी कांस्टीट्यूशनल डिफिकल्टी से लगी नहीं लेकिन वह प्रयास जारी है । आप लोग नहीं सुनना चाहते तो मैं बैठ जाता हूं ।

(व्यवधान)

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय---

इस तरह से सदन नहीं चल सकता । बार-बार इस सदन में उपनेता की तरफ से गलत-बयानी हो रही है । इस तरह से इस सदन की मान-मर्यादा और प्रतिष्ठा कैसे कायम रहेगी ?

श्री उपाध्यक्ष---

शोरगुल से भी नहीं रहेगी ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय---

इस विधेयक के उद्देश्य और कारण को आप देखें । साफ तरीके से लिखा है कि १ साल के लिये आपातकर लगाया जायगा । उसके बावजूद आज माल मंत्री गलतबयानी कर रहे हैं । इस तरह से कार्यवाही नहीं चल सकेगी ।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं यह चाहता हूं कि शान्तिमय ढंग से जो विधान है उसके हिसाब से कार्यवाही हो । आप क्लेरीफिकेशन इसका करा लीजिये । फिर डिस्कशन के लिये टाइम मांगिये तो डिस्कशन के लिये टाइम दिया जायगा ।

(व्यवधान)

आप लोग शान्त रहिये नहीं तो मुझे सदन को एडजर्न करना पड़ेगा।

(व्यवधान, शोर शोर)

मैं १५ मिनट के लिये सदन को एडजर्न करता हूं।

(इस समय २ बजकर ३९ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ५४ मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री उपाध्यक्ष—

इस मसले में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही को ठीक तरह से चलने दीजिये। आप प्रस्ताव रखिये तो उसके लिये मैं टाइम दूंगा।

*श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

नियम ११३ के अन्तर्गत आपको यह हक हासिल है कि नियमों को आप निलम्बित कर सकते हैं और नियम १०६ के अन्तर्गत जो मैंने प्रस्ताव दिया है उस पर बहस आरम्भ कराइये, क्योंकि यह मामला इतना अहम है कि कांग्रेस पार्टी के ही त्रिपाठी ग्रुप के १४२ लोगों ने लिखकर दिया है कि यह चवन्नी रुपया विदड्रा किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं उसके लिये तैयार नहीं हूं। माननीय काशीनाथ जी, आप बैठ जाइये और सदन का काम चलने दीजिये।

(व्यवधान)

*श्री शारदाभक्तसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा आपने कहा, मैं दो शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं। ऐसा विरोधी दल की ओर से कहा गया है कि माननीय माल मंत्री ने अपने पिछले भाषण में जब कि इस करभार को लगाया गया था ऐसा आश्वासन इस सदन को दिया था। उधर से कहना यह है कि ऐसा आश्वासन नहीं दिया। तो यह तो लिखा-पढ़ी की बात है, उसको बताना चाहते हैं तो जवाब दे दें ताकि हड़बोंग न हो।

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने यह कहा था कि शान्ति पूर्वक क्लैरीफिकेशन करा लीजिये और फिर डिस्कशन के लिये कोई टाइम फिक्स हो जाय, इसके लिये मैं अब भी राजी हूं लेकिन २०-२० आदमी यदि खड़े होकर अगर बोलेंगे तो मेरी भी मजबूरी है।

श्री शारदाभक्तसिंह—

उस मामले को शान्त करने के लिये हम लोग जो क्लैरीफिकेशन चाहते हैं वह मैं रख देना चाहता हूं। उसका जवाब आ जाय तो आगे कार्यवाही चले। यह जो "उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही, खन्ड २३७ अंक ४" है उसमें माननीय माल मंत्री का वक्तव्य यह है—

"बिल की बहस के दौरान में मैं यह सुनता रहा कि हमारी दिक्कतें हल होती हैं या नहीं। मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि यह बिल करेंट ईयर के लिये महज है। भानु प्रताप सिंह जी ने एश्योरेंस चाहा था। मैं उसे फिर दोहराता हूं कि यह विधेयक करेन्ट ईयर के लिये है, जब तक इमरजेन्सी है।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शारदाभक्तसिंह]

शायद माल मंत्री जी यह कहना चाहते हैं कि यह जो दूसरा क्लाज है उस पर इम्फैसिस है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि दो सेन्टेन्स पास ही पास हैं। पहले में आपने यह कहा है कि मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि यह बिल करेन्ट ईयर के लिये महज है और दूसरे में आपने यह कहा कि वह एक साल के लिये है, जब तक इमर्जेन्सी है। यानी यह एक साल के लिये है लेकिन अगर उसके पहले इमर्जेन्सी खत्म हो जाय तो साल भर भी नहीं चलेगा। अगर हम ऐसा नहीं मानते हैं तो दोनों सेन्टेन्स बिलकुल बेकार हो जाते हैं, क्योंकि पहले में आपने कहा है कि यह करेंट ईयर के लिये महज है और फिर कहा है कि मैं फिर दोहराता हूं कि यह करेंट ईयर के लिये है जब तक कि इमर्जेन्सी है। पहले में आपने बिलकुल क्लीयर कहा है और दूसरे में क्वालीफाई किया है कि महज एक साल के लिये है जब तक इमर्जेन्सी रहे। अगर न रहे तो एक साल के लिये भी नहीं रहेगा।

*श्री यादवेन्द्रदत्त—

माननीय नेता विरोधी दल ने जो बात कही है उसका बड़ा क्लीयर कट स्पष्टीकरण माननीय राजस्व मंत्री जी ने ६ दिसम्बर के भाषण में जो ३०१ पृष्ठ पर है उसे मैं पढ़े देता हूं कि "इमर्जेन्सी के लिये यह बिल लाया गया है और मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि यह मौजूदा साल जो है उसके लिये ही है," इससे ज्यादा और स्पष्ट क्या होगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

उपाध्यक्ष महोदय, टुकड़े-टुकड़े करके कोई स्पीच पढ़ने के कोई माने नहीं निकल सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

शोरगुल मचाने से कोई बात नहीं होगी।

श्री हुकुम सिंह विसेन—

हमारे जितने बयान हैं सबको साथ पढ़ा जाय। हमने कहा है कि इमर्जेन्सी वाला सबको क्वालीफाई करता है। हमने जो बयान दिया है वह भी साफ है। इस विधेयक के दो भाग हैं। पहला भाग २५ परसेंट का है और दूसरे भाग में ग्रेडेड स्केल पर लगाने की बात है। उसमें भी लीडरान के बीच में यह तय हुआ था कि जब तक ग्रेडेड स्केल की बात न आये तब तक यह जारी रहे और जब वह आ जायगा तब यह खत्म कर दिया जायगा। लेकिन उसमें कांस्टीट्यूशनल डिफीकल्टीज हैं। हमारा प्रयास जारी है और जब वह आ जायगा तो हम इसे खत्म कर देंगे और उसको लगा देंगे। जब तक नहीं आता तब तक यह जारी रहेगा।

*श्री चन्द्रजीत यादव—

मुख्य मंत्री जी सदन में मौजूद हैं और राजस्व मंत्री जी अपने बयान को उलट रहे हैं जो लिखा हुआ है, मैं मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वह बतायें कि जब संकटकालीन समय था और देश को साधनों की जरूरत थी तो एक बिल लगान बढ़ाने का आया था जिसके लिये बड़ा असंतोष, प्रदर्शन और सत्याग्रह हुआ और कहा गया कि इसको वापस लिया जाय। मंत्री जी ने कहा था कि साधन मुहैया करने के लिये अगर सबका सहयोग मिलेगा तो मैं इसको वापस लेने को तैयार हूं और वह बिल वापस लिया गया। इसके बाद सब नेताओं की मीटिंग हुई और मुख्य मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा और हमने भी रखा कि इकोनामी हो और कैपीटेलिस्टस पर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ज्यादा कर लगाया जाय और इन तमाम एश्योरेंसेज के साथ २५ परसेंट लैवी का सवाल आया। बहुत से लोगों ने उसका विरोध किया। लेकिन हमने एक साल के लगाये जाने के लिये इसका समर्थन किया था और सदन में भी किया था और आज भी दृढ़ हैं। हमने श्रीमन्, अपने वचन को पूरा किया और किसानों से जाकर कहा कि देश को साधनों की जरूरत है इसलिये एक साल के लिये आप लोग इसे दीजिये, क्योंकि राष्ट्र पर संकट है। इसके लिये अन्य साधन भी इकठ्ठा करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय चन्द्रजीत जी यादव, आप क्लैरीफिकेशन मांग लीजिये।

श्री चन्द्रजीत यादव—

इन बातों को ध्यान में रखते हुए कहा गया था कि हम साधन उपलब्ध करने में सहयोग करेंगे और हमने किसानों से तथा जनता से भी कहा। मैं जानना चाहता हूं कि आपने इस बात का आश्वासन दिया था कि एक साल के लिये लगाने दिया जाय। सदन में भी माननीय राजस्व मंत्री जी ने कहा था जिसको पढ़कर माननीय यादवेन्द्र दत्त जी ने और शारदा भक्त सिंह जी ने सुनाया। माननीय मुख्य मंत्री जी कैटेगोरिकली इस बात को बताएं। आप की मजबूरी है तो दूसरी बात है। बताएं कि यह मजबूरी है। लेकिन यह आश्वासन उन्होंने दिया था कि एक साल के बाद विड्रा करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि आप विड्रा करना चाहते हैं या नहीं, अपने आश्वासन और वचन को ध्यान में रखते हुए ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि सदन में आखिरी बार मुख्य मंत्री के रूप में इस गरमा-गरमी को देखने का मौका मिल रहा है।

अनेक सदस्य—

सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

अगर आप मुझसे सुनना नहीं चाहते हैं, तो मैं बैठ जाता हूं।

(मुख्य मंत्री ने अपना स्थान ग्रहण किया।)

एक सदस्य—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अगर आप सदन की कार्यवाही को नहीं चलने देना चाहते हैं, और शोर करना चाहते हैं, अगर आप किसी तरह से काम नहीं चलने देते हैं तो मुझे सदन को मुल्तवी करना पड़ेगा। आप बोलिए दोनों में से कौनसी बात पसन्द करते हैं।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

सुनाई नहीं दे रहा था। इसलिये मैंने कहा था। नहीं तो मैं बोलता भी नहीं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मैं कह यह रहा था कि मुझे तो इस बात से तकलीफ है कि एक ऐसा विषय जो शांति के ढंग से सोचा जा सकता है, उस पर सदन में इस प्रकार से गरमागरमी दिखायी जाय और इस

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

सदन के वातावरण को विषाक्त किया जाय। एक दफा नहीं कई दफा मैं सदन से और सदन के सदस्यों से निवेदन कर चुका हूं कि विषाक्त वातावरण बनाने से इस सदन की मर्यादा बढ़ती नहीं और इस सदन की ही मर्यादा नहीं वरन प्रदेश की मर्यादा को ठेस पहुंचती है। आज जिस विषय के ऊपर गरमागरमी दिखायी जा रही है उसके सिलसिले में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक इस सरकार का संबंध है इस सरकार ने जब-जब साधनों को इकट्ठा करने के विषय में विचार किया तब-तब इस सरकार के सामने सरकार की वह योजना थी जो इस सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना के रूप में विचार की थी और जिसकी स्वीकृति केन्द्रीय सरकार और प्लानिंग कमीशन से प्राप्त हुई, मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना ४९७ करोड़ रुपये की बनायी गयी।

श्री काशीनाथ मिश्र—

सवाल क्या है? जवाब क्या है? हम भी जानते हैं कि ४९७ करोड़ की योजना है। जो सदन के सामने प्रश्न विचाराधीन है उसका क्या जवाब है?

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मैं कह रहा था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हमने जो स्वीकृति प्रदान की वह इस बात की थी कि साढ़े तीन सौ करोड़ रुपया केन्द्र की सरकार द्वारा हमें योजना की पूर्ति के लिये दिया गया। और १४७ करोड़ रुपया प्रदेश की सरकार को स्वतः अपने साधनों से इकट्ठा करना पड़ेगा। उसमें यह तय पाया गया था कि १०९ करोड़ रुपया हम नये करों इत्यादि से इकट्ठा करके अपने साधनों को जुटाने की चेष्टा करेंगे। बराबर इन ३ वर्षों के अन्दर हमारी यह चेष्टा रही है कि हम अपने उस वचन को पूरा करें जिससे हमारा यह प्रदेश जो कि पिछड़ा हुआ है, और जिसके उत्थान के लिये इस बात की आवश्यकता है कि उसका अधिक से अधिक धन उन कार्यों की पूर्ति में लगाया जाय जिनके द्वारा प्रदेश का भला हो सकता है, प्रदेश प्रगति का मार्ग अपना सकता है और अपनी गुर्बत से ऊंचा उठ सकता है। हमने इन ३ वर्षों में विभिन्न करों द्वारा टैक्स को बढ़ाने की चेष्टा की, परन्तु हमारे लिये यह संभव न था कि हम तमाम करों को जो कर भी १०९ करोड़ रुपया, जो करों के द्वारा ५ वर्ष के अन्दर इकट्ठा करना था उसे इकट्ठा कर सकें। हमने विभिन्न प्रकार के कर लगाये, जिनका वर्णन तो मैं नहीं करूंगा लेकिन उन करों में लैन्ड रेवेन्यू पर सरचार्ज या लैन्ड रेवेन्यु को दुगना करने का प्रश्न भी हमारे सामने था। हमने केंद्रीय सरकार या आयोग को यह वचन दिया था कि १०९ करोड़ रुपया में से ५० करोड़ रुपया लगान में वृद्धि द्वारा हम इकट्ठा करना चाहते हैं परन्तु सदन के साथियों की सलाह को भी सामने रख कर, उनके सुझावों को भी सामने रखकर हमने इस प्रश्न पर भी विचार किया और उस समय विचार करके यह फैसला किया था कि हम एक ग्रेडेड टैक्स रेवेन्यू के ऊपर लगा दें जिससे करीब ९ या १० करोड़ रुपया प्रति वर्ष में मिल सके, परन्तु वैसा भी हम नहीं कर सके। क्योंकि सदस्यों की राय उसके विपरीत थी। इसके उपरान्त इमरजेंसी आयी और....

श्री काशीनाथ मिश्र—

मेरा प्वाइंट आफ क्लेरीफिकेशन है। वह यह है कि मुख्य मंत्री जी आयोग पर बातें कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठ जाइये ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

यह ४ आने वाली बात जो है वह योजना को पूरा करने के लिये नहीं लगाया गया था । वे कैसे इस कर का संबंध योजना के साथ जोड़ते हैं ? आप इसका स्पष्टीकरण कराइये ।

श्री उपाध्यक्ष---

श्री काशीनाथ मिश्र, आप बैठ जाइये ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

यदि सदन मुझ से कुछ जानकारी चाहता है तो या तो मुझे बोलने का अधिकार रहे और बीच-बीच में, अगर मैं इस प्रकार से टोका जाऊं तो जो मैं सदन के सामने बात रखना चाहता हूं उस बात के रखने में अपनी असमर्थता प्रकट करता हूं, क्योंकि मैं इस तरह से न तो आदी हूं और न इस तरह की व्यवस्था हमें चाहिये ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

यह सदन का अवमान है । माननीय उपाध्यक्ष, यह आपका और सदन का अवमान है कि उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री इस तरह से बातें करें । यह सदन की मर्यादा के खिलाफ है । आप पर आक्षेप है और इसको न होने दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष---

काशीनाथ जी, यह आपका बहुत अनुचित कार्य है । आप बैठ जाइये । आप उनकी बात को १०-५ मिनट में सुन लीजिये और उसके बाद हम दूसरे आइटम पर विचार करें ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)---

क्या आप भाषण के बाद हम लोगों को उस पर क्लेरीफिकेशन का मौका देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष---

देखिये न, मैं आपसे अर्ज करूंगा कि जनरल डिस्कशन नहीं हो सकता । जनरल डिस्कशन के लिये टाइम आप अध्यक्ष महोदय से ले लीजियेगा जो माननीय नेता विरोधी दल और माननीय नेता सदन से मिल कर तय कर देंगे । उस वक्त उस पर बहस हो जायगी । लेकिन इस वक्त जो आप जबरदस्ती बहस करना चाहते हैं वह बात ठीक नहीं है ।

*श्री कल्पनाथसिंह---

मैं यह कह रहा हूं कि वह तो बाद में होगा और उसके लिये मैंने १०६ दफा का प्रस्ताव दिया है लेकिन इस समय जो प्वाइंट है वह बिलकुल दूसरा है । मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो बात आपने अभी कही है उससे कुछ भ्रम हुआ है । माननीय काशी नाथ जी जो बार-बार मुख्य मंत्री जो को या किसी वक्ता को टोकने के लिये उठते रहते हैं उसको तो मैं ठीक नहीं मानता लेकिन यह भी उचित नहीं होगा कि मुख्य मंत्री जी के वक्तव्य के बाद स्पष्टीकरण का भी हमको मौका न मिल सके । अगर स्पष्टीकरण का मौका आप दें तो हम लोग ....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष---

यह मेरे स्वविवेक पर होगा। अगर उचित समझूंगा तो एक दो प्रश्न के लिये इजाजत दे सकता हूं। मगर इस पर घंटा डेढ़ घंटा लग चुका है। अब इस पर ज्यादा मौका नहीं मिल सकेगा।

श्री कल्पनाथसिंह---

अगर स्पष्टीकरण का मौका देना है तो....

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने काफी मौका दिया, लेकिन आप लोगों ने उसको अच्छी तरह से अवेल नहीं किया। केवल इसी एक आइटम पर काफी समय लग चुका है। प्रश्न का मौका देना यह मेरे स्वविवेक पर रहेगा।

श्री काशीनाथ मिश्र---

यह आपके ऊपर भी रहेगा और सारे सदन के ऊपर भी रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठ जाइये।

श्री कल्पनाथसिंह---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस वक्त यह प्रश्न १५ मिनट के लिये स्थगित कर दिया जाय और नेता विरोधी दल और नेता सदन मिल कर १५ मिनट के बाद जिस भी राय पर आ जायेंगे वैसी ही बहस इस सदन में शुरू की जायगी।

श्री उपाध्यक्ष---

नहीं, मैं इस वक्त यह प्रस्ताव नहीं ले सकता। इस वक्त माननीय मुख्य मंत्री जी का वक्तव्य हो जाय। उसको आप सुन लीजिये। उसके बाद अगर एक दो कोई सवाल आप करेंगे और मेरे स्वविवेक से यह ठीक होगा तो मैं उसकी इजाजत दे दूंगा।

श्री काशीनाथ मिश्र---

हमारा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठ जाइये।

श्री काशीनाथ मिश्र---

आप हमारी बात तो सुन लीजिये व्यवस्था के प्रश्न पर कि अभी जब मुख्य मंत्री का बयान हो रहा था और हमने बीच में क्लैरीफिकेशन का नोटिस दिया तो मुख्य मंत्री ने कहा कि अगर उनके बोलने में व्यवधान होगा तो वे बयान नहीं देंगे तो क्या यह सदन का अवमान नहीं है?

श्री उपाध्यक्ष---

जैसा इन्टरप्रिटेशन आप करते हैं वह ठीक नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र---

मुख्य मंत्री ने सदन का अवमान किया है इस पर आप अपनी व्यवस्था दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---

देखिये आप बैठ जाइये । आप इस वक्त बैठ जाइये । मैं हुक्म दे रहा हूं ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

हम तो बैठ ही रहे हैं, लेकिन आप खुद नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के समक्ष यह बात कह रहा था कि योजना की पूर्ति के लिये हमने विभिन्न करों के द्वारा साधनों को इकट्ठा करने का प्रयास किया और उन साधनों को इकट्ठा करने में यह जो २५ प्रतिशत लैंड रेवेन्यू के ऊपर लैवी का प्रश्न है वह भी उसी समय उठा और खास तौर से उस समय उठा जब हमारे बीच में इमर्जेन्सी आई । साधनों के इकट्ठा करने के विषय में विभिन्न दलों के नेताओं से परामर्श हुआ । जो हमने पहले विधेयक सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया था उसके लिये नेताओं ने कहा कि वह पेश न किया जाय और विचार-विनिमय के बाद यह दूसरा विधेयक जो २५ प्रतिशत सरचार्ज लगाने का था वह सदन में प्रस्तुत हुआ । नेताओं ने अपनी स्वीकृति उस विधेयक को दी थी, परन्तु हमारा दुर्भाग्य रहा कि कुछ नेताओं ने जिन्होंने अपनी स्वीकृति दी थी सदन में उन्होंने उसका समर्थन नहीं किया और कुछ को जो समर्थन करना चाहिये था वह भी नहीं किया ।

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र---

सोशलिस्ट पार्टी ने स्वीकृति नहीं दी थी । मैं इसका स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठिये, क्यों आप बार-बार टोकते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

कुछ ने किन्हीं कारणों से सदन में जब यह विधेयक विचारार्थ प्रस्तुत हुआ था उन तमाम बातों को कहना पसन्द नहीं किया । बहरहाल, मैं उन तमाम बातों में इस समय नहीं जाना चाहता । जब हमने २५ प्रतिशत सरचार्ज लगाने के प्रश्न पर विचार किया था तो हमने यह अनुमान लगाया था कि आने वाले तीन वर्षों में इस सरचार्ज के द्वारा करीब १७ करोड़ रुपया हम इकट्ठा करेंगे । इस १७ करोड़ को मिलाकर इन पांच वर्षों के अन्दर जहां १०९ करोड़ रुपया इकट्ठा करने का हमने वचन किया था वहां अनुमान लगा कि शायद ७५ या ७६ करोड़ रुपया ही हम इकट्ठा कर सकेंगे और हमारी यह चेष्टा थी कि हम प्लानिंग कमीशन के समक्ष जायं और उनसे निवेदन करें कि जहां तक उत्तर प्रदेश की सरकार का और उत्तर प्रदेश की विधान सभा का सम्बन्ध है वह अधिक से अधिक अपने पैरों पर खड़े होने की नीति को अपनाते हुए, प्रदेश में टैक्स लगाने की चेष्टा कर रही है और यदि १०९ करोड़ तक हम टैक्स लगाकर, रिसोर्सेज इकट्ठा नहीं कर पा रहे तो प्लानिंग कमीशन हमारी उस कमी को स्वतः पूरी करे । हम इसलिये इस सब को करना चाहते थे कि प्लानिंग कमीशन की तरफ से और केन्द्र की सरकार की तरफ से हमारे बारे में यह शिकायत न हो कि उत्तर प्रदेश के निवासी अन्य प्रदेशों की भांति उतनी मात्रा में भी पर कैपिटा टैक्स देने को तैयार नहीं हैं जितनी मात्रा में हमारे से भी अधिक गरीब प्रदेश देश में पर कैपिटा टैक्स देने के लिये तैयार हैं । हमारे बारे में यह शिकायत है कि हम उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा टैक्स उतना नहीं लगाते जितना कि देश में और प्रदेश लगा रहे हैं । इसी ....

(व्यवधान, घोर शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

शांति, शांति । आप शोर मचायेंगे तो कौन बोल सकता है? आप शोर न मचायें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

इसी नीति के अन्तर्गत हमने यह फैसला किया नेताओं से सलाह करके कि हम इस विधेयक को सदन में स्वीकार करायें और हम अनुगृहीत हैं इस सदन के कि इस सदन ने उस विधेयक को स्वीकार किया। इसी विधेयक को स्वीकार करके तो हमने जब इमर्जेन्सी आयी तो जितना बजट हमारा पहले १९६२-६३ का था उसके अन्तर्गत वृद्धि की और इसी आमदनी को सामने रखकर हमने जब १९६३-६४ का बजट पास किया तो उसमें साढ़े ११ करोड़ रुपये से अधिक रुपया उन तमाम खर्चों के लिये निकाला जो नये खर्चे इमर्जेन्सी के कारण हमारे बीच में पैदा हुए थे। हमने साफ जाहिर कर दिया था कि यह विधेयक जब ऐक्ट बनेगा तो इमर्जेन्सी तक रहेगा। इमर्जेन्सी के बीच में यदि कोई और नये ढंग से साधनों के इकट्ठा करने के प्रयास में हमें सफलता मिलेगी, तो हम इस कानून को बदल देंगे और दूसरा कानून जिससे कि हम अधिक साधन इकट्ठा कर सकेंगे, उसे चालू करने की चेष्टा करेंगे। इसमें दो पार्ट थे जैसा कि मैंने बताया—पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। पहला पार्ट चालू किया। दूसरे पार्ट को चालू करने में हमें कानूनी अड़चन पड़ी, इसलिये दूसरे पार्ट को लगाने के प्रश्न के ऊपर अधिक हमारा विचार आगे नहीं बढ़ सका। यह बात सही नहीं है कि हमने इसको जिस साल हमने इसको लागू किया था, उसी साल तक लागू रखने का निर्णय लिया था.....

(शोर—यह झूठ है)

हमारा निर्णय उन साधनों को बनाने का था जिन साधनों का बनाना हमारे लिये अनिवार्य तथा नितान्त आवश्यकीय था और कोई ऐसा निर्णय हम नहीं ले सकते थे और इसलिये यह सरकार अपनी उन नीतियों को जो प्लान के अन्तर्गत उसे अपनानी हैं और चालू रखनी हैं महज लोगों के सेन्टीमेन्टलीटी में आकर या राजनीतिक किसी प्रश्न को सामने रखकर बदल नहीं सकती। यह इस सरकार ने जानबूझकर, समझबूझकर, उन तमाम उद्देश्यों की पूर्ति के लिये जो उद्देश्य उसे प्लान के अन्तर्गत पूरे करने हैं, और जिनके पूरा करने से इस प्रदेश का भला हो सकता है, इस प्रदेश के किसानों का भला हो सकता है, गरीबों का भला हो सकता है, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उसने जो निर्णय लिये हैं उन निर्णयों को पूरा करने के लिये आगे चलना चाहती है और न तो यह बात उसने कही जिसकी कि बड़ी चर्चा की जाती है कि वह जो टैक्स है वह करेंट ईयर तक ही लगेगा। कुछ का निर्णय था कि इमर्जेन्सी तक सरचार्ज रहेगा और आज भी उसी निर्णय पर काम करना चाहते हैं। वे राजनैतिक दल रोजमर्रा की परिस्थितियों को देखकर अपने प्रभुत्व को जमाने के लिये अपनी बातें बदलते रहें तो यह दुख की बात है, यह शर्म की बात है।

(व्यवधान)

तो मैं यह समझता हूं कि आज कुछ राजनैतिक दल ऐसे हैं जो रोज अपनी नीति और बातों को बदलते हैं। ऐसे राजनैतिक दल मैं समझता हूं न तो प्लान के समर्थक हैं, न समाजवाद के समर्थक हैं और वे समाजवाद के विरोधी हैं।

(व्यवधान—शोर)

(राजस्व मंत्री को बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर वक्तव्य देने के लिये बुलाने पर,.....)

श्री कल्पनाथसिंह—

.... आपने वादा किया था कि आप क्लैरिफिकेशन का मौका देंगे। तो वह मौका दें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

इन बातों पर नेता विरोधीदल माननीय नेता सदन से मिलकर बात करके तय करेंगे।

(शोर)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्लैरिफिकेशन का आपको मौका देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

बहुत टाइम दिया गया, आपने उसको अवेल नहीं किया।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अगर सरकार ने इसके लिये एक वर्ष का वादा किया था था....

श्री उपाध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(शोर के बीच)

श्री रामचन्द्र विकल—

आप कृपा कर मेरी पूरी बात तो सुन लीजिये। बिना सुने ही आप कहते हैं कि व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

यहां पर जो कार्यवाही होती है वह नियम के अनुसार ही होती है। उनका वक्तव्य हो गया अब उस पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

श्रीरामचन्द्र विकल—

आप मेरी पूरी बात तो सुन लें। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अगर सरकार ने इसके लिये एक वर्ष का वादा नहीं किया था तो आज इस स्टेटमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है?

(शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

मैं प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर....

(व्यवधान—घोर शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

अगर आप सदन को चलने नहीं देना चाहते हैं तो यह आपके ऊपर होगा।

(शोर—एक साथ अनेक सदस्यों के एक साथ खड़े होने तथा बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये, इस तरह से हाउस नहीं चल सकता है।

श्री कल्पनाथसिंह—

क्लैरिफिकेशन हम चाहते हैं। (शोर होते रहने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये, इस तरह से यहां की कार्यवाही नहीं चल सकती है। अगर आप लोग सदन की कार्यवाही नहीं चलने देना चाहते हैं तो मैं सदन को साइने डाई (Sine die) स्थगित करता हूं।

(इसके बाद सदन ३ बज कर २६ मिनट पर अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ:
२७ सितम्बर, १९६३।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५५६ पर)

गोरखपुर में राप्ती नदी पर पुल निर्माण के सम्बन्ध में १ अप्रैल, १९६२ से १५ फरवरी, १९६३ तक किये गये खर्च का मद के अनुसार विवरण :

कार्य अथवा मद	खर्च रुपयों में
१—पुल के ऊपर के भाग पर व्यय (Super-structure).	३३,८१०.४६
२—सेंन्टेज चार्जेज किये गये कार्यों के व्यय पर ७ १/२ प्रतिशत अतिरिक्त व्यय जो केंद्रीय सरकार के खर्च में वसूल पड़ी (Centage Charges).	११,९५०.६३
३—टैस्टिंग और ट्रायल बोरिंग मिस्लेनियस (Testing and Trial boring Miscellaneous).	२८,२८३.०४
४—बियरिंग (Bearing).	३,७७३.००
५—पुल के किनारे की दीवारों का निर्माण (Wing Walls).	८२,९१२.००
६—वर्कचार्ज स्टाफ के लोगों का मासिक वेतन संयंत्रों में व्यय तथा प्रासंगिक व्यय (Work charged staff and Tools and Plants Contingencies).	१८,७१३.३५
७—पुल के टूटे भाग का निरीक्षण तथा उसको पानी से निकालना (Inspection and Salvaging of Collapsed span M-2). ..	१४,७४८.०८
८—सामान जो मौके पर इकट्ठा किया गया (Material at Site Account).	२७,१६०.५१
९—अन्य व्यय (Other transactions).	३४,१६६.६४
कुल योग ..	२,५५,५९७.७१

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६१ पर)

नक्शा नं०

दुकानों की संख्या व उनसे प्राप्त लाइसेंस फीस

१९६२-६३ नाम जिला	विसम्बर, १९६२ से मार्च, १९६३ तक					
	संख्या दुकान शराब	लाइसेंस फीस	संख्या दुकान भांग	लाइसेंस फीस	संख्या दुकान ताड़ी	लाइसेंस फीस
१—कानपुर	८१	११,११,८००	६७	१,३७,६००	२२	३,२७,२५०
२—फर्रुखाबाद	४४	१,४९,९९०	४४	१३,३१०	६७	७१,५५०
३—एटा	२७	७१,२००	२४	५,५२०	१२	८,१००
४—बदायूं	३७	९७,५७५	३५	४,०००	२	२०,७००
५—मैनपुरी	३४	८५,९००	३०	१२,४००	३७	२५,९२०
६—उन्नाव	६७	१,१६,१००	६३	२९,९५०	३७	९५,२५०
७—रायबरेली	६९	६७,१२५	६९	२३,१५०	३	१०,६५०
८—सुल्तानपुर	५०	४०,६७५	४७	८,८५०	७	५,३५०
९—प्रतापगढ़	५४	४६,५५०	५४	१४,२८०	३	१,६००
१०—फतेहपुर	३६	७५,५००	३८	१८,६३५	१	३,०००
११—जौनपुर	५४	१,५३,०५०	५४	३१,५००	१४	५०,६५०
१२—हरद्वार	१	४२,०००	३	३,५५०	..	..
१३—वृन्दाबन	१	६,५००	२	२,७००	..	..
१४—ऋषिकेश	..	कोई दुकान नहीं				
योग ..	५५५	२०,६३,९६५	५२९	२,९५,४४५	२०५	६,१८,९१०

(१) कुल लाइसेंस फीस	.. ..	२९,७८,३८०
(२) उक्त शराब व भांग की दुकानों द्वारा बेची गई शराब व भांग से प्राप्त ड्यूटी (कर) की रकम (अनुमानित) दिसम्बर से मार्च ३१, १९६३ तक	.. ..	२९,३८,७९९
	कुल आय ..	५९,१७,१७९

उपरोक्त जिलों में नियुक्त कर्मचारियों पर व्यय (दिसम्बर से मार्च, ६३ तक) जिसमें कर्मचारियों पर वेतन और भत्ते के खर्च की रकम शामिल है ५८,५६९

नक्शा नं० २

दुकानों की संख्या व उनसे प्राप्त लाइसेंस फीस और अनुमानित ड्यूटी

१९६३–६४ वर्ष के लिये

नाम जिला	संख्या दुकान शराब	लाइसेंस फीस	अनुमानित ड्यूटी	संख्या दुकान भांग	लाइसेंस फीस	अनुमानित ड्यूटी
१—कानपुर ..	८१	२८,१६,०००	३०,८१,८७६	६७	४,७०,२५०	१,०६,२२१
२—फर्रुखाबाद..	४४	५,३६,४७५	१०,७८,३१७	४४	४०,२००	६१,०१७
३—एटा ..	२७	२,२०,४००	२,१३,६००	२४	२६,५५०	२३,३५२
४—बदायूं ..	३७	२,९३,८००	४,५२,५१४	३५	१४,३००	८,२५६
५—मैनपुरी ..	३४	२,९१,०००	३,२१,५१६	३०	४३,४५०	२०,७७२
६—उन्नाव ..	६७	४,०७,४५०	४,०२,०३६	६३	७८,६५०	६६,२९४
७—रायबरेली..	६९	२,१०,१००	३,७९,४३७	६९	५६,८२०	४३,३२०
८—सुल्तानपुर..	५०	२,२१,४६५	२,९६,५०५	४७	३२,०१०	१३,५०९
९—प्रतापगढ़ ..	५४	१,७४,६४०	३,२८,०८७	५४	३२,०३२	४५,४९८
१०—फतेहपुर ..	३६	३,२९,०००	२,१९,६३६	३८	५४,९००	३६,२९७
११—जौनपुर ..	५४	५,१८,८००	५,३१,४०२	५४	१,२०,४५०	२१,८७९
योग ..	५५३	५९,१९,१३०	७२,०४,९२६	५२४	९,६९,६१२	४,४६,४१५

	रु०
शराब से कुल प्राप्ति	१,३१,२४,०५६
भांग से कुल प्राप्ति	१४,१६,०२७
शराब व भांग से प्राप्ति	१,३५,४०,०८३

नोट—१—हरद्वार, वृन्दाबन व ऋषीकेश के तीर्थ स्थलों के पुनः १ अप्रैल,१९६३ से शुष्क हो जाने के कारण दुकानों की संख्या में अन्तर आ गया है।

२—इस वर्ष १९६३–६४ के व्यय का ब्योरा अभी उपलब्ध नहीं है।

नत्थी 'ब'

(देखिये तारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६४ पर)

राजकीय आदर्श विद्यालय, आजमगढ़ के अध्यापकों का विवरण

क्रम-सं०	अध्यापक का नाम पद	कितने दिनों से आजमगढ़ में कार्य कर रहे हैं	प्रथम नियुक्ति की तिथि	स्थायी/अस्थायी
१	श्री मु० वसीउल्लाह, हे० टीचर	१४-११-५७	५-९-४२	प्रधान अध्यापक के स्थान पर अस्थाई।
२	श्री अख्तर हुसेन, सहायक अध्यापक	१-६-५०	२१-१२-४६	स्थायी
३	श्री माताभीख दुबे	,, १९-१-४८	१९-१-४८	,,
४	श्री मकबूल हुसेन	,, १७-८-६२	११-९-४७	,,
५	श्री दशरथ मिश्रा	,, २७-७-६०	३-५-४८	,,
६	श्री मुश्ताक अहमद	,, २३-११-५०	२३-११-५०	,,
७	श्री जलालुद्दीन	,, २०-१२-५५	१-९-५३	,,
८	श्री मु० अहमद इस्लाम	,, ३-८-५९	३-८-५९	,,
९	श्री काली प्रसाद सिन्हा	,, २७-१-५६	२७-१-५६	अस्थायी
१०	श्री गया प्रसाद पांडेय	,, १८-७-६३	१८-७-६३	अस्थायी

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६६ पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र १९६३ के पहले शुक्रवार की बैठक के लिये निर्धारित श्री शिवनाथसिंह जी द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २६ से संबंधित तालिका

चकबन्दी कर्त्ताओं के नाम जो सहायक चकबन्दी अधिकारी के पदों पर पदोन्नत किये गये।

१—श्री अख्तर अली
२—श्री जफर हुसेन
३—श्री बी० डी० श्रीवास्तव
४—श्री श्याम बाबू
५—श्री बी० एल० सिंघल
६—श्री अतर सिंह
७—श्री एस० सी० सविता

सहायक चकबन्दी अधिकारियों के नाम जो चकबन्दी अधिकारी के पदों पर पदोन्नत किये गये

१—श्री बिन्दा प्रसाद
२—श्री एच० एम० श्रीवास्तव
३—श्री डी० एस० द्विवेदी

नोट—किसी भी चकबन्दी अधिकारी को बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २९ और ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६७ पर)

सूची—क

प्रथम विकास खंड पिपरौली

क्रम-संख्या	सामान का नाम	AGREEMENT NO. पी० डब्लू० ए० या वर्क आर्डर नं०	तादाद	दर मौके पर	कुल मूल्य मौके पर	कुल भुगतान
१	२	३	४	५	६	७
			इंटा	प्रतिहजार	रु० न० पै०	रु० न० पै०
१	प्रथम ईंटा ..	पी० डब्लू० ए० नं० २९ ए० ई०–२ दि० १५–११–६१	१३,९४८	३८–७२	५३८–२०	
		पी० डब्लू० डी० नं० ५८ ए० ई०-२ दि०२०–२–६२	२०,०००	५०–९१	१०१९.२०	३५४२.४०
	„ ..	नं० १५ ए० ई०–२ दि० ६–७–६२	३९,०००	५०–९१	१९८५.००	..
२	दोयम ईंटा ..	पी० डब्लू० डी० नं० २२ ए० ई०–२ दि० २१-१०-६१	४६,०००	३६–६०	१६९३.६०	..
	„ ..	पी० डब्लू० डी० नं० २९ ए० ई०–२ दि० २५–११–६१	५४,०३०	३६–६०	१९७६.४०	..
	„ ..	पी० डब्लू० डी० नं० ४८ ए० ई०–२ दि० १८–२–६२	४०,०००	४६–६७	१८६६.८०	..
	„ ..	पी० डब्लू० डी० नं० १ ए० ई०–२ दि० १७–४–६२	४०,०००	४६–६७	१८६६.८०	..

	"	..	पी० डब्लू० डी० नं० १४ ए० ई०–२ दि० ७–६२	४२,०००	४६–६७	१९६०.१४	..
	"	..	पी० डब्लू० डी० नं० ३२ ए० ई०–२ दि० १७–२–६२	४२,०००	४६–६७	१९६०.१४	१७,२०४.३०
	"	..	पी० डब्लू० डी० नं० ३४ ए० ई०–२ दि० १७–१०–६२	४२,०००	४६–६७	१९६०.१४	..
	"	..	पी० डब्लू० डी० नं० ३६ ए० ई०–२ दि० १८–१०–६२	४२,०००	४६–६७	१९६०.१४	..
	"	..	पी० डब्लू० डी० नं० ३८ ए० ई०–२ दि० १९–१०–६२	४२,०००	४६–६७	१९६०.१४	..
३	मोटा आलू	..	आर्डर नं० कैम्प १ दि० १६–१२–६१	१०० फुट	९०–००	९०.००	१३५०.००
	"	..	श्री गुप्ता ओवरसियर	१४०० फुट	९०–००	१२६०.००	
					प्रतिशत		
४	साल बल्ली व फर्रा	..	पी० डब्लू० डी० ए० नं० ९ ए० ई०–२ दि० ४–७–६२	५ बल्ली–४७३ ४ बल्ली २७९४ फर्रा १२५ मन	३५–३१ २४–६१ ४–२५	१३०७.००	१३०७.००
५	चूना	..	आर्डर नं० १७७२/एमजी दि० २९–१२–६२ द्वारा ए० ई०	१०० मन	६–७५	६७५.००	..
	"	..	पी० डब्लू० डी० नं० ६५ ए० ई०-२ दि० ८–२–६३	३०० मन	६–७५	२०२५.००	२७००.००
		..					..
(२) प्रथम विकास खण्ड—बेलघाट							
१	प्रथम ईंटा	..	आर्डर नं० कैम्प (७) एमजी ए० ई० दि० ११–३–६२	१,००,०००	६४–२० ६ प्रतिशत बिक्रीकर मूल्य पर	६४२०.०० १९४–४० १९४–४०	१२,६२३.२८

१	२		३	४	५	६	७
२	प्रथम ईंटा	..	आर्डर नं० कैम्प (७) एमजी० ए० ई० २, दि० ११-३-६२	२२,०००	६१-२० प्र०ह० ६ प्रतिशत S.T	१३४६-४० ४५-१५	
३	,,	..	पी० डब्लू० ए० नं० २८/ए० ई० २- दि० १७-१०-६२	३८,०००	६१-२० ६ प्रतिशत S.T	२३२५-६० ७७-९८	
	,,	..	पी० डब्लू० ए० नं० ५६/ए० ई० २- दि० १८-१२-६२	३५,०००	६३-२५	२२१३-७५	..
२	बोयम ईंटा	..	पी० डब्लू० ए० नं० २८/ए० ई० २- दि० १७-१०-६२	१८,२००	५८-७० ६ प्रतिशत S.T	१०६८-३४ ३४-६२	११०२.९६
३	स्थानीय बालू	..	पी०डब्लू० डी० नं० १७/ए०ई० २- दि० ३-९-६१	९९३२घ० फुट	१५-०० प्रतिशत	१४८९-१०	१४८९.१००
४	मोटा बालू १	..	सी० बी० नं० ए० ई० २ दि०२६-२-६२	४७२० घ० फुट	१३१-०० प्रतिशत	६२०६-८०	६२०६.८०
५	चूना कली	..	आर्डर नं० १६९६/७ एमजी० दि० १७-१२-६२ द्वारा ए० ई०	१०० मन	६-५०+ ८७-२०दुलाई	६५०-०० ८७-२०	७३७.२०
६	पत्थर गारू	..	आर्डर नं०१ (कैम्प) ७ एम० जी० ए० ई० दि० १०-३-६२	५० मन	४-२५+ ४३-६०+ दुलाई २ प्रतिशत S.T	२१२-५० ४३-६० ४-२५	२६०.३५

(३) विकास खण्ड—बड़हल गंज—

१	ईंटा बोयम	..	पी०डब्लू० ए० नं० १६/ए० ई० ३ दि० ४-१०-६२	५९,०००	३६-२०	२१३५-८०	बिल का भुगतान कर दिया गया है केवल १० फीसदी कटौती वापिस करना ही बाकी है
	,,	..	पी० डब्लू० ए० १७/ए० ई० ३	६०,०००	३६-२०	२१७२-००	

सूची—ख

(१) प्रथम विकास खण्ड—पिपरौली

क्रम-संख्या	ठेकेदार का नाम	तादाद ईंटा लिया गया	कितना कोयला दिया गया	किस दर से कोयला दिया गया	किस दर से कोयला का दाम लिया गया	ओवरसियर का नाम जिनके द्वारा बिल बनाया गया	अधिकारी का नाम जिनके द्वारा बिल पास किया गया
१	२	३	४	५	६	७	८
१	श्री राम बहाल सिंह	१३९४८ प्रथम ईंटा तथा ५४०३० द्वितीय ईंटा।	इंटा लेने के हेतु किसी को भी कोयला नहीं दिया गया			श्री रमाशंकर लाल शर्मा	श्री एस० पी० सक्सेना
२	श्री बनई राम	२०००० प्रथम ईंटा तथा ४६००० द्वितीय ईंटा।				”	”
३	श्री बूच नाथ सिंह	३९०००प्रथम ईंटा तथा ४२००० द्वितीय ईंटा।					
४	श्री अनुरुद्ध सिंह ..	४००००द्वितीय ईंटा					
५	श्री सत्यनारायण सिंह	८२०००द्वितीय ईंटा					
६	श्री राम सुभग सिंह	८४,०००द्वितीय ईंटा					
७	श्री राधेश्याम	८२,०००द्वितीय ईंटा					

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(२) प्रथम विकास खंड—बेघघाट

१	२	३	४	५	६	७	८
१	श्री विश्वनाथ	१००००० प्रथम श्रेणी	२२ टन	२२ टन प्रति लाख	४० प्र० MT.	श्री रईस अहमद	श्री एस० पी० सक्सेना
२	श्री राम नरेश त्रिपाठी	२२००० प्रथम	४–८४ टन	"	४० प्र० MT.	"	"
		३८००० प्रथम	११–४० टन	३० टन प्रति लाख	४३ प्र० MT.	श्री रवींद्र राय	"
३	श्री मु० सुएब	३५००० प्रथम	१०–५० टन	३० टन प्रति लाख	४३ प्र० MT.	"	"
४	श्री रामनरेश त्रिपाठी	१८२०० द्वितीय	४–०० टन	२२ टन प्रति लाख	४३ प्र० MT.	"	"

(३) विकास खंड—बड़हल गंज

१	श्री मोती चन्द्र	५९०००	१४–७५ टन	२५ टन प्रति लाख	४३ प्र० MT.	श्री राधे श्याम	"
२	श्री रघुपति सिंह	६००००	१५–०० टन	२२ टन प्रति लाख	४३ प्र० MT.	"	"

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६८ पर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा के दूसरे सत्र १९६३ के पहले शुक्रवार के लिये निर्धारित श्री शिवनाथसिंह द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या ३७ से सम्बन्धित तालिका

क्र० सं	कर्मचारियों के नाम जिनके विरुद्ध शिकायत की गई	शिकायत करने वाले का नाम तथा शिकायत का विवरण	कार्यवाही
१	२	३	४

(२) सरकार को प्राप्त प्रार्थना-पत्र

१	श्री पी० एन० पाराशर, सहायक चकबन्दी अधिकारी	श्री राम अवतार पांडे, भ्रष्टाचार	प्रार्थना-पत्र चकबन्दी आयुक्त को उचित कार्यवाही के लिये भेजा गया। जांच करने पर शिकायतें निराधार पाई गईं।
२	चकबन्दी अधिकारी, (नाम अविदित)	श्री सीताराम, दुर्व्यवहार	चकबन्दी आयुक्त को उचित कार्यवाही के लिये भेजा गया।
३	सहायक चकबन्दी अधिकारी, गडरी गंगादीन श्री बनवारीलाल, चकबन्दी-कर्ता	श्री बाबू सिंह यादव दुर्व्यवहार	प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि बन्दोबस्त अधिकारी को भी भेजी गई थी अतः सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की।
४	श्री एस० के० डी० माथुर, बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी।	श्री ओंकार नाथ आदि भ्रष्टाचार	चकबन्दी आयुक्त को निस्तारण के लिये प्रेषित किया गया।
५	श्री एम० जेड० हसन, चकबन्दी अधिकारी, वरीपाल	श्री शिवनाथ सिंह, सदस्य विधान सभा, दुर्व्यवहार	चकबन्दी आयुक्त को प्रसूचना भेजने के लिये कहा गया था जो कि प्राप्त हो गई है। उस पर सरकार विचार कर रही है।
६	श्री विन्दा प्रसाद, स्थानापन्न चकबन्दी अधिकारी, बरईगढ़। श्री शिवचरन लाल, स्थानापन्न सहायक चकबन्दी अधिकारी तथा श्री गुलाब-शंकर, लेखपाल, बरई गढ़।	श्री शिवनाथ सिंह, सदस्य विधान सभा भ्रष्टाचार	तदैव

क्र० सं०	कर्मचारियों के नाम जिनके विरुद्ध शिकायत की गई	शिकायत करने वाले का नाम तथा शिकायत का विवरण	कार्यवाही
१	२	३	४
७	श्री यू० एन० मिश्र, सहायक चकबन्दी अधिकारी, भदरस।	श्री दयाल सिंह, भ्रष्टाचार	उनकी चरित्र-पुस्तिका में प्रतिकूल प्रविष्टि कर दी गई तथा उनका स्थानान्तरण भी कर दिया गया।
८	श्री राम नाथ, सहायक चकबन्दी अधिकारी, कुंवरपुर।	श्री शिवनाथ सिंह, सदस्य विधान सभा भ्राष्टाचार	इसकी प्रतिलिपि प्रार्थी ने स्वयं ही चकबन्दी आयुक्त को प्रेषित की थी अतः उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(२) उच्च विभागीय अधिकारियों को प्राप्त प्रार्थना-पत्र

१	श्री पी० एन० पाराशर, सहायक चकबन्दी अधिकारी	(१) श्री शिवमंगलसिंह आदि ग्राम परौली निवादा, भ्रष्टाचार (२) श्री राम अवतार पांडे, ग्राम परौली, निवादा, भ्रष्टाचार	शिकायतें जांच कराने पर निराधार पाई गईं।
२	श्री बिन्दा प्रसाद, सहायक चकबन्दी अधिकारी	१—श्री सत्य नारायण पांडेय आदि ग्राम असेनिया, भ्रष्टाचार	शिकायत जांच कराने पर निराधार पाई गई।
		२—श्री गया प्रसाद आदि ग्राम, शाहपुर,	,,
		३— तदैव	,,
		४—श्री भगवान एवं श्री धुनई ग्राम असैनिया	,,
		५—श्रीमती कौशिल्या ग्राम असैनिया	,,
		६—श्री मनैया आदि ग्राम बहरापारा कलां	,,
		७—श्रीमती बिटोली, ग्राम असेनिया	,,
३	श्री एम० के० अंसारी, सहायक चकबन्दी अधिकारी	श्री मथुरा प्रसाद, ग्राम सतरौली, भ्राष्टाचार	,,

क्र० सं	कर्मचारियों के नाम जिनके विरुद्ध शिकायत की गई	शिकायत करने वाले का नाम तथा शिकायत का विवरण	कार्यवाही
१	२	३	४
४	श्री कृष्ण कुमार त्रिपाठी, चकबन्दी कर्ता	श्री राज सिंह पुत्र पुत्तन-सिंह, ग्राम राजेपुर, भ्रष्टाचार	शिकायत जांच करने पर निराधार पाई गई।
५	श्री आर० एन० तिवारी, सहायक चकबन्दी अधिकारी	१—कृषकगण ग्राम बलहापार, भ्रष्टाचार	,,
		२—श्री राम गुलाम ग्राम विरहिनपुर, भ्रष्टाचार	इनकी जांच हो रही है। श्री तिवारी, सहायक चकबन्दी अधिकारी का
		३—श्री देवी प्रसाद, ग्राम कुंवरपुर, भ्रष्टाचार	जिले से स्थानान्तरण मई, १९६३ में किया जा चुका है।
६	श्री एन० पी० वर्मा, सहायक चकबन्दी अधिकारी	श्री जय करन नाथ ग्राम पतारा, भ्रष्टाचार	जांच करने पर आरोप निराधार पाये गये।
७	श्री शिव चरन सविता, चकबन्दी कर्ता	श्री धनी राम यादव ग्राम रातेपुर, भ्रष्टाचर	,,
		श्री गोझी लाल, ग्राम रातेपुर, भ्रष्टाचार	,,
		श्री भगवान दीन, ग्राम रातेपुर, भ्रष्टाचार	,,
८	श्री गुलाब शंकर, लेखपाल	श्री मतोला, ग्राम रातेपुर भ्रष्टाचार	,,
९	श्री अतार सिंह चकबन्दी कर्ता	श्री लेउका, ग्राम धरछुआ भ्रष्टाचार	,,
	श्री राम अधार, लेखपाल		
१०	श्री बिन्दा प्रसाद, सहायक चकबन्दी अधिकारी	श्री रघुनाथ सिंह रातेपुर, दुर्व्यवहार	जांच करने पर शिकायतें निराधार पाई गईं।
११	श्री एम० जेड० हसन, चकबन्दी अधिकारी	कृषकगण ग्राम गुकेला, दुर्व्यवहार	चकबन्दी आयुक्त से प्रासूचना प्राप्त हो गई है जो कि शासन के विचाराधीन है।

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६९ पर)

नाम चकबन्दी कर्त्ता	कार्यवाही का विवरण
१	२
१—श्री घमंडी राम चौबे ..	रिश्वत खोरी साबित नहीं हो सकी । आचरण ठीक न होने की वजह से स्थानान्तरण किया गया ।
२—श्री लक्ष्मी चन्द्र शर्मा ..	शिकायत झूठी पायी गयी ।
३—श्री कृपा शंकर श्रीवास्तव ..	शिकायत सही नहीं पायी गयी । आचरण में भी कोई खराबी नहीं पायी गई । इस कारण कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।
४—श्री रमेश चन्द्र चतुर्वेदी ..	पहली बार शिकायत होने पर ताड़ना दी गई । बाद में पुनः शिकायत होने पर नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया ।
५—श्री श्रीराम	शिकायत गलत पाई गई ।
६—श्री वीरेन्द्र कुमार ..	शिकायत सही पायी गई । रिश्वतखोरी तथा भ्रष्टाचार के कारण नौकरी से अलहदा किया गया ।
७—श्री हरीशचन्द्र मित्तल ..	रिश्वतखोरी की शिकायत सही पाये जाने के कारण नौकरी से पृथक किया गया ।
८—श्री यतीश चन्द्र चतुर्वेदी ..	नौकरी के अयोग्य होने के कारण नौकरी से पृथक किया गया । इस चकबन्दी कर्त्ता की दिमागी हालत नौकरी करने लायक नहीं पायी गई ।
९—श्री सत्यदेव गौतम, गिरदावर कानूनगो चकबन्दी कर्त्ता ।	मुअत्तल किया गया । विभागीय कार्यवाही जारी है । उनके आचरण भ्रष्ट होने तथा काम में दिलचस्पी न लेने की शिकायत थी ।
१०—श्री सुरेश चन्द्र सक्सेना ..	आचरण खराब होने के सन्देह के कारण स्थानान्तरण किया गया ।

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५७० पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र (१९६३) के प्रथम शुक्रवार के लिए निर्धारित श्री विजयसिंह द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या ४६ के उत्तर में उल्लिखित जिलेवार सूची ।

क्रम-सं०	जिले का नाम	कितने रुपये की बेसिक की पुस्तकें मंगवाई गईं		उनका क्या उपयोग हुआ
		१९६०-६१	१९६१-६२	
		रु०	रु०	
१	देहरादून ..	५,९९४.२९	४,८१६.४३	स्कूलों को वितरित की गईं
२	सहारनपुर ..	१३,६३१.४६	१२,८३८.१२	,,
३	बुलन्दशहर ..	१०,२३९.६२	१३,१८०.२०	,,
४	अलीगढ़ ..	२,१०५.८८	१४,९३७.०४	,,
५	मथुरा ..	११,७१७.९२	१२,५१५.६४	,,
६	आगरा ..	१४,५४८.२९	१६,१२७.३२	,,
७	मैनपुरी ..	२२,२४४.१०	१३,०३५.८९	,,
८	एटा ..	११,२५६.१२	१२,५५०.८९	,,
९	बरेली ..	११,८८७.३९	१२,४९४.४७	,,
१०	बिजनौर ..	११,२७६.३४	१२,४६९.०३	,,
११	मुरादाबाद ..	१२,५६३.५०	१५,५९१.९६	,,
१२	फर्रुखाबाद ..	१३,७३१.७३	१३,३१८.०८	,,
१३	इटावा ..	११,२४१.४३	१२,६०५.३८	,,
१४	कानपुर ..	१९,७७९.५७	२२,१९६.९२	,,
१५	फतेहपुर ..	८,२१२.५४	१०,७४५.१३	,,
१६	इलाहाबाद ..	१८,७०३.८२	२१,६१०.८१	,,
१७	जालौन ..	९,४७१.४०	१०,००९.३१	,,
१८	बांदा ..	११,२००.००	११,२००.००	,,
१९	हमीरपुर ..	१०,९०४.२७	११,८०१.३७	,,
२०	वाराणसी ..	१८,२७९.४२	१९,३८५.४६	,,
२१	मिर्जापुर ..	११,७९४.००	१४,५८१.३७	,,
२२	जौनपुर ..	१२,७२०.००	१४,४८०.००	,,
२३	गाजीपुर ..	९,७४०.००	१०,९९७.९८	,,
२४	बलिया ..	२४०.००	१०,५३५.००	,,
२५	गोरखपुर ..	१८,६१८.००	१३,७१४.००	,,
२६	आजमगढ़ ..	२०,३३८.४४	२०,१७३.६७	,,
२७	बस्ती ..	१७,०४४.८५	२१,३४७.५३	,,
२८	नैनीताल ..	७,५९५.१२	७,८४१.७०	,,

क्रम-सं०	जिले का नाम	कितने रुपये की बेसिक की पुस्तकें मंगवाई गईं		उनका क्या उपयोग हुआ
		१९६०-६१	१९६१-६२	
		रु०	रु०	
२९	अल्मोड़ा	.. १२,०५४.००	१२,२७६.००	स्कूलों को वितरित
३०	पौड़ी-गढ़वाल	.. १०,१४६.००	११,५९१.१८	की गईं
३१	लखनऊ	.. ९,८९८.२९	१२,२४९.३४	,,
३२	उन्नाव	.. १२,२२०.००	१४,९७५.७९	,,
३३	रायबरेली	.. १०,०६३.५७	८,८२८.४९	,,
३४	सीतापुर	.. १२,५११.८१	१५,१४०.२३	,,
३५	खीरी	.. ११,३४०.००	१३,७८०.००	,,
३६	फैजाबाद	.. ११,३१४.९८	११,००५.८६	,,
३७	बांदा	.. १८,७१४.६८	२२,५४८.०५	,,
३८	बहराइच	.. ११,३३२.६३	१०,४३५.७३	,,
३९	सुल्तानपुर	.. १०,७००.००	१५,३१४.००	,,
४०	प्रतापगढ़	.. १०,२२६.००	८,३५३.५७	,,
४१	बाराबंकी	.. १०,२४८.२९	१०,२६३.९७	,,
४२	टिहरी-गढ़वाल	.. ६,७९१.९८	१,६१३.००	,,
४३	पिथौरागढ़	.. ..	४,६२१.५६	,,
४४	चमोली	.. ..	७,४२५.००	,,
४५	उत्तर काशी	.. ..	४,०००.००	,,

निम्नलिखित जिलों से पूर्ण सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है, जो एकत्रित की जा रही है ।

१ मुजफ्फरनगर
२ मेरठ
३ बदायूं
४ रामपुर
५ शाहजहांपुर
६ पीलीभीत
७ झांसी
८ देवरिया
९ हरदोई

नत्थी 'ब'

(देखिए तारांकित प्रश्न ४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५७१ पर)

अ० श० पत्रांक २५६-शिक्षा/६२-६३

अध्यक्ष,
अन्तरिम जिला परिषद्, जालौन,
उरई, २५ जनवरी, १९६३ ।

माननीय प्रिय आचार्य जी,

शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश शिक्षा १(१) बेसिक विभाग, प्रयाग के पत्र संख्या १(१) बेसिक ४१३/चौतिस-७ (८)—६२-६३, दिनांक ११ सितम्बर, १९६२ को उत्तर प्रदेश के समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों के नाम भेजा गया है और जिसकी प्रतियां उत्तर प्रदेश के जिला परिषदों के समस्त अध्यक्षों एवं अन्य संबंधित विभागाध्यक्षों को अग्रसारित की गई हैं, का अवलोकन करने की कृपा कीजिए ।

उपर्युक्त पत्र के तृतीय अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि आवश्यक सामग्री के चुनाव, क्रय एवं समय के अन्दर पाठशालाओं में उसे भेजने को स्थिर करने के लिये शासन ने जिला परिषद् की एक कमेटी का निर्माण किया है जिसके सदस्य (अध्यक्ष), उपाध्यक्ष (अध्यक्ष के रूप में) (२) मुख्यकार्यकारी अधिकारी, (३) जिला उद्योग अधिकारी, (४) जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा मनोनीत राजकीय नार्मल स्कूल के प्रधानाध्यापक, (५) उप विद्यालय निरीक्षक होंगे । उक्त पत्र के चतुर्थ अनुच्छेद में इस कमेटी के कुछ कर्तव्य एवं कार्य निर्धारित किये गये हैं । इस अनुच्छेद के उप अनुच्छेद "बी" के अंतिम वाक्य में यह लिखा गया है कि कमेटी द्वारा चुनी गई सामग्री तथा उपकरण की सूची की स्वीकृति जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

मुझे आश्चर्य है कि एक दायित्वपूर्ण कमेटी के होते हुए जिसमें अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के साथ-साथ जिला स्तर के चार गजटेड अधिकारी हैं और जिनमें मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद श्रेणी में जिला विद्यालय निरीक्षक के समकक्ष हैं सामग्री सूची की स्वीकृति विद्यालय निरीक्षक से लेना पड़े इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । अत : मैं महसूस करता हूं कि उप-अनुच्छेद (ब) का अंतिम वाक्य निकाल दिया जावे और जिला विद्यालय निरीक्षक उक्त कमेटी के एक सदस्य बना दिये जावें । आशा है आप मेरे विचार से सहमत होंगे और इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ।

देश की इस संकट कालीन परिस्थिति में मेरा सुझाव यह भी है कि बेसिक क्राफ्ट सामग्री आदि जिसमें प्रकाशकों की कुछ विषयानुकूल पुस्तकें भी सम्मिलित हैं की खरीदारी कुछ वर्ष के लिए स्थगित कर दी जावे और इस प्रकार बचत का धन स्वदेश रक्षा के किसी अन्य आवश्यक मद में व्यय किया जाय । मुझे यह कटु अनुभव हुआ है कि अभी तक शासन द्वारा स्वीकृत इस धन का समुचित उपयोग वास्तविक अर्थ में नहीं हो पाया है । इस धन को बचाने से प्रदेश में लगभग साढ़े बाइस लाख रुपये की वार्षिक बचत हो सकती है जो देश की सुरक्षा में लगाई जा सकती है । आशा है कि इस सुझाव पर भी आप गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे और उचित निर्णय लेंगे ।

माननीय श्री जुगलकिशोर आचार्य,
शिक्षा मंत्री,
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ।

भवदीय ।
(ह०) शिवशंकरसिंह सेंगर ।

नत्थी 'ञ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५७२ पर)

उन जिलों की सूची जहां जू० हा० स्कूल छात्रवृत्ति परीक्षा १९६२–६३ का परीक्षाफल जनवरी, १९६३ के अन्त तक घोषित नहीं किया जा सका।

क्रम-संख्या	जिले का नाम	परीक्षाफल घोषित करने की तिथि	विलम्ब का कारण
१	२	३	४
१	मुजफ्फरनगर	४–२–६३	उप जिला विद्यालय निरीक्षक तथा प्रति उप विद्यालय निरीक्षक इन्चार्ज परीक्षा का समय पर स्थानान्तरण तथा दो अन्य ज्येष्ठ प्रति उप० वि० निरीक्षकों का इन सर्विस ट्रेनिंग में जाने के कारण परीक्षा का प्रबन्ध समय पर न किया जा सका।
२	आगरा ..	फरवरी, ६३	एक परीक्षक की लापरवाही से विलम्ब हुआ उसे चेतावनी दी गई है तथा परीक्षा का कार्य भविष्य के लिये वंचित कर दिया गया।
३	बिजनौर ..	३–३–६३	उपयुक्त छात्र तथा छात्राओं के कक्षा ६ में देर से प्रवेश लने और उनके प्रार्थना-पत्र प्राप्त करन में अधिक समय लगा। जिससे परीक्षा नवम्बर ५ व ६, ६२ के पूर्व सम्पन्न न की जा सकी परीक्षा के पश्चात् परीक्षकों एवं गणकों को परीक्षा फल तैयार करने में काफी समय लगा।
४	शाहजहांपुर ..	२१–३–६३	परीक्षा का रजिस्टर उप-जिला विद्यालय निरीक्षक ने जनवरी, ६३ के प्रथम सप्ताह में जि० वि० नि० को प्रस्तुत किया। उप जिला विद्यालय निरीक्षक तथा अतिरिक्त उप जिला विद्यालय निरीक्षक दोनों के स्थानान्तरित हो जाने के कारण वर्तमान उप जिला विद्यालय निरीक्षक से परीक्षाफल की जांच करवाई गई जो ३०–१–६३ को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात् उसे जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में जांच किया गया और २१–२–६३ को घोषित किया जा सका।

क्रम-संख्या	जिले का नाम	परीक्षाफल घोषित करने की तिथि	विलम्ब का कारण
१	२	३	४
५	अल्मोड़ा ..	१–३–६३	परीक्षा सितम्बर, १९६२ के अंतिम सप्ताह में सम्पन्न हुई, परन्तु जिला विद्यालय निरीक्षक का कार्यालय मिलिट्री क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में हटाये जाने के कारण परीक्षा संबंधी पत्रादि पुराने कागजों में मिल गये थे जिससे परीक्षाफल घोषित करने में विलम्ब हुआ ।
६	पौड़ी ..	१४–२–६३	इस जिले की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वर्षा और बाढ़ के कारण वर्षा ऋतु समाप्त होने के पूर्व परीक्षा सम्पन्न करने में कठिनाई होती है । संबंधित राजाज्ञा जिला विद्यालय निरीक्षक, पौड़ी के कार्यालय में उपलब्ध नहीं थी जो शिक्षा निदेशक के कार्यालय से प्राप्त की गई । इन्हीं कारणों से इस वर्ष अधिक विलम्ब हुआ ।
७	टेहरी ..	मार्च, ६३ का प्रथम सप्ताह	द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पुराने टेहरी जिले के लिये स्वीकृत छात्र-वृत्तियों का वर्तमान टेहरी तथा उत्तरकाशी जिले में वितरण संबंधी आदेशों की प्रतीक्षा तथा उप जिला विद्यालय निरीक्षक टेहरी द्वारा देर में परीक्षाफल प्रस्तुत करने के कारण परीक्षा फल मार्च के प्रथम सप्ताह में घोषित किया जा सका ।
८	कानपुर ..	८ मार्च, १९६३	सह जिला विद्यालय निरीक्षक का दिसम्बर में स्थानान्तरण हो जाना तथा उनके स्थान पर नये सह विद्यालय निरीक्षक का आना व उनकी बीमारी और निधन भी विलम्ब का कारण रहा ।
९	फर्रुखाबाद	१३ फरवरी, १९६३	परीक्षा सम्पन्न होने के समय जिला विद्यालय परीक्षक तथा उप जिला विद्यालय निरीक्षक दोनों का स्थानान्तरण हो गया । उनकी जगह पर नये पदाधिकारियों के कार्य ग्रहण करने के पश्चात् परीक्षा का कार्य आरम्भ हो सका । उप जिला विद्यालय निरीक्षक जो जूनियर हाई स्कूल छात्रवृत्ति

क्रम-संख्या	जिले का नाम	परीक्षाफल घोषित करने की तिथि	विलम्ब का कारण
१	२	३	४
			परीक्षा समिति के मंत्री हैं वे परीक्षाफल की जांच इत्यादि करने के पश्चात् ३० जनवरी, ६३ को जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित किया । जिसकी आवश्यक जांच करने के पश्चात् परीक्षाफल १३ फरवरी, ६३ को घोषित किया जा सका ।
१०	बांदा ..	५ फरवरी, १९६३	अधिक वर्षा के कारण इस जिले के कुछ हिस्सों में आने जाने का साधन नहीं रह जाता और मार्ग नवम्बर तक आने जाने योग्य नहीं रहता । इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छोटे छात्र छात्राओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुये यह परीक्षा वर्षा ऋतु समाप्त होने के पश्चात् ली जाती है । तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अधिक छात्र वृत्तियां देने हेतु परीक्षा के नियम में कुछ संशोधन हुये । इसके अनुसार परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों की सूचना उपलब्ध नहीं थी । जिसे उपलब्ध करने में भी समय लग गया उपर्युक्त कारणों से परीक्षा दिसम्बर में सम्पन्न की जा सकी तत्पश्चात् परीक्षा फल तैयार करने के बाद परीक्षाफल ५ फरवरी, १९६३ को घोषित किया जा सका ।

नत्थी 'ट'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५७३ पर)

बलिया के बाढ़ एवं जलप्लावित क्षेत्रों के पीड़ित विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का वितरण

क्रम-संख्या	संस्था का नाम	स्वीकृत धनराशि
		रुपया
१	गांधी हायर सेकेन्डरी स्कूल, सिकन्दरपुर	४९६
२	पी० डी० हायर सेकेन्डरी स्कूल, गईघाट	४८६
३	एच० एस० स्कूल, सुवाश्रम	१९८
४	एम० आई० सी० चिबारगांव	३८८
५	हायर सेकेन्डरी स्कूल, सिवांकलां	४८६
६	हायर सेकेन्डरी स्कूल, रेवती	४८६
७	हायर सकेन्डरी स्कूल, बदलपुर	२८८
८	के० एम० वी० इन्टर कालेज, बलिया	४९४
९	हायर सेकेन्डरी स्कूल,चौरा	४८६
१०	हायर सेकेन्डरी, कोटावरी	१९८
११	के० जी० एस० जे० इन्टर कालेज, रसरा	३६
१२	एल० डी० हायर सेकेन्डरी स्कूल, बलिया	२८८
१३	हायर सेकेन्डरी स्कूल, देवकली	२८८
१४	हायर सेकेन्डरी स्कूल, नरही, (रसरा)	१९८
१५	डी० आर० वी० इन्टर कालेज, बैरियां	४९८
१६	पी० एम० इन्टर कालेज, दूबेचापरा	४९६
१७	जी० एम० ए० एम० इन्टर कालेज, बेलथरा रोड	४९८
१८	गांधी महा विद्यालय मालप, बलिया	३५२
१९	हायर सेकेन्डरी स्कूल, शहतवार	९०
२०	हायर सेकेन्डरी स्कूल, सन्दवापुर	१९८
२१	हायर सेकेन्डरी स्कूल, सुहान	४९६
२२	हायर सेकेन्डरी स्कूल, नगारा	३०६
२३	जूनियर हाई स्कूल, सीताकुण्डा	१८०
२४	आर० एच० इन्टर कालेज, भीमपुरा	२८४
२५	हायर सेकेण्डरी स्कूल, छाता	२८८
२६	हायर सेकेण्डरी स्कूल, दालानचपरा	२८८
२७	आर० एस० के० इन्टर कालेज, दूभर	४९६
२८	एन० एच० एस० स्कूल, रतनपुरा	४८६
२९	टाउन इन्टर कालेज, बलिया	४९४
३०	जूनियर हाई स्कूल, नीरूपुर	१९८
३१	जूनियर हाई स्कूल, मझऊ	२८८
३२	हायर सेकेन्डरी स्कूल, सुविष्टपुरी	४८६

क्रम-संख्या	संस्था का नाम		स्वीकृत धनराशि
१	२		३
			रुपया
३३	हायर सेकेन्डरी स्कूल, ताड़ीबरागांव	..	२८८
३४	जूनियर हाई स्कूल, नगवां	..	२८८
३५	जे० बी० इन्टर कालेज, गरवर	..	१७७
३६	हायर सेकेन्डरी स्कूल, खंडवा	..	१४४
३७	एस० सी० कालेज, बलिया	..	२१०
३८	जे० एच० स्कूल, खेजूरी	..	१९८
३९	जूनियर हाई स्कूल, इन्द्रपुर	..	१८०
४०	हायर सेकेन्डरी स्कूल, करनछपरा	..	५०४
४१	हायर सेकेन्डरी स्कूल, मुरारपट्टी	..	१९८
४२	हायर सेकेन्डरी स्कूल, नरायनगढ़	..	१९८
४३	जूनियर हाई स्कूल, संकीर्तन नगर	..	१४४
४४	जूनियर हाई स्कूल, बहुआरा	..	१८०
४५	जूनियर हायर स्कूल, नरही (चौरा)	..	२८८
४६	हायर सेकेन्डरी स्कूल, मनियार	..	२८३
४७	हायर सेकेन्डरी स्कूल, बांसडीह	..	२८३
४८	बंशी बाजार इन्टर कालेज, ,,	..	४६०
४९	रतशर इन्टर कालेज, ,,	..	१९५
५०	जूनियर हायर सेकेन्डरी स्कूल, सलेमपुर	..	१४४
५१	जूनियर हायर सेकेन्डरी स्कूल, जमुआउं	..	१९८
५२	हायर सेकेन्डरी स्कूल, मझावली	..	९०
५३	हायर सेकेन्डरी स्कूल, शिवपुर	..	२६८
५४	गवर्नमेंट हायर सेकेन्डरी स्कूल, बलिया	..	३२४
५५	डी० ए० वी० इन्टर कालेज, बेलथरा रोड	..	३१६
५६	डी० ए० वी० जूनियर हाई, स्कूल ,,	..	३,२०४
	कुल योग	..	२०,०००

नत्थी 'ठ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५७४ पर)

सार्वजनिक प्रयोग के लिये संरक्षित की गई भूमि

(एकड़ों में)

सी० ओ० सर्किल		क्रीड़ा स्थल	पशुचर भूमि	खलिहान	पाठशाला	पंचायत घर	कब्रिस्तान मरघट
१		२	३	४	५	६	७
सी ओ०	१	८–००	१६४–००	१३५–४१	७०–२५	४–००	४७–१५
,,	२	५–१५	३९०–०१	११६–७०	६४–७७	२–४०	२७–४१
,,	३	१५–०५	४९०–४९	१४८–००	१७२–००	१५–००	३६–००
,,	४	१६–००	१४६–००	७३–००	४०–००	३०–००	३८–००
,,	५	३०–५५	५५५–६८	१७५–०७	१७–१५	१७–२८	५०–३५
,,	६	३०–२०	२८३–००	१५५–०९	१२७–००	१५–००	१८०–००
,,	७	१५–००	४८०–००	६०–७३	१६८–००	६४–००	५६–००
योग	..	११८–९५	२५०९–१८	८६४–००	६५९–१७	१४७–६८	४३४–९१

उत्तर प्रदेश सभा

कपड़ा कमाने का कारखाना	सामूहिक उद्यान	खाद का गड्ढा	रास्ता व चक रोड	आबादी	देवस्थान	कुम्हार के लिये
८	९	१०	११	१२	१३	१४
—	—	३७–७४	१६०–७५	१८०–१२	—	—
६–२७	७–६२	१६–३८	२४३–१०	२०७–१८	१२–१६	–२२
८–००	७५–००	३०–००	४६५–००	२०५–०५	–११	—
—	७१–८६	५३–००	४२६–००	२१५–००	१२–००	—
१०–९०	१५–१०	३०–६६	७१०–८०	३७४–७५	—	—
१५–००	१०९–००	४०–००	६२१–००	३७२–०६	५–५५	—
५–००	५–००	७०–००	१२४–००	२१६–००	—	—
४५–१७	२८३–५८	२७७–७८	२७८०–६५	१७६९–१६	२९–८२	–२२

जयपुर विधान सभा

ताल	नाला	होलिका दहन	जानवरों का अस्पताल	बस-स्टेशन	अन्य	योग
१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१
—	—	—	—	—	—	८०६–४२
१६–०७	१३–९८	–१५	२–१३	–६०	—	११३९–३०
—	—	—	—	—	२–००	१६९०–७०
—	—	—	—	—	—	११२०–८६
—	—	—	—	—	—	१९५५–२९
—	—	—	—	—	—	१९८८–२९
—	—	—	—	—	३०–००	१९८२–९०
—	—	—	—	—	—	१२६३–७३
१६–०७	१३–९८	–१५	२–१३	–६०	३२–००	९९८५–२०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ड'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७७ का उत्तर पीछे पृष्ट ५७८ पर)

क्रम-संख्या	ग्राम सभा का नाम	क्रम-संख्या	ग्राम सभा का नाम
१	२	१	२
१ ..	धर्मपुर कलां	६ ..	बलकरनपुर
२ ..	खनुपुरा	७ ..	करसरा
३ ..	स्याहारी माला	८ ..	गुरसरी
४ ..	लखनैटा	९ ..	मल्हपुर सिंधारी
५ ..	बाबेपुर		

नत्थी 'ढ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८० पर)

विधान सभा के वर्तमान सत्र १९६३ के पहले शुक्रवार के लिये श्री गया-प्रसाद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८७ के उत्तर से संबंधित तालिका ।

क्रम-संख्या	अध्यापकों के नाम तथा पद	नियुक्ति की तिथि	स्थायी न किये जाने का कारण
१	२	३	४
	डी० एस० बिष्ट राजकीय कालेज नैनीताल		
१	श्री उदयपालसिंह छौनकर, सहायक प्राध्यापक, बाटनी ।	२४ फरवरी, १९५८	स्थायी रिक्त स्थान के अभाव में अभी तक स्थायी नहीं किये गये ।
२	डा० भारत भूषण गुप्त, सहायक प्राध्यापक, राजनीति-शास्त्र ।	११ सितम्बर, १९५८	इनका पद अभी अस्थायी है ।
३	डा० विश्वम्भर नाथ उपाध्याय, सहायक प्राध्यापक, हिन्दी ।	२४ फरवरी, १९६०	इनके स्थायीकरण का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।
४	श्री निरंकार स्वरूप श्रीवास्तव, सहायक प्राध्यापक, (वाणिज्य) ।	२ मई, १९६१	इनका पद अभी अस्थायी है ।
५	डा० हर शरन दास मित्तल, सहायक प्राध्यापक, अंग्रेजी ।	१ जुलाई, १९६०	इनका परीक्षण काल १ जुलाई, १९६३ तक बढ़ा दिया गया था अब स्थायीकरण का प्रश्न विचाराधीन है ।
	काशी नरेश राजकीय कालेज, ज्ञानपुर		
६	श्री विजय शंकर शुक्ल, सहायक प्राध्यापक, इतिहास ।	८ फरवरी, १९५८	इनका पद अभी अस्थायी है ।
७	श्री घनश्याम दास अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक, गणित ।	२४ सितम्बर, १९६०	,,
८	डा० भारत भूषण स्वरूप रायजादा, सहायक प्राध्यापक, बाटनी ।	२ फरवरी, १९६०	,,
९	डा० अनुग्रहशंकर द्विवेदी, सहायक प्राध्यापक, जीव विज्ञान ।	५ दिसम्बर, १९६०	,,
१०	डा० सर्वजीत सिंह बोरा, लेक्चरार जीव-विज्ञान ।	३ अक्तूबर, १९६१	,,

नत्थी 'ब'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८९–९० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८१ पर)

ए० सी० ओ० क्षेत्र संख्या	मुख्यावास का नाम	सर्किल के कुल ग्रामों की संख्या	उन ग्रामों की संख्या जिनमें १०-९-६३ तक चकों को अंतिम रूप देकर कब्जा दिलाया जा चुका था
१	२	३	४
१	जंगल बिहुली ..	१५	१०
२	भवराबारी ..	१२	७
३	एलानाबाद ..	१९	१०
४	बसन्तपुर ..	१६	११
५	सोनौरा बुजुर्ग ..	३२	२३
११	करमहा ..	२३	१४
१२	बचगंगपुर ..	१०	४
१३	हाटाबेला हरैया ..	८	३
१४	मिश्रौलिया ..	१३	५
१५	गोपालपुर ..	१५	६

नत्थी 'त'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८८ पर)

अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों की सूची तथा विवरण

नाम पाठशाला	कब से अस्थायी	अस्थायी होने का कारण
१	२	३
१—राष्ट्रीय विद्यालय, गनेशगंज ..	१९५०	भवन अनुपयुक्त, अधिकांश अध्यापक अप्रशिक्षित प्रबन्ध एवं आर्थिक स्थिति असंतोषजनक और लेखा संबंधी अनियमितताएं।
२—तालीमूल इस्लाम हसनगंज, बावली ..	१९५७	"
३—विश्व नरायन बेसिक स्कूल ..	१९५४	पाठशाला भवन की दशा दयनीय है, आर्थिक दशा खराब है, प्रधान अध्यापक अप्रशिक्षित हैं।
४—गौरी देवी शुक्ला ..	१९५६	भवन अनुपयुक्त, अधिकांश अध्यापक अप्रशिक्षित, प्रबन्ध एवं आर्थिक स्थिति असंतोषजनक और लेखा संबंधी अनियमिततायें।
५—धर्मसंघ विद्यालय ..	१९५८	"
६—दिगम्बर जैन विद्यालय ..	१९५७	"
७—भारतीय विद्यापीठ ..	१९५९	"
८—आदर्श शिक्षा केन्द्र, ठाकुरगंज ..	१९६१	"
९—पारेख श्री खेमचन्द कालीदास विद्या मंदिर ..	१९६२	"
१०—कस्तूरबा कन्या बेसिक स्कूल ..	१९६१	"
११—अग्रवाल विद्यालय, डालीगंज ..	१९६१	"
१२—नवजुबली विद्यालय, महानगर ..	१९६०	"
१३—कमल बेसिक स्कूल ..	१९६२	"
१४—सेन्ट्स मेमोरियल कालेजिएट स्कूल ..	१९६२	"
१५—सेठ रामूमल बेसिक स्कूल ..	१९६२	"
१६—जैनेविया प्राइमरी स्कूल ..	१९५५	"
१७—इस्लामियां मकतब प्राइमरी स्कूल ..	१९५६	"
१८—सिन्धी विद्या समिति ..	१९५६	"
१९—नवज्योति कन्या विद्यालय महानगर ..	१९६०	"
२०—कस्तूरबा कन्या विद्यालय ..	१९६१	"
२१—वन आना फंड प्राइमरी स्कूल ..	१९६१	"
२२—महानगर कन्या विद्यालय ..	१९६०	"

नत्थी 'थ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५८९ पर)

विधान सभा के वर्तमान सत्र के ९ वें शुक्रवार के लिये निर्धारित श्री शिवनाथसिंह के अतारांकित प्रश्न संख्या १५ में वांछित सूचना ।

जिला बांदा, हमीरपुर, जालौन तथा इटावा में जमुना और बेतवा नदियों पर जिन घाटों की व्यवस्था सरकार करती है, उनसे सम्बन्धित वांछित सूचना निम्नलिखित है :—

१—जिला बांदा में जमुना नदी पर चिल्ला घाट (फेरी) है, जिसका ठेका अन्तिम बार १-१०-६१ को ३ वर्षों के लिये २,२७,७३३ रु० में दिया गया।

२—जिला हमीरपुर में एक घाट जमुना नदी पर और एक घाट बेतवा नदी पर है। दोनों घाटों का ठेका अन्तिम बार अगस्त, १९६० में ३ वर्षों के लिये क्रमशः ३,५८,७१५ रु० और २,०३,३३७ रु० में दिया गया।

३—जिला जालौन में जमुना नदी पर कालपी घाट और बेतवा नदी पर मोहना घाट (फेरी) हैं। अन्तिम बार कालपी घाट १६-६-६२ से १५-१०-६४ तक के लिये १,२१,५०० रु० पर और मोहनाघाट १-८-६१ को ३ वर्ष के लिये ६१,८६३ रु० पर दिये गये।

४—जिला इटावा में जमुना नदी पर राजघाट (फेरी) है जिसका ठेका अन्तिम बार १-९-६२ को ३ वर्ष के लिये १,७७,००० रु० में दिया गया।

नत्थी "द"

(देखिये अतारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६१ पर)

तालिका १

विगत दो वर्षों में एक थोक तथा ६ फुटकर डिनेचर्ड स्प्रिट के लाइसेंस बाराबंकी जिले में दिये गये। यह लाइसेंस निम्नांकित व्यक्तियों को दिये गये :—

थोक श्री बाबूलाल कुसुमेश, को दिया गया। इसके लिये कुल ३ प्रार्थना-पत्र थे:—

१—श्री बाबूलाल कुसुमेश, देवा रोड बाराबंकी,

२—श्री सुभाष चन्द्र जैसवाल,

३—श्री गोपीचन्द्र।

फुटकर—

१—रुदौली, श्री अवध बिहारी को दिया गया। इसके लिये कुल ६ प्रार्थना-पत्र थे :—

१—श्री अवधबिहारी जैसवाल, निवासी रुदौली,

२—श्रीमती सरला देवी,

३—श्री कृष्णकुमार,

४—श्री बाबूलाल,

५—श्री राधेश्याम गुप्ता,

६—श्री कुंजबिहारी।

२—हैदरगढ़ श्री कृष्णकुमार को दिया गया इसके लिये कुल ३ प्रार्थना पत्र थे:—

१—श्री लक्ष्मी नारायण,

२—सर्वश्री बच्चासिंह तेजनारायण,

३—श्री कृष्णकुमार निवासी पंडरावा।

३—भीखरपुर श्री कल्याणचन्द्र को दिया गया। इसके लिये कुल ४ प्रार्थना पत्र थे :—

१—श्री कल्याणचन्द्र गर्ग,

२—श्री हरिकृष्ण गोयल,

३—श्री काशीनाथ गर्ग,

४—श्रीमती सुखराजी देवी।

४—देवा श्री प्यारेलाल को दिया गया। इसके लिये कुल ६ प्रार्थना पत्र थे :—

१—श्री प्यारेलाल, देवा,

२—श्री मंगलाप्रसाद उर्फ (।) बच्चूलाल,

३—श्रीमती रामपियारी,

४—श्री मोहम्मद जाहिर,

५—श्रीमती विमला देवी,

६—श्री रामरक्षा जैसवाल,

५—सतरिख श्री कृष्णकुमार बाजपेयी को दिया गया, उसके लिये कुल ७ प्रार्थना-पत्र थे :—

१—श्री कृष्णकुमार बाजपेई, निवासी सतरिख,
२—श्री मोहम्मद इस्माइल,
३—श्रीमती जमुना देवी,
४—श्री विद्याप्रकाश गुप्ता,
५—श्री राधेश्याम कलवार,
६—श्री देवीप्रसाद,
७—श्री गनेश प्रसाद।

६—रामनगर यह श्री सुखदेव को दिया गया। इसके लिये केवल इन्हीं का प्रार्थना पत्र आया था।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ६० का उत्तर पीछे पृष्ठ ५६७ पर)

तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला बुलन्दशहर में पक्की सड़कों का निर्माण तथा उनकी प्रगति

क्रम-सं०	सड़क का नाम	लम्बाई मील फर्लांग		भौतिक प्रगति जून, १९६३ तक	
	चालू योजना				
१	दादरी रेलवे स्टेशन से सूरजपुर छलेरा तक	११	४	कार्य पूर्ण हो चुका है ।	
२	शिकारपुर दादरी मार्ग	१३	२	कार्य पूर्ण हो चुका है।	
	नई योजनाएं				
१	जहांगीराबाद-अहर	११	४	१—मिट्टी का कार्य २—पुल एवं पुलिया ३—सोलिंग कोट संचय ४—मध्य तह का संचय	४ मील १ मील ५फ० १ मील १ मील
२	सिकन्दराबाद-झांसर	१२	०	१—मिट्टी का कार्य २—पुल एवं पुलिया ३—सोलिंग कोट संचय ४—मध्य तह संचय	४ मील ४ मील २ मील २ मील

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १२३ एल० ए०—१९६३—८६० ।